खण्ड-218, अंक-6
मंगलवार, 25 माघ, शक संवत् 1882
(14 फरवरी, 1961 ई0)

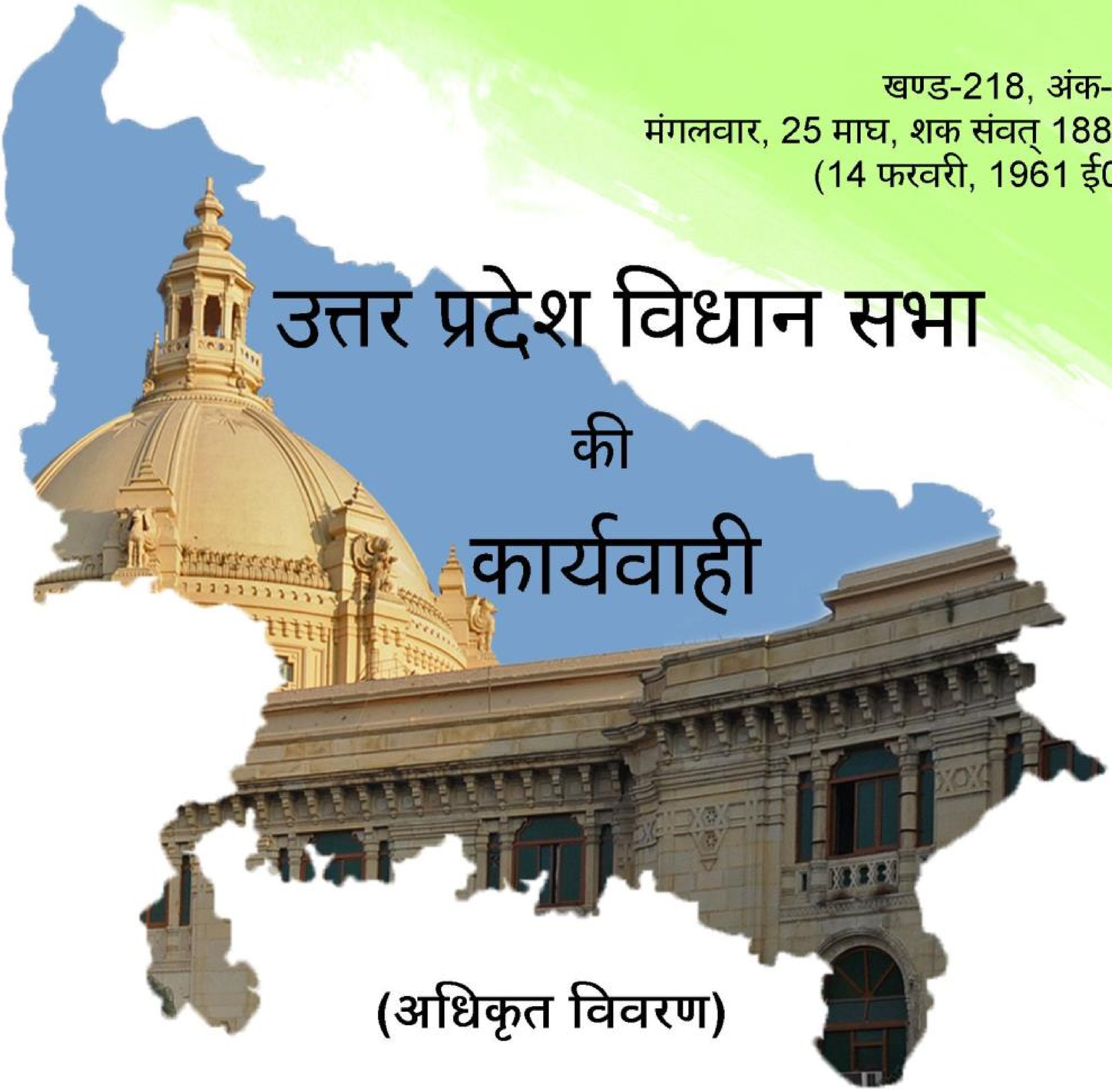

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 218 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

MAY 1960

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १४ फरवरी, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५२

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्त राम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविंदसिंह विष्ट, श्री

गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरण सिंह, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीश नारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री

बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद, वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भीमसेन, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसेन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमन सिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अभिलाष, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री

रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री,
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भूदयाल, श्री
शांतिप्रपंन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराज बलीसिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

हरिहरबख्शसिंह, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रभानु गुप्त, वित्त मन्त्री, श्री हरगोविन्द सिंह तथा वन मंत्री, श्री अलगू राय शास्त्री भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १४ फरवरी, १९६१

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

काठगोदाम के निकट गौला नदी पर पुल बनाने में कठिनाई

**१—श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गौला नदी में काठगोदाम पर जो पुल मई, १९६० में टूटा था उसका बनने का कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—जी नहीं। प्रस्तावित एक्वीडक्ट (झूले वाले पुल) के निर्माण स्थान पर की जाने वाली विस्तृत खुदाई से ज्ञात हुआ है कि वहां पर भूमि की तहें अधिक पुष्ट नहीं हैं और ३५० फुट के इकहरी महराब (single span) के झूले वाले पुल के निर्माण के अनुकूल नहीं है। क्योंकि इस प्रकार के पुल के निर्माण हेतु पुष्ट तह वाली भूमि दोनों सिरों पर होना आवश्यक है ताकि भविष्य में कोई हानि न होने पावे, अन्य प्रस्तावित स्थानों की जांच-पड़ताल की जा रही है और विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य हाथ में ले लिया गया है।

**२—श्री प्रतापसिंह—क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि दो बार टेन्डर मांगने पर भी उनको स्वीकृत नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां। पहली बार प्राप्त हुई निविधाएं (tenders) इसलिये रद्द कर दी गई हैं क्योंकि वे निविधा सूचना में दी गई शर्तों और नमूनों के अनुसार नहीं थीं और उनकी अनुमानित दरों से कहीं अधिक थीं।

जब दूसरी बार निविधएं मांगी गईं तो फिर भी उनमें अनुमानित दरों से अधिक ऊंची दरें थीं और उनमें कुछ शर्तों का भी उल्लेख था। इसलिये ये भी रद्द कर दी गईं।

श्री प्रतापसिंह—मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि इस पुल के टूट जाने से २५० गांवों की सिंचाई का मामला विघ्न में पड़ा हुआ है और साथ साथ ३५ हजार आदमियों का यातायात बन्द है, इसको शीघ्र बनवाने की महती कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, यह बात सही है कि इस पुल के टूट जाने से लोगों को जो गौला नदी के पूर्व की तरफ रहते हैं तकलीफ हो गई। परन्तु यह बड़ी ज़रूरी बात है कि जब कोई दूसरा काम बनाया जाय वह मजबूती के साथ बनाया जाय और ऐसा न हो कि वह थोड़े ही दिनों बाद फिर टूट जाय। इस बात का सरकार को एहसास है और इसीलिये सर्वेक्षण कराया जा रहा है। अब इस नतीजे पर हमारा विभाग पहुंच गया है कि बजाय सिंगिल स्पैन ब्रिज के २,३ पिलर बनाकर उन पर पुल बना दिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—जहां जहां सर्वेक्षण हो रहा है वह कौन-कौन से स्थान हैं और क्या कोई ऐसा प्राविधान भी है कि जब तक बड़ा पुल बने तब तक कोई टेम्पोरेरी झूले का पुल डाल दिया जाय ताकि लोगों को सहूलियत हो सके ।

श्री राममूर्ति—कोई टैम्पोरेरी झूले का पुल बनाने का सरकार का विचार नहीं है क्योंकि उसमें अधिक खर्चा होगा। लेकिन सर्वेक्षण जहां किया गया है उसके ऊपर की तरफ से दीवार को ऊपर उठाकर एक टेम्पोरेरी नहर चलाने का इंतजाम कर दिया गया है जिससे सिंचाई का पानी पहुंच सके। यह बात सही है कि इस पुल के टूट जाने से लोगों को तकलीफ है लेकिन सिंगिल स्पैन बनाने के लिये दोनों तरफ की दीवारों की बुनियाद मजबूत होनी चाहिये। इसको खयाल में रखते हुये अच्छी राक नहीं मिल सकी, इसीलिये वहां सिंगिल स्पेन का ब्रिज बनाना मुमकिन नहीं है।

श्री प्रतापसिंह—क्या सिंचाई मंत्री को सूचना है कि २३ जनवरी को चीफ इंजीनियर श्री जैन वहां पर गये थे और सारी साइट देखने पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिस प्रकार का पुल पहले था वैसा ही बनाया जाय और उन्होंने मौखिक आदेश भी दे दिये हैं जिससे वहां की जनता में जो असंतोष व्याप्त है वह दूर हो सके ?

श्री राममूर्ति—श्री जैन की क्या बातचीत हुई इसकी मुझे इत्तला नहीं है लेकिन मेरी मालूमात है कि सिंगिल स्पैन ब्रिज उस जगह पर बनाना मुश्किल है, इसलिये मल्टिपिल स्पैन ब्रिज बनाने की प्रस्तावना वहां पर है अब ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पहले जो पुल बना था वह कितने रुपये का था और अब बनाने का जो प्रोग्राम है वह कितने रुपये का है ?

श्री राममूर्ति—पहले के पुल की कीमत के बारे में मुझे इस वक्त मालूमात नहीं हैं। इस वक्त जो पुल बनने वाला है शायद ५ लाख रुपये में बनेगा। लेकिन डिटेल्ड एस्टिमेट्स तैयार नहीं हुये हैं, इसलिये पक्के तरीके से नहीं कह सकता कि कितना रुपया खर्च होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—इस सम्बन्ध में पिछले वर्ष सप्लीमेन्टरी बजट में गवर्नमेंट ने लगभग ४ लाख रुपया मांगा था और यह कहा गया था कि सर्वे वगैरह हो चुका है और सिंगिल स्पैन ब्रिज बनाया जा रहा है, यदि हां, तो बिना सर्वे किये इस सदन के सामने उस पुल के एस्टिमेट्स कैसे ला दिये गये ?

श्री राममूर्ति—मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। नोटिस की जरूरत है। मैं इसको मालूम करके दोबारा जवाब दे सकता हूं ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—उन्होंने जो सूचना दी कि अभी सर्वेक्षण हो रहा है और डिटेल्स एस्टिमेट्स नहीं बने हैं तो फिर टेंडर कैसे मांग लिया गया ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि बुनियाद के बारे में सर्वेक्षण हो रहा है कि जगह कौन-सी मुनासिब होगी जहां वह बनाया जाय, उसके एस्टीमेट्स तैयार हुये, लेकिन जगह मुनासिब मालूम नहीं पड़ी क्योंकि जो राक है वह मजबूत नहीं मालूम पड़ी लिहाजा उस जगह को तब्दील करने की जरूरत पड़ी।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—यह तय नहीं हुआ कि राक कौन सी मजबूत है और राक की मजबूती के हिसाब से ही खर्चा कम व ज्यादा होगा। नींव कम गहरी होगी या ज्यादा गहरी होगी उसी पर खर्चा आधारित होगा। यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि जो उन्होंने एस्टिमेट बनाया है वह अन्तिम रूप से होगा या उसमें रद्दोबदल होने की अब भी संभावना है ?

श्री राममूर्ति—मैंने अर्ज किया कि टेंडर रिजेक्ट कर दिये गये और अब दोबारा फिर काल किये जायेंगे और जो निश्चित एस्टिमेट बनेंगे उन्हीं के ख्याल से टेंडर काल किये जायेंगे।

श्री प्रताप सिंह—जो टेंडर मांगे गये थे वे सिंगिल स्पेन के मांगे गये थे या किस प्रकार के मांगे गये थे?

श्री राममूर्ति—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—जो पुल बनाना फायनलाइज हो रहा है उसमें मोटरेबिल ब्रिज होगा या नहीं ?

श्री राममूर्ति—मैं नहीं कह सकता कि मोटरेबिल होगा या नहीं लेकिन नोटिस दिया जायगा तो बतला दूंगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

लदई के पुरवा में आग लगाने की कथित घटनायें

*१—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के थाना लोनी कटरा के अन्तर्गत ग्राम लदई का पुरवा में, जो थाने के समीप है, १ मार्च, १९६० से ३१ दिसम्बर, १९६० तक किन-किन व्यक्तियों के खलिहान व मकान आदि फूंकने की कुल कितनी वारदातें हुयीं और उसकी रोकथाम के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री चरणसिंह)—इस अवधि में संबंधित ग्राम में मकान अथवा खलिहान फूंकने की किसी घटना के बारे में कोई रिपोर्ट पुलिस को नहीं प्राप्त हुई। अतः उसकी रोकथाम के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री जंगबहादुर वर्मा—मैंने सूचना ३१ जनवरी, १९६१ तक मांगी थी किन्तु इसमें ३१ दिसम्बर, १९६० तक सूचना दी गयी है। क्या गलती से ६० छप गया है ?

श्री अध्यक्ष—३१ दिसम्बर, ६० लिखा हुआ है प्रश्न पर। आपके दस्तखत भी हैं। ऐसी हालत में क्या किया जा सकता है।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि लदई के पुरवा में बाबादीन कुर्मी के यहां ६ बार ऐसी घटनायें हुई और तीन बार थाने में रिपोर्ट की गयीं ?

श्री चरणसिंह—मैंने जवाब दिया है कि कोई रिपोर्ट थाने में नहीं हुई। वैसे इस अवधि में दस छोटी-छोटी घटनायें हुई जिनकी तहकीकात इस सवाल के बाद हुई लेकिन उनमें से किसी एक की भी रिपोर्ट जिनका थोड़ा बहुत सामान जला था थाने में नहीं की गयी क्योंकि बहुत छोटी-छोटी घटनायें थीं।

श्री जंगबहादुर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी मेरे इस प्रश्न को नोटिस मान कर इसकी जांच करायेंगे कि तीन रिपोर्ट थाने में की गयीं और मैंने स्वयं बाबादीन को साथ लेकर थानेदार से कहा था तो उन्होंने कहा था कि यह हो रहा है और इसकी हम रोकथाम करेंगे ?

श्री चरण सिंह—जब माननीय मित्र अपनी जिम्मेदारी लेकर कोई बात कह रहे हैं तो मैं जरूर तहकीकात कराऊंगा अगर वह लिख कर दे दें कि कौन-कौन सी तीन रिपोर्टें कौन-सी तारीखों के सम्बन्ध में है और उनकी दारोगा से क्या बात हुई थी।

[१४ फरवरी, १९६१ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-३--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--[२८ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४--श्री नारायणदत्त तिवारी--[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया]

श्री नगर ताल योजनान्तर्गत सिंचाई

*५--श्री अब्दुलरऊफ़ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में श्रीनगर ताल से गत तीन वर्षों में कितनी सिंचाई रबी की फसलों की हुई है ?

श्री राममूर्ति--श्रीनगर ताल योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में निम्नालिखित रबी की फसलों की सिंचाई हुई :

साल	फसल रबी	सिंचित क्षेत्र एकड़
१९५७-५८	१,३६५	८८८
१९५८-५९	१,३६६	१,१६१
१९५९-६०	१,३६७	१,२९१

*६--श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सिंचाई योजना से गत ३ वर्षों में क्या आय हुई और उस पर कितना व्यय हुआ ?

श्री राममूर्ति--इस योजना से गत तीन वर्षों में जो आय हुई और इस पर जो व्यय हुआ वह निम्न प्रकार है :

साल	आय	व्यय
	रु०	रु०
१९५७-५८	६,६७५.७५	५१,९२७
१९५८-५९	२,२६५.००	११,७०१
१९५९-६०	९,४७५.२५	६,५१८

*७--श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सिंचाई योजना को विकसित करने के लिये क्या किया जा रहा है ?

श्री राममूर्ति--इस योजना के विकास के लिये ३,४७,८०० रु० की लागत की एक योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लघु सिंचाई कार्यों के अन्तर्गत तैयार की गई है जिसकी सन् १९६१-६२ के अन्त तक पूरा होने की आशा है । वर्तमान नहरों में सुधार के अलावा इस योजना के अन्तर्गत ५ मील २ फर्लांग नहरें तथा ६ मील टेल स्केव बनेगी जिससे १,२५३ एकड़ सिंचित क्षेत्र की वृद्धि होगी ।

*८-१०--श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ५२-५४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*११--श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)--[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ५५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

पिपरगवां माइनर नहर निकालने की प्रार्थना

*१२—श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजा कसिगवां, अमलीपुर, खड़गपुर, पिपरगवां आदि, जिला कानपुर के निवासियों ने दिनांक २७ अगस्त, १९५९ को पिपरगवां माइनर (हलुआखांडा ब्रांच) नहर गंग के निकालने के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री को चीफ इंजीनियर (सिंचाई) की मार्फत जो अर्जी दी थी उस पर अभी तक क्या निर्णय किया गया है ?

श्री राममूर्ति—२७ फरवरी, १९५९ का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। इस पर छानबीन करके पिपरगवां माइनर बनाने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कराया गया जिससे ज्ञात हुआ कि वर्तमान समय में पानी की कमी के कारण इस माइनर का निर्माण कराना सम्भव न हो सकेगा।

*१३—श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या वह उपर्युक्त माइनर को निकालने की योजना आगामी तृतीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लेगी ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रामगंगा बांध के निर्माण का प्रस्ताव है। यह बांध बन जाने पर पानी की बढ़ोत्तरी होगी। अतः पिपरगवां माइनर का निर्माण रामगंगा बांध योजना के पूर्ण होने पर निर्भर है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या यह सही है कि इस हलवा खांडा ब्रांच से ही कानपुर पम्पिंग स्टेशन को, जिससे शहर की मिलों को पानी दिया जाता है, उसको यह पानी दे दिया जाता है ?

श्री राममूर्ति—मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, नोटिस की आवश्यकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रामगंगा बांध का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकार कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उसका निर्माण आरम्भ हो गया है और यदि नहीं हुआ है तो कब तक होने वाला है ?

श्री राममूर्ति—रामगंगा बांध का निर्माण तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकार हो गया है। सरकार का अभी एप्रूवल नहीं हुआ है जो शीघ्र ही होने वाला है और उसके बाद ही काम शुरू कर दिया जायगा।

*१४—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—[हटा दिया गया।]

*१५-१६—श्री गौरीशंकर राय—[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ५७-५८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१७—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गरौठा तहसील में नहरों के विस्तार की योजना

*१८—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गरौठा तहसील (झांसी) के क्षेत्र में नहरों के विस्तार के लिये पांच लाख रुपये की एक योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका कार्य कब से आरम्भ होने की आशा है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, इसलिये कार्य आरम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राममूर्ति—मान्यवर, मैं एक बात अर्ज कर दूं कि इसमें थोड़ी-सी गलतफ़हमी हो गई है। प्रश्नकर्त्ता ने लिख दिया है कि एक योजना इस भ्रम से उत्तर में "जी नहीं" कह दिया था वाकिया यह है कि ऐसी १३ योजनायें बन रही हैं। यह छोटी-छोटी योजनायें हैं। यदि आप कहें तो मैं उनके नाम भी माननीय सदस्य के संतोष के लिये पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—यह उसी तहसील गरौठा के बारे में हैं।

श्री राममूर्ति—जी हां।

श्री अध्यक्ष—यदि माननीय सदस्य कहें तो आप पढ़ दें।

श्री राममूर्ति—बहुत अच्छा।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी उन योजनाओं को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—गेंडाकबूला माइनर एक मील लम्बी होगी, नकेरा १ मील, डकौली २ मील एक फर्लांग, खिदरपुरा २ मील ६ फर्लांग, हरदुआ ५ मील ४ फर्लांग, स्किल १ मील ४ फर्लांग, चौकरी १ मील ४ फर्लांग, सुत्ता २ मील, खलार रजबहा ४ मील, बरमपुरा माइनर २ मील, समेरा ३ मील ४ फर्लांग, सेमरी २ मील और घनौरा ३ मील ४ फर्लांग।

इन योजनाओं में से ५-६ का सर्वेक्षण हो चुका है। कुछ पर काम चालू होने वाला है। बाकी पर सब हो रहा है, उनमें थोड़ा समय लगेगा।

कोल असला परगने में सिंचाई व्यवस्था

*१९—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परगना कोल असला, तहसील व जिला वाराणसी में नाद नदी के उत्तरी हिस्से में सिंचाई की व्यवस्था ट्यूब-वेल द्वारा की जायेगी या जो शारदा सागर की नहर त्रिलोचन (बड़ा गांव), जिला जौनपुर होते हुये आगे गई है उससे वहां निकाल कर की जायगी ?

श्री राममूर्ति—परगना कोल असला तहसील व जिला वाराणसी में नाद नदी के उत्तरी हिस्से की सिंचाई के लिये नलकूप बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस हिस्से में सिंचाई शारदा सागर की योजना के अन्तर्गत बनाई गई मढिहाऊ शाखा, जो कि त्रिलोचन (बड़ा गांव) होते हुये आगे गई है, की किराकत उपशाखा तथा इसकी दीनदास पुर और चोलापुर माइनर से हो रही है। यह नहर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनायी गई है।

*२०—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यदि नहर से पानी देने की योजना है तो वह किन-किन स्थानों से रजबहा निकालने पर विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति—इस समय शारदा नहर की प्रशाखाओं (Sarda System) से शेष रकबे की आबपाशी करने के लिये पानी नहीं है। इस रकबे की नहरों से सींच हो सकती है और इस System का पानी बढ़ाने के लिये गोमती जलाशय बनाने की योजना की जांच की जा रही है। भविष्य में नहरें इस योजना के परिपक्व (mature) होने पर बनाई जा सकेंगी।

*२१-२३—श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)—[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६०-६२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२४-२५—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६३-६४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

नोट—तारांकित प्रश्न १९-२० श्री झारखंडे राय ने पूछे।

*२६—श्री नारायणदत्त तिवारी—[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

बसन्तपुर और ऊंचाखेरा माइनरों में रेगुलेटर लगाने की प्रार्थना

*२७—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर, बरेली डिवीजन या एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, बाराबंकी डिवीजन अथवा अन्य किसी सम्बन्धित अधिकारी ने १९५९-६० में खोरी ब्रांच (नहर) के ११२ वें मील पर स्थित बसन्तपुर और ऊंचाखेरा माइनरों में 'रेगुलेटर' बनाने का सुझाव प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो उपर्युक्त रेगुलेटर के कब तक बन जाने की आशा है ?

श्री राममूर्ति—जी नहीं ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—उपरोक्त क्षेत्र में पानी की अधिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री जी रेगुलेटर या अन्य कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, जो नहर बनाई गई थी उसके बारे में ही खयाल था कि डाल की सिंचाई होगी, तोड़ की सिंचाई नहीं होगी । इसी लिहाज से जितनी सिंचाई होने की माननीय सदस्य समझ रहे हैं वह नहीं हो पाती है । काश्तकार इसको पसन्द कर रहे हैं और अब सिंचाई बढ़ रही है, लेकिन इसमें समय लगेगा ।

*२८—श्री नारायणदत्त तिवारी—[हटा दिया गया ।]

*२९-३१—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६७-६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

नानक सागर डिवीजन में अयोग्य अभियन्ता रखने पर आपत्ति

*३२—श्री प्रतापसिंह—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नानक सागर डिवीजन, सिंचाई विभाग में कितने एस० डी० ओ० हैं जो लोक सेवा आयोग से अयोग्य घोषित हो गये हैं और फिर भी काम कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति—नानक सागर डिवीजन में केवल एक सहायक अभियंता ऐसे हैं जिनको आयोग ने मंजूर नहीं किया था परन्तु उनके लिये भी आयोग ने यह मान लिया है कि जब तक दूसरा चुनाव नहीं होता तक तक इनको रख लिया जाये ।

श्री प्रताप सिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब पहली बार आयोग ने अस्वीकार किया था तो क्या कारण बताये थे ?

श्री राममूर्ति—मान्यवर, मेरे पास कारण वगैरह नहीं हैं, लेकिन गालिबन जब कोई आदमी एप्रूव नहीं किया जाता है तो इनएफीशियेन्ट समझा जाता है या उसका काम अच्छा नहीं समझा जाता है इसलिये उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है ।

श्री प्रताप सिंह—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आयोग ने लिखा है कि वह इस पद के अयोग्य हैं इसलिये उनको बदल दिया जाय ?

श्री अध्यक्ष—उनके पास कारण वगैरह तो कुछ नहीं हैं ।

श्री प्रतापसिंह—श्रीमन्, आयोग ने लिख दिया है कि वह इस काबिल नहीं हैं कि उनको इस पद पर रखा जाय इसलिये हटा दिया जाय ।

श्री राममूर्ति—मान्यवर, मैंने तो यह पढ़ा था कि वह अयोग्य हैं परन्तु आखिर में उन्होंने यह मान लिया है कि जब तक दूसरा चुनाव नहीं होता है तब तक उनको रख लिया जाय ।

*३३-३४--श्री अब्दुल रऊफ़ लारी (अनुपस्थित)--[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ९-१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।)

बरोहा ग्राम का ऊंचा किया जाना

*३५--श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरोहा, जिला आजमगढ़ को ऊंचा करने के सम्बन्ध में २५ मार्च, १९६० को उन्हें प्रश्न कर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई है?

श्री राममूर्ति--जी हां, इस विषय में सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर, इर्रीगेशन वर्क्स सर्किल, फैजाबाद तथा जिलाधीश, आजमगढ़ से संयुक्त जांच कराई गई थी। उससे पता लगा कि ग्राम बरोहा का आधा भाग ऊंचे स्थल पर होने के कारण उसको ऊंचा करना आवश्यक नहीं था। शेष आधे भाग का तीन चौथाई भाग ऊंचा किया गया था और एक चौथाई भाग ऊंचा नहीं किया गया है। इसलिये ८ मार्च, १९६० को प्रश्न संख्या ९२ के उत्तर में बताई गई स्थिति, जो मुख्य अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर थी, पूर्णतय ठीक नहीं थी। इस गलत सूचना की जिम्मेदारी किन-किन अधिकारियों पर है इसकी जांच हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गांव को पूरा ऊंचा करने का आदेश अधिकारियों को दे दिया गया है?

श्री राममूर्ति--मुझे इसके बारे में तो मालूम नहीं है कि आगे के लिये इस पर क्या हुआ है, लेकिन जवाब में बतला दिया गया है कि आधा गांव तो पहले से ऊंचा था नेचुरल तरीके से और बाक़ी आधे के लिये ऊंचा करने की बात थी। इसमें से तीन चौथाई तो ऊंचा हो गया है जो बाक़ी है उसके लिये भी यहां से आदेश है कि ऊंचा कर दिया जाय, लेकिन किसानों ने अपनी खेतों से मिट्टी देने से इन्कार कर दिया है। जो पास में मिले हुये खेत हैं उनसे मिट्टी ली जाती है। अब चूंकि उन लोगों ने इन्कार कर दिया है, इसलिये दिक्क़त हो गयी है। अगर किसान मिट्टी देने को तैयार हों तो जितना हिस्सा रह गया है वह भी ऊंचा कर दिया जायगा?

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि पूरा गांव ऊंचा करने के लिये धन ओवरसियर और इंजीनियर ने ले लिया है, लेकिन गांव को ऊंचा नहीं किया गया है?

श्री राममूर्ति--मान्यवर, सिंचाई विभाग का कायदा यह है कि जब किसी काम को कराया जाता है तो ठेकेदारों का जितना काम हो जाता है उसके लिहाज से पेमेंट हो जाता है। ऐसा कायदा नहीं है कि ओवरसियर्स या इंजीनियर्स धन लेकर रख लें। जो काम होता जाता है उसकी जांच होकर पेमेंट होता जाता है इसलिये यह बात तो हो ही नहीं सकती कि रुपया रख लिया गया हो और काम न कराया गया हो। मैंने पहले जो बात कही है वही ठीक है।

*३६--श्री राम सुन्दर पांडेय--[१५ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३७--श्री राम सुन्दर पांडेय--[२८ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

आमों के संरक्षण के लिए कोल्ड स्टोरेज खोलने का सुझाव

*३८--श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या प्रदेश में आम की फसल की तरक्की के लिये कोई अनुसंधानशाला खोलने का उसका विचार है? यदि हां, तो कहां और उसके लिये कितने रुपये की योजना है?

श्री चरणसिंह--जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

*३९—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या वह आम के फलों के संरक्षण के लिये कोई कोल्ड स्टोरेज खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कहां और उसके लिये कितने रुपये की योजना है ?

श्री चरणसिंह—जी नहीं। शेष प्रश्न नहीं उठते।

श्री भीखालाल—क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि उत्तर प्रदेश में आमों की पैदावार की बहुत कमी है उनके सर्वेक्षण के लिये कोई कोल्ड स्टोरेज खोलने की योजना पर विचार करेगी ?

श्री चरण सिंह—बस्ती जिले में एक अनुसंधानशाला आमों के सिलसिले में चल रही है और सहारनपुर में फूड रिसर्च सेन्टर है। इसके अलावा कोई और काम इस सिलसिले में करने का गवर्नमेंट का फिलहाल इरादा नहीं है।

अलीगढ़, पाइलट प्रोजेक्ट योजनान्तगत नियुक्तियां

*४०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किस-किस सरकारी एग्रीकल्चर स्कूल से कितने-कितने विद्यार्थी गत तीन वर्षों में शिक्षा प्राप्त करके निकले थे ?

श्री चरणसिंह—उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्याएं संलग्न सूची में दी हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५७१ पर)

*४१—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ पाइलट प्रोजेक्ट योजना कब से कार्यान्वित होने वाली है तथा उसके अन्तर्गत वह कितने उक्त विद्यार्थियों की नियुक्ति करने वाली है ?

श्री चरण सिंह—अलीगढ़, पाइलेट प्रोजेक्ट खरीफ, १९६०-६१ से चालू हो गई है और उसमें राजकीय कृषि पाठशालाओं से उत्तीर्ण ५१ विद्यार्थियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—जिन विद्यार्थियों की नियुक्ति की गयी है वे किस वर्ष में उत्तीर्ण हुये हैं ?

श्री चरणसिंह—६० में पास हुये थे। जितने पास हुये उनमें से १०२ की नियुक्तियां हो चुकी हैं जिनमें से ५१ की अलीगढ़ में हुई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय कृषि मंत्री जी कृपया अलीगढ़ पाइलट प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण बतलायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—(गृह मंत्री से) अगर संक्षिप्त बात हो तो बतला दीजिये।

श्री चरणसिंह—मैं संक्षेप में इतना ही कह सकता हूं कि गवर्नमेन्ट ने एक फोर्ड फाउंडेशन टीम मुकर्रर की थी यह जांच करने के लिये कि भारत की कृषि पैदावार कैसे बढ़े। और उन सब ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि बजाय इसके कि गवर्नमेन्ट अपना पैसा और समय सब जगह पैदावार बढ़ाने के सिलसिले में खर्च करे वह किन्हीं खास क्षेत्रों में अपनी सारी इफर्ट को कंसेंट्रेट कर दे। एक एक जिला सब सूबों में लिया जा रहा है। हमारी प्रदेशीय सरकार ने इसके लिये अलीगढ़ तय किया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस स्कीम के लिये जो अलीगढ़ स्थान चुना गया है, इस स्कीम में आर्थिक सहायता देने में फोर्ड फाउंडेशन कमेटी ने भाग लिया है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री चरणसिंह--मैं समझा नहीं।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आपने बताया कि उस विदेशी मिशन की सलाह लेने के बाद यह स्कीम बनी है, क्या उस स्रोत से आर्थिक सहायता मिलने की आशा पायी जा रही है? यदि हां, तो कितनी ?

श्री चरणसिंह--इससे तो यह प्रश्न उठता नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ के छाटने में क्या फोर्ड फाउंडेशन टीम ने इनीशिएटिव लिया था या कृषि मंत्रालय से ज्यादा जोर लगाया गया ?

श्री चरणसिंह--इसका फोर्ड फाउंडेशन टीम से कोई वास्ता नहीं। यह गवर्नमेंट के ऊपर था कि किस जिले को वह पसन्द करे।

*४२--**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर)--[२१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

हरैया तहसील में हत्यायें

*४३--**श्री ऊदल** (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि हरैया तहसील, जिला बस्ती के चारों थानों में, १५ अक्तूबर से २५ अक्तूबर, १९६० तक ११ हत्यायें हुई हैं? यदि हां, तो इन हत्याओं के सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--उक्त अवधि में तहसील हरैया, जिला बस्ती के कप्तानगंज व छावनी थानों के अन्तर्गत तीन ऐसी घटनाएं हुईं जिनमें तीन व्यक्तियों की मृत्यु होना पाया गया। इसके सम्बन्ध में की गई जांच से यह ज्ञात हुआ है कि एक घटना में किसी मोटर से दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। दूसरी घटना की सूचना मिलने पर पहिले धारा ३०८ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया परन्तु बाद में घायल व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो जाने पर मुकदमा धारा ३०४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया और इसमें अभी जांच जारी है। तीसरी घटना के संबंध में धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई परन्तु जांच के पश्चात् इसमें एक व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु कुएं में गिरकर होना पाया गया।

*४४--**श्री ऊदल** (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया उन व्यक्तियों का नाम बतायेगी जिनकी हत्यायें की गयी हैं? क्या इन हत्याओं की रिपोर्ट थाने में दर्ज भी की गई है?

श्री चरणसिंह--उपर्युक्त तीन घटनाओं में मृतक व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं :--

१--श्री रणबहादुरसिंह चौकीदार

२--श्री पंडोही

३--श्री सुक्खू हरिजन।

उपर्युक्त घटनाओं के सम्बन्ध में दो रिपोर्टें धारा ३०४ भा० दं० वि० तथा एक रिपोर्ट धारा ३०२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत थानों पर दर्ज की गई थी।

*४५-४६--**श्री अब्दुल रऊफ़ लारी** (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गये।]

*४७-४९--**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)--[स्थगित किये गये।]

*५०--**श्री ऊदल**--[२८ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

कानपुर जिले में विभिन्न अपराध की घटनायें

*५१—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले व शहर में थानेवार कत्ल, आत्महत्या, डकैती, राहजनी व दंगों की संख्या १ जनवरी, १९५५ से १५ नवम्बर, १९६० तक प्रतिवर्ष क्या थी ?

श्री चरण सिंह—प्रश्न में वांछित सूचना के संकलन में जो श्रम और समय लगेगा, वह प्रश्न की उपयोगिता को देखते हुये लाभप्रद नहीं होगा। सदस्य महोदय यदि किसी विशेष थाने के बारे में सूचना चाहते हों तो उपलब्ध की जा सकती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—अध्यक्ष महोदय, यह जो थानेवार सूचना रहती है यह सालाना रजिस्टर पर रहती है, उससे यह नतीजा निकालने के लिये कि किन थानों में जुर्म बढ़ा है और किन वजहों से बढ़ा है, यही नतीजा हम लोग निकालना चाहते थे क्योंकि कानपुर जिल में दो-तीन साल से जुर्म बढ़ रहे हैं। इसलिये थाने की सूचना मांगी थी। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उसका फायदा नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—यह तो आप बहस कर रहे हैं।

श्री रामस्वरूप वर्मा—प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी जो सालाना रिपोर्ट आती है और संगृहीत रहती है, उसके अनुसार बहुत संक्षेप में सभी थानों की सूचना देने की कृपा करेंगे, पुनः विचार करने के बाद कि इसकी उपयोगिता है ?

श्री अध्यक्ष—इसमें आपने १ जनवरी, १९५५ से १५ नवम्बर, १९६० तक मांगा है। दिसम्बर के आखिर तक मांगते तो पांच साल पूरे हो जाते हैं। उसमें आपने डेढ़ महीना कम कर दिया।

श्री रामस्वरूप वर्मा—पहले जो मैंने पूछा था तो जनवरी चल रही थी इस वजह से जनवरी का पूछ नहीं सकता था, तो आखिरी जो था वह पूछ लिया था।

श्री अध्यक्ष—आप १९५४ तक पूछ लेते। यह जो दिक्क़त पड़ती है वह शायद यही है कि उनके पास सालाना हिसाब रहता है जो जनवरी से शुरू होता है और दिसम्बर तक खत्म होता है। आपने उसका फ्रैक्शन बना दिया है। कुछ पूछते हैं १५ नवम्बर तक, कुछ १५ अक्तूबर, कहीं ५ सितम्बर तक। माननीय गृह मंत्री, आप इस सम्बन्ध में जो दिक्क़त है उसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री चरणसिंह—मेरे पास जो इत्तला है वह ५० सफों में जा कर पड़ती है। तो मैं जवाब दे चुका हूं कि यह मुमकिन तो होगा, लेकिन काफी कठिन होगा कि छः साल की हर थाने के जुर्मों की लिस्ट दी जाय और जो जुर्म हैं वह सभी उसमें लिख रखे हैं।

शन्तिया काण्ड, कानपुर संबंधित दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का आदेश

*५२—**श्री रामस्वरूप वर्मा, श्री मोतीलाल अवस्थी, तथा श्री भगवती सिंह विशारद** (जिला उन्नाव)—क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर में शंतिया कांड के सम्बन्ध में बैठायी गयी न्यायिक जांच की रपट सरकार कब तक प्रकाशित करेगी और उस रपट के आधार पर सरकार ने अब तक कोई कार्यवाही वहां के किन्हीं अधिकारियों के विरुद्ध की है या नहीं तथा उक्त शंतिया कांड के सम्बन्ध में चलने वाले मुकदमों की वापसी के सम्बन्ध में क्या सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

श्री चरणसिंह—शंतिया कांड जांच आयोग की रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और इसे गजट में प्रकाशित करने के लिये प्रेस में भेज दिया गया है। आशा है यह शीघ्र ही प्रकाशित हो जायेगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के आदेश प्रधान पुलिस निरीक्षक को दे दिये गये हैं जिनके आचरण के संबंध में आयोग ने प्रतिकूल मत दिया है। इस कांड संबंधित मुकदमों को वापस लेने का इस समय सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपाकर बतायेंगे कि वह कौन-कौन सरकारी अधिकारी हैं जिनके प्रतिकूल इसमें प्रविष्टि हुई है, जिनका रिपोर्ट में जिक्र हुआ है और सरकार ने उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिया है ?

श्री चरणसिंह—थाना कलेक्टरगंज के एस० ओ० के सिलसिले में कमीशन ने यह कहा है कि उन्होंने देर की कार्यवाही करने में, इस सिलसिले में जांच की जाय।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि थाना कलेक्टरगंज के एस० ओ० के अतिरिक्त कानपुर के किसी और उच्चाधिकारी के विरुद्ध भी क्या कमीशन ने कोई आक्षेप किया है जिसको कि लेकर सरकार ने कोई कार्यवाही करना उचित समझा हो ?

श्री चरणसिंह—रिपोर्ट ही गजट में प्रकाशित होने के लिये गई है। ४६५ सफे की रिपोर्ट है। प्रकाशित हो जाने पर सभी मेम्बरों को उसकी कापी मिल जायगी।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय गृह मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि अब यह सिद्दीक हसन कमेटी की रिपोर्ट सामने आयेगी और उसका उस सम्बन्ध में चल रहे मुकदमों पर निश्चित असर पड़ेगा, तो क्या वह उनको तब तक स्थगित रखेंगे जब तक कि सिद्दीक हसन कमेटी की रिपोर्ट न आ जाय ?

श्री चरणसिंह—रिपोर्ट तो आ चुकी है। ३१ अगस्त को रिपोर्ट आ गई थी। मुकदमे स्थगित नहीं किये जायेंगे क्योंकि विचार उनको स्थगित करने का नहीं है।

चेम्बर्स मेमोरियल गर्ल्स स्कूल, गोंडा में लड़कियों पर तेजाब डालने की दुर्घटना

*५३—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—क्या सरकार यह बताने को कृपा करेगी कि गोंडा के चेम्बर्स मेमोरियल गर्ल्स स्कूल के एक क्लास में घुस कर पढ़ाई के समय १८ अक्तूबर, १९६० को जिस नवयुवक द्वारा कई लड़कियों पर बोतल से तेजाब फेंका गया था क्या वह पकड़ा गया ? यदि हां, तो वह कौन है तथा उक्त तेजाब के परिणाम-स्वरूप कितनी लड़कियों को क्या-क्या क्षति पहुंची ?

श्री चरणसिंह—तेजाब फेंकने की घटना १७ अक्तूबर, १९६० को हुई तथा नवयुवक पकड़ा जाकर चालान हो चुका है। नवयुवक बड़ागांव, जिला गोंडा का निवासी बसन्त स्वर्णकार है, तेजाब से एक लड़की के मुंह तथा दोनों नेत्रों को क्षति पहुंची तथा दूसरी लड़की के मुंह पर तेजाब के एक दो साधारण छींटे पड़े।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त नवयुवक को क्लास के अन्दर जाने की किसने अनुमति दी थी और उसके खिलाफ़ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चरणसिंह—वह क्लास में खुद ही चला गया था। अनुमति लेने की क्या आवश्यकता थी ? वह जुर्म करने के लिये गया था।

अपराधियों की बस्ती, आर्यनगर पर व्यय

*५४--श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के निकट स्थित आर्यनगर बस्ती के रखरखाव में जेल विभाग को गत तीन वर्षों में कितना व्यय उठाना पड़ा और इस नगर की जमीन की घास आदि की बिक्री से सरकार को कितनी आमदनी हुई है ?

श्री चरणसिंह--आर्यनगर बस्ती (सेटलमेंट) के रखरखाव में गत तीन वित्तीय वर्षों में ३४,९९९ रुपया खर्च हुआ। इस बस्ती की जमीन की घास आदि की बिक्री से सरकार को मार्च, १९५७ से १ दिसम्बर, १९६० तक ५,८२६ रुपया ५० नया पैसा की आमदनी हुई।

*५५--श्री सजीवनलाल--क्या सरकार उपर्युक्त आर्यनगर में अपराधियों की बस्ती बनाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

श्री चरणसिंह--इस बारे में योजना सरकार द्वारा स्वीकृत है। यह शीघ्र ही कार्यान्वित की जायगी।

*५६--श्री सजीवनलाल--क्या सरकार को इस बात का पता है कि आर्यनगर में काम करने वाले जेल विभाग के कर्मचारियों का वेतन सितम्बर मास, १९६० से रुका हुआ पड़ा है ?

श्री चरणसिंह--जी हां, ऐसे तीन कर्मचारी हैं। उनमें से दो के बारे में, जो निम्न श्रेणी के कर्मचारी थे, आवश्यक आदेश जारी किये जा चुके हैं। अब उन्हें वेतन मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। तीसरे कर्मचारी के बारे में आवश्यक आदेश शीघ्र ही जारी किये जायेंगे।

श्री सजीवन लाल--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आर्यनगर में जो लोग पहले आबाद थे उनको हटाकर सरकार ने कहां पर रखा ?

श्री चरणसिंह--क्रिमिनल ट्राइब्स सैटिलमेंट वह था। जब नोटिफिकेशन के बाद कानून रद्द हो गया तो उन लोगों को जहां मर्जी आई चले गये। फिर उनको रखने का सवाल नहीं उठता।

श्री सजीवन लाल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो यह ३५ हजार रुपया खर्च हुआ है वह किस प्रकार से खर्च हुआ है ? वहां पर पुताई-लिपाई में खर्च हुआ या इमारत बनाई गई है ?

श्री चरण सिंह--कुछ मरम्मत आदि में खर्च हुआ है और कुछ कर्मचारियों के वेतन के सिलसिले में खर्च हुआ है। इतना मैं और निवेदन कर दूं कि मैंने यह फाइल देखी है तो उसमें जो कार्यवाही हुई है उससे मेरी सन्तुष्टि नहीं हुई है कि इस मामूली सी बात में ३ साल लग गये जब कि कुछ महीनों में यह काम हो जाना चाहिये था। मैं इसको देखूंगा।

श्री गौरीशंकर राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बस्ती में जो मकानात हैं वह इतने समय तक, जब तक कि आप अपना कार्य शुरू नहीं करते हैं, किस इस्तेमाल में आते रहेंगे ?

श्री चरण सिंह--वह खाली पड़े हुये हैं।

श्री भीखालाल--क्या माननीय मंत्री जी कि जो योजना सरकार की है उसका सूक्ष्म विवरण देने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह--क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट जब यहां खत्म हो गया तो सन् १९५२ में हैबिचुअल आफेन्डर रिस्ट्रिक्शन्स ऐक्ट पास किया गया और उसके अन्तर्गत जो अपराधी अधिनियम में दिये गये किसी अपराध में तीन बार या उससे अधिक बार सजा पा चुके हैं और अन्तिम सजा को पूरी हुये तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत नहीं हुआ है ऐसे अपराधियों की गति विधि किसी निर्देशित क्षेत्र में प्रतिरुद्ध करने की आज्ञा जिला मैजिस्ट्रेट के द्वारा दी जा सकती है। यदि वह व्यक्ति उस आज्ञा का उल्लंघन करे तो उसको जिला मैजिस्ट्रेट सुधार करने के हेतु उक्त बस्ती में रख सकते हैं। यही मोटी सी बातें हैं।

सिलाना ग्राम की श्रीमती हुश्यारी देवी की हत्या

*५७--**आचार्य दीपंकर** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सलाना ग्राम, थाना छागौली, जिला मेरठ की जनता की ओर से ऐसा आवेदन-पत्र मिला है कि १२ जून, १९६० को श्रीमती हुश्यारी देवी की निर्मम हत्या कर दी गई और पुलिस ने इस संबंध में उचित कार्यवाही नहीं की ?

श्री चरण सिंह--जी हां ?

*५८--**आचार्य दीपंकर** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस संबंध में उसने अब तक क्या कार्यवाही की है।

श्री चरणसिंह--प्रश्न में निर्दिष्ट प्रार्थना-पत्र के प्राप्त होने से पूर्व इसी शिकायत का एक प्रार्थना-पत्र एस० पी० को प्राप्त हो चुका था जिस पर डी० एस० पी० (कम्पलेण्ट) ने जांच की, उनकी जांच रिपोर्ट शासन के विचाराधीन है।

सीतापुर जिले में 'सरकार बनाम मूले' मुकदमा से संबंधित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध जांच

*५९--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि मुकद्दमा नं० १२५, १९६० सरकार बनाम मूले दफा ३०२ आई० पी० सी० के दिनांक २६-१०-६० के निर्णय में जिला एवं सेशन जज, सीतापुर ने सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध स्ट्रिक्चर पास किया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पुलिस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री चरणसिंह--जी हां। संबंधित पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध पैरा ५०० पुलिस रेगूलेशन्स के अन्तर्गत जांच की जा रही है। यदि जांच से (स्ट्रिक्चर) सही पाये जायेंगे तो संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जांच किस अधिकारी के द्वारा की जा रही है और जांच समाप्त हो जाने के पश्चात् उसके परिणाम की सूचना देने की स्वयं कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह--जांच डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लखीमपुर द्वारा की जा रही है क्योंकि उस सब-इन्सपेक्टर का ट्रान्सफर सीतापुर से लखीमपुर को हो चुका है। वह कमिश्नर द्वारा अपनी सिफारिश यहां भेजेंगे। उन दोनों अफसरों की सिफारिश को दृष्टि में रखते हुये गवर्नमेंट अपना आर्डर देगी। मैं माननीय मित्र को तब सूचना दे दूंगा।

आगरे में पुराने कान्स्टेबिल

*६०--**श्री त्रिलोकीसिंह** (जिला लखनऊ)--क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में कितने हेड कांस्टेबिल अथवा कांस्टेबिल ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति ६ साल से अधिक से उसी शहर में है ?

श्री चरणसिंह---आगरा शहर में ६१ हेड कांस्टेबिल तथा ५७७ कांस्टेबिल ६ वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हेड कान्स्टेबिल और कांस्टेबिल के संबंध में क्या नियम हैं ? कितने समय तक वे एक जिले में रह सकते हैं ?

श्री चरणसिंह---हेड कांस्टेबिल एक जिले में १० साल तक और एक थाने में ५ साल तक रह सकते हैं।

जगनपुरा ग्राम की भीषण डकैती

*६१---**श्री भजनलाल** (जिला इटावा)---क्या गृह मंत्री को यह मालूम है कि ग्राम जगनपुरा, थाना अजीतमल, जिला इटावा में १ नवम्बर, १९६० को दिन के १२ बजे लाखनसिंह के गिरोह ने सशस्त्र डकैती डाली और दो तीन घरों के अलावा सारा गांव लूट लिया ? यदि हां, तो पुलिस ने उस वक्त क्या हस्तक्षेप किया ?

श्री चरणसिंह---दिनांक २-११-६० को दिन के २ बजे व ४ बजे के बीच इस प्रकार की घटना घटी जिसमें २८ घर लूटे गये। सूचना मिलने पर पुलिस तुरन्त ही मौके पर पहुंची किन्तु गिरोह पहले ही जा चुका था।

*६२---**श्री भजनलाल**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त भीषण डकैती में कुल कितने धन की क्षति हुई है ?

श्री चरणसिंह---कुल २१,५२९ रुपया की सम्पत्ति लूटी गयी।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)---क्या माननीय गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त डकैती में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

श्री चरणसिंह---तीन व्यक्ति गिरफ्तार हुये जिन पर मुकदमा चल रहा है।

श्री भजनलाल---लाखनसिंह का गिरोह इस ग्राम में दो और चार बजे के बीच डकैती डाल कर इस गांव से सिर्फ ६ फर्लांग की दूरी पर एक कुएं पर भोजन बना खा रहा था और जब पुलिस वहां गांव में पहुंची तो उसको बताया गया, लेकिन वह वहां नहीं गई, क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री चरण सिंह---जो सूचना मेरे मित्र ने दी है वह मेरे इल्म में नहीं है। अगर उनकी पक्की सूचना हो तो वह मुझसे बात करलें और इंक्वायरी हो सकती है। वैसे मैं यह बतला दूं वह करीब २५-२६ डकैत हथियारबन्द थे, उनके पास राइफल्स, स्टेनगन्स और दूसरे इम्प्रूवड वेपन्स थे। पुलिस के पास इत्तला पहुंचने में हमेशा देर लगती है क्योंकि वहां पर मीन्स आफ कम्यूनिकेशन्स नहीं हैं और पुलिस के पास थाने में भी ट्रान्सपोर्ट के मीन्स नहीं है।

थाना सदरपुर, जिला सीतापुर की पुलिस के विरुद्ध डिसिप्लिनरी कार्यवाही

*६३---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९६० में क्षेत्रीय एम० एल० ए० द्वारा इस आरोप का लिखा गया पत्र सुपरिंटेन्डेन्ट पुलिस, सीतापुर को प्राप्त हुआ था कि थाना सदरपुर (सीतापुर) की पुलिस ने श्री सुन्दर लाल, श्री बाबू राम, श्री राज मल, श्री बनवारी लाल, श्री सैफू, श्री कल्लू और श्री बदलू के विरुद्ध दफा १४०, ३२३, ४५२ ४६६, सी० आर० पी० सी०, का झूठा केस इसलिये कायम किया है कि उपरोक्त व्यक्तियों ने अप्रैल, १९५८ में थाना सदरपुर की पुलिस के विरुद्ध रिश्वत लिये जाने का आरोप लगाया था और क्या इस मामले की जांच डिप्टी सुपरिन्टेन्डडेन्ट पुलिस (कम्पलेंट्स) के द्वारा की गई है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी की जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री चरणसिंह--जी हां, उक्त प्रार्थना पत्र एस० पी० सीतापुर को प्राप्त हुआ था। उल्लिखित आरोपों के विषय में डी० एस० पी० (सी०) द्वारा जांच कराई गई जिसके फलस्वरूप पुलिस थाना, सदरपुर के विरुद्ध लगाये गये आरोप सत्य पाये गये। डी० एस०पी० (सी०) की रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि प्रार्थीगण के विरुद्ध धारा १४७,३२३, ४५२,३६६ भा० दं०वि० के अन्तर्गत पुलिस द्वारा कायम किया गया अभियोग झूठा है और इस सिलसिले में थाना सदरपुर के थाना अध्यक्ष व एक कांस्टेबिल उत्तरदायी पाये गये।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डी० एस० पी० (सी०) ने जांच रिपोर्ट किस तारीख को प्रस्तुत की थी, और उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चरणसिंह--तारीख तो मैं ठीक नहीं बतला सकता, लेकिन उस सब-इंस्पेक्टर और कांस्टेबिल के विरुद्ध पुलिस ऐक्ट की धारा ७ के अन्तर्गत डिस्प्लिनरी प्रोसीडिंग्स ली जा रही हैं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--यह प्रोसीडिंग्स कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

श्री चरणसिंह--ऐसे मामलों में कोई अन्तिम तारीख नहीं बतलायी जा सकती।

जिला में ला ऐण्ड आर्डर सम्बन्धित वक्तव्यों का प्रकाशन

*६४--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ला ऐन्ड आर्डर की मीटिंग जो जिलों में होती है, उस मीटिंग में संबंधित बातों पर उच्च अधिकारी द्वारा जो वक्तव्य प्रकाशनार्थ दिया जाता है क्या उसके लिये कोई निश्चित सरकारी आदेश है ?

श्री चरणसिंह--जी नहीं।

*६५--**श्री मुक्तिनाथ राय** (अनुपस्थित)--यदि हां, तो वे सरकारी आदेश क्या हैं ?

श्री चरणसिंह--प्रश्न नहीं उठता।

*६६--**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**--[२८ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

फर्रुखाबाद कोतवाली में मनोहर की मृत्यु की जांच

*६७--**श्री गोविन्दसिंह विष्ट**--क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या फर्रुखाबाद जिले में पुलिस की हिरासत में पुलिस द्वारा एक व्यक्ति पीट कर मारा गया था जिसकी जांच हो रही है ? अगर हां, तो जांच करने वाले ने क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री चरणसिंह--दिनांक ११/१२-१०-६० कोतवाली फर्रुखाबाद में मनोहर नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। उसके शरीर पर चोटें थीं। इस संबंध में मजिस्टीरियल जांच की गई और मैजिस्ट्रेट यह निश्चय नहीं कर पाये कि मृतक को किस प्रकार चोटें लगीं। उनकी रिपोर्ट सरकार के विचराधीन है।

श्री गोविन्द सिंह विष्ट--यह देखते हुये कि एक व्यक्ति पुलिस की हिरासत में मर गया और सरकार इंक्वायरी से पता भी नहीं लगा सकी कि वह कैसे मरा, क्या सरकार इसकी मृत्यु का कारण पता लगाने के लिये कोई और उपाय कर रही है कि वह कैसे मरा ?

श्री चरणसिंह--मैंने तो अपने जवाब में कहा है कि उनकी रिपोर्ट विचाराधीन है। सरकार ने अन्तिम निर्णय अभी नहीं किया है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब मैजिस्ट्रेट को कारण पता ही नहीं लग सका तो विचाराधीन क्या है ?

श्री चरणसिंह--विचाराधीन यह है कि उनकी रिपोर्ट स्वीकार की जाय या नहीं। अगर सरकार वह रिपोर्ट स्वीकार कर लेती है तो समझिये कि सरकार आगे कुछ नहीं कर रही है और अगर वह रिपोर्ट सरकार को मंजूर नहीं है, सरकार की उस से संतुष्टि नहीं है तो मोटा नतीजा यह निकला कि वह आगे कुछ कार्यवाही करने जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--उनके पास जो कुछ तथ्य हैं उनके अनुसार जो व्यक्ति मरा उसकी लाश का पोस्टमार्टम हुआ ? यदि हां, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या है ?

श्री चरण सिंह--जी हां, पोस्टमार्टम हुआ। अगर आप इजाजत दें तो उसको मैं पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष--वे यह जानना चाहते हैं कि उसमें उसके मरने का रीजन क्या है ?

श्री चरणसिंह--उसमें यह कहा गया है कि चोटों से मरा है। अब वह चोटें किस के द्वारा लगीं, अभी इस नतीजे पर मजिस्ट्रेट नहीं पहुंचे हैं।

श्री अध्यक्ष--मैजिस्ट्रेट से मैं समझता हूं उसका कोई संबंध नहीं है, वह तो डाक्टर की रिपोर्ट में होना चाहिये।

श्री चरणसिंह--सिविल सर्जन की रिपोर्ट में १० प्रकार की चोटें मनोहर के लगी थीं जो इस प्रकार हैं--

(1) Contused wound 1/2″ × 1/10″ × 1/4″ on the upper lip ;

(2) One area of contusion 12″ × 11 1/2″ on the top and back of left shoulder.

(3) Many scratches and abrasions on the back of left elbow.

(4) Swelling on the whole of middle left thigh.

(5) Contused wound 1/2″ × 1/4″ in front of left leg below the knee.

(6) Abraision contusion 1″ × 1″ on the inner side of the right foot.

(7) Abrasion 2″ × 1 1/2″ in front of the right leg just below the knee.

(8) Area of contusion with multiple abrasions in 10″ × 5 1/2″ on the lower part of right arm, right elbow.

(9) Swelling 1″ × 1″ over part of left eye-brow.

(10) Swelling 1″ × 1″ on the left mastoid region.

सिविल सर्जन का विचार है कि चोट नं० (४) के लगने के तुरन्त बाद ही मनोहर की मृत्यु हुई।

श्री अध्यक्ष--किस हथियार से मृत्यु हुई, ऐसी कोई चीज उसमें बताई गई है ?

श्री चरणसिंह--जो रिपोर्ट की समरी मेरे पास है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसलिये मैं यह ठीक से नहीं कह सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह व्यक्ति किस दफा में गिरफ्तार हुआ था, पुलिस की हिरासत में कब तक रहा और यह अस्पताल में कब भर्ती किया गया ?

श्री चरणसिंह--असल में पुलिस के कथनानुसार हुआ यह था कि एक रिक्शा वाले से किराये के सम्बन्ध में मनोहर से मारपीट हुई थी एक आदमी ने रिपोर्ट लिखाई और इसको जब थाने में लाया गया तो वहां पर इसकी मृत्यु हो गई। कहा यह भी जाता है कि पुलिस ने इसको मारा पीटा, किन्तु पुलिस का कहना यह है कि आपस में इनका झगड़ा हुआ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, अभी माननीय मंत्री जी ने १० इंजरीज को बताया है और यह पता नहीं लग पा रहा है कि यह मरा कैसे? तो क्या माननीय मंत्री जी इसको सी० आई० डी० के सुपुर्द करने की कृपा करेंगे और उसके द्वारा इस मामले की जांच करायेंगे?

श्री चरणसिंह--मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो पुलिस का सर्जन है उससे मैं स्वंय भी संतुष्ट नहीं हूं। अगर आवश्यक समझा गया तो सी० आई० डी० से भी जांच कराई जायेगी।

*६८--श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन) (अनुपस्थित)--[२८ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

जालौन जिले में गैरदस्तन्दाजी मामलों की जांच पर व्यय तथा माधौगढ़ में पुलिस चौकी स्थापित करने की प्रार्थना

*६९--श्री गोविन्दनारायण तिवारी (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में सन् १९५९ व १९६० में कितने गैरदस्तन्दाजी मामलों में पुलिस द्वारा तफतीश की गई और उन गैर दस्तन्दाजी मामलों में कितना सरकारी रुपया गवाही तथा टी०ए० में खर्च हुआ?

श्री चरणसिंह--१९५९ में १४ तथा १९६० में २९ गैरदस्तन्दाजी मामलों में पुलिस द्वारा तफतीश की गई।

चालान हुए मुकदमों के गैर सरकारी (नान आफिशियल) गवाहों के आने जाने व खुराक पर कुल ५४२ रुपया खर्च हुआ। इस संबन्ध में पुलिस कर्मचारियों के टी०ए० पर कितना खर्च हुआ यह बताना संभव नहीं है क्योंकि ये कर्मचारी एक दिन कई मुकदमों के सिलसिले में सदर जाते हैं और किसी एक मुकदमें के बारे में कोर्ट में उपस्थिति का सर्टिफिकेट लेकर टी०ए० इत्यादि प्राप्त करते हैं।

*७०--श्री गोविन्दनारायण तिवारी--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर, १९६० में झांसी डिवीजन के कमिश्नर से कस्बा माधौगढ़, जिला जालौन के नागरिकों ने यह मांग की थी कि कस्बे में पुलिस चौकी स्थापित की जाय क्योंकि उस क्षेत्र में डाकुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है यदि हां, तो इस मांग की पूर्ति करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री चरणसिंह--जी हां। प्रस्ताव पर १९६१-६२ की नई मांगों की अनुसूची के द्वारा विचार किया जा रहा है।

*७१-७२--श्री बलदेवसिंह (जिला गोंडा)--[२८ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*७३-७५--श्री भगवतीसिंह विशारद--[२८ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*७६--श्री गोविन्दसिंह विष्ट--[२३ फरवरी, १९६१ के लिये प्रश्न ६९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

विधायक निवास से गेट असिस्टेंटों का हटाया जाना

*७७--श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या सरकार तारांकित प्रश्न संख्या १, दिनांक ११ सितम्बर, १९५९ के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि उसने विधायक निवास नं० १ (लखनऊ) में सदस्यों के अलावा आने-जाने वाले लोगों के नाम दर्ज करने के लिय सन् ५८ में जो पांच गेट असिस्टेंट ६०-४-८०-५-१२० के वेतन क्रम पर नियुक्त किये थे, क्या वे अब भी कायम हैं? यदि हां, तो क्या उनकी उक्त समय में कोई उपयोगिता प्रमाणित हुई?

श्री राममूर्ति--जी नहीं।

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह गेट एसिस्टेंट कब और क्यों अलहदा कर दिया गया?

श्री राममूर्ति--यह पिछले दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में अलहदा किया गया था। इसलिये अलाहदा किया गया था कि जिस कार्य के लिये यह रखा गया था वह कार्य संतोष-जनक रूप से पूरा हुआ नहीं।

श्री झारखंडेराय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह लोग किस कार्य के लिये या किस नजरिये को लेकर रखे गये थे और वह कार्य क्या पूरा नहीं हुआ?

श्री राममूर्ति--मान्यवर, विधायक निवास के माननीय सदस्यों की शिकायत हुई कि विधायक निवास नम्बर १ में कुछ गैर मुनासिब लोग आया-जाया करते हैं। इसलिए वहां पर ५ आदमी रख दिये गये और एक और रखा गया उनको रिलीव करने के लिये जब कभी वह छुट्टी लें। कुछ दिनों तक काम चला। फिर वहां झगड़ा करना शुरू कर दिया, लोगों ने अपना नाम लिखाने से इनकार कर दिया, इसलिये वह काम पूरा नहीं हुआ।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा--गैर मुनासिब क्या चोरी करने वाले आदमियों के सिल-सिले में रखे गये थे या और किसी प्रकार के गैर मुनासिब आदमी आते थे? क्या रिपोर्ट है।

श्री राममूर्ति--विस्तृत रिपोर्ट तो इस वक्त मेरे पास नहीं है गैरमुनासिब बहुत सी बातें हुआ करती हैं, चोरी भी आ सकती है, वाहियात किस्म के लोग भी आया करते हों, शायद और लोग भी हों।

श्री गौरीशंकर राय--अगर इन लोगों का काम संतोषप्रद नहीं था जो रखे गये तो किसी और तरीके से सरकार गैर मुनासिब लोगों को संतोषप्रद ढंग से रोकने पर विचार कर रही है?

श्री अध्यक्ष--यानी पहले आप असर्ट कर सूचना दे रहे हैं कि ऐसे आदमी आते हैं?

श्री गौरीशंकर राय--हम तो समझते हैं कि नहीं आते, लेकिन क्या सरकार महसूस करती है कि गैर-मुनासिब लोग आते हैं और उनको रोकने के लिये किसी प्रकार की आव-श्यकता है?

श्री राममूर्ति--मैंने अर्ज किया कि पहले कुछ इस तरह की शिकायत थी, जैसा कि जिक्र किया गया कि सामान उठ जाया करता है। लोग जब आने जाने लगे और उनका नाम पूछा जाने लगा तो नाम लिखाने से इनकार किया, फिर वह सिस्टम बंद कर दिया गया। अगर माननीय सदस्य महसूस करते हों अब भी कि ऐसे लोग आया करते हैं जिनकी वजह से नुक्सानात होते हैं तो फिर सोचा जायगा कि प्रबन्ध का क्या तरीका अख्तियार किया जाय।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--इन व्यक्तियों को नियुक्त करते समय माननीय मंत्री जी के पास क्या ऐसी सूचना आयी थी कि इस काम के लिये ये नियुक्तियां हों?

श्री अध्यक्ष--यह तो पहले ही कह दिया कि उनके पास है नहीं इस वक्त।

*७८-७९--राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे--[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर २१ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*८०-८१--श्री जंगबहादुर वर्मा--[हटा दिये गये।]

*८२--कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--[२८ फरवरी, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

इस्माइलपुर में ताजिया निकालने के लिए दीवारों का गिराया जाना

*८३--श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सीतापुर जिले के थाना हरगांव के करीब इस्माइलपुर में लगभग जुलाई, अगस्त, १९५८ में कुछ ग्राम निवासियों के कच्चे व पक्के मकान जिले के अधिकारी, हाकिम परगना, तहसीलदार व थाना इंचार्ज, हरगांव वगैरा ने जाकर अपनी मौजूदगी में स्वयं खुदवा डाले थे? यदि हां, तो उन्हें ऐसा करने के लिये क्यों बाध्य होना पड़ा था?

श्री चरणसिंह--उक्त ग्राम में जुलाई, अगस्त, १९५८ में ऐसी कोई कार्यवाही अधिकारियों द्वारा नहीं की गई। जुलाई, अगस्त, १९५७ में दो व्यक्तियों ने उक्त ग्राम में ताजिया निकालने के रास्ते में दीवारें बनाकर अतिक्रमण encroachment कर लिया था जिसके फलस्वरूप अलम व ताजियों का जुलूस निकलने में शांति भंग होने की संभावना होने के कारण अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्यवाही के पश्चात् अतिक्रमण encroachment हटा दिया गया था।

*८४--श्री शिवप्रसाद नागर (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त ग्राम निवासियों ने मकान खुदाने वाले उन सभी अधिकारियों के विरुद्ध घटना के तुरन्त बाद ही न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया जिसका निर्णय हो चुका है? यदि हां, तो निर्णय क्या हुआ?

श्री चरणसिंह--उक्त ग्राम निवासियों ने घटना के बाद दीवानी में हानि (damages) का एक दावा दायर किया था जो ६-७-६० को मय खर्च के खारिज हो गया और २०० रु० Special costs के रूप में सरकार को दिलाया गया।

समाचार-पत्रों में सदस्य का नाम अशुद्ध छपने पर आपत्ति

श्री रूर्मसिंह (जिला शाहजहांपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रेस वाले मेरा नाम कभी 'रूपसिंह' और कभी 'रामसिंह' (सोशलिस्ट) लिखते हैं और रूर्मसिंह भूल जाते हैं। वे लोग चाय अधिक पीते हैं इसलिये ऊंचा सुनने लगे हैं। साथ ही साथ मेरा १० तारीख को यहां भाषण हुआ, लेकिन उस दिन का कार्यवृत्त जो आज छपा है उसमें जिक्र नहीं किया गया है। मैं नहीं समझ पाता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।

श्री अध्यक्ष--जहां तक अखबार वालों का सवाल है, मैं समझता हूं वे अब आपका नाम याद कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी कोई गलत बात छपती है तो उसमें यही होता है कि संबंधित अखबार वालों को लिख दिया जाता है। आप लिख सकते थे कि ठीक नाम यह है। एक दिन गलत नाम छप भी गया तो, मैं समझता हूं, यह कोई बड़ी चीज नहीं हुई उसके लिये आगे को आगाह करना ही काफी होता है।

जहां तक दफ्तर की कार्यवाही में नाम न छपने की बात है, मैं उसके बारे में जांच करके बताऊंगा कि क्या बात है।

वर्षा, बाढ़ आदि के कारण पश्चिमी जिलों में उत्पन्न भीषण परिस्थिति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वसूली स्थगित करने के संबंध में वक्तव्य की मांग

श्री अध्यक्ष---नियम ५२ के अन्तर्गत श्री टीकाराम पुजारी का बराबर कई दिनों से एक प्रस्ताव मेरे पास आ रहा है। आज मैंने उसको स्वीकार कर लिया है। वह इस प्रकार है --

"नियम ५२ के अन्तर्गत वर्षा, बाढ़, गरमी के कारण जो पश्चिमी जिलों में त्राहि-त्राहि मची हुई है जहां चारा नहीं है, भोजन का प्रबन्ध नहीं, मकान रहने को नहीं। मथुरा, आगरा, एटा, अलीगढ़, मैनपुरी, आदि में जो टैक्स चकबन्दी का वसूल किया जा रहा है, इससे किसानों में बैचैनी फैली हुई। इसको, आज की परिस्थिति को देखते हुए शीघ्रातिशीघ्र स्थगित कर दिया जाय और किसानों के लिये उचित प्रबन्ध करने की कृपा की जाय।

ऐसी अवस्था में वर्तमान स्थिति को देखते हुए संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करके वक्तव्य देने की प्रार्थना करता हूं।"

उनका मतलब यह है कि ओला वर्षा आदि बहुत सी चीजें हुई हैं और बाढ़ भी आयी है, लेकिन फिर भी चकबन्दी टैक्स की वसूली हो रही है, उसको स्थगित नहीं किया जा रहा है, इस विषय में कोई वक्तव्य मंत्री जी देना चाहें तो दे सकते हैं

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---श्रीमन्, परसों देंगे।

श्री रूमसिंह (जिला शाहजहांपुर)---श्रीमन्, मेरा भी प्रश्न नियम ५२ में था।

श्री अध्यक्ष---मैं एक ही ले सकता हूं।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---कानपुर की हड़ताल के बारे में मेरा भी एक प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष---मैं एक दिन में एक ही ले सकता हूं। आप उसे कल फिर भेजिये।

प्रदेश में भीषण वर्षा एवं बाढ़ से हुयी क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष---श्री गोविन्दसिंह विष्ट तथा श्री भुवनेशभूषण शर्मा ने जो नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न उठाया था उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने आज वक्तव्य देने को कहा था वे आज वक्तव्य देंगे।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सभी माननीय सदस्यों को विदित है कि जून से अगस्त तक प्रदेश में जो बाढ़ वगैरा से हानि हुई उसकी सूचना १० सितम्बर, १९६० को हमने दी थी। उसके साथ ही साथ एक स्टेटमेंट भी सदन के समक्ष रखा गया था कि क्या नुक्सान हुआ। जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि सितम्बर के माह में तमाम इस राज्य में औसत से कम बारिश हुई। लेकिन उसके बाद नैनीताल, गढ़वाल, देहरादून, सीतापुर, हरदोई, खीरी, गोंडा, बहराइच, पीलीभीत, और शाहजहांपुर में अक्तूबर के महीने में नार्मल से ज्यादा वर्षा हुई।

	वर्षा जो इस समय हुई	नार्मल वर्षा
मैनपुरी	१२.२४	०.९६
एटा	१०.१३	०.८२
बरेली	१३.४२	१.३१
बदायूं	१२.८१	१.०७

	वर्षा जो इस समय हुई	नार्मल वर्षा
शाहजहांपुर	१७.११	१.४१
पीलीभीत	१६.३६	१.२३
फर्रुखाबाद	१२.९६	१.००
इटावा	१२.६२	०.९९
कानपुर	१०.५०	१.१३
उन्नाव	११.७४	१.२२
लखनऊ	९.४०	१.२४
सीतापुर	१३.५७	१.४३
हरदोई	१४.२२	१.३६
खीरी	११.१३	१.५७

इससे पता चला है कि इन जिलों में नार्मल से दसगुना और ज्यादा बारिश हुई और इस वर्षा के कारण जो वहां की मुकामी छोटी-छोटी नदियां या नाले थे वे उबल चले और उनसे वाटरलागिंग हुआ और वहां की फसल को भी क्षति पहुंची और प्रापर्टी का भी नुक्सान हुआ नुक्सान का तखमीना इस प्रकार है। ६ वर्ष के आंकड़े इकट्ठा किये गये हैं सन् १९५५ से सन् १९६० तक के।

मजरुआ आराजी जो मुतास्सिर हुई :—

१९५५ में १,०२,८८,५१८ एकड़, १९५६ में ६३,८७,८५३ एकड़, १९५७ में ६७,७४,६७५ एकड़, १९५८ में ७४,७६,३६२ एकड़, १९५९ में १,९९,२२६ एकड़ और १९६० में ५२,४१,२२३ एकड़। मवाजियात जो मुतास्सिर हुये।

सन् १९५५ में ३३,८६३; १९५६ में २२,७८५; १९५७ में १४,४८५; १९५८ में २९,०६०; १९५९ में १२,५३ और १९६० में २७,३०१।

मकानात जिनको क्षति पहुंची—

१९५५ में ७,६८,२६४; १९५६ में ४,०३,७४६, १९५७ में २,६३,१५१; १९५८ में १,६०,५३०; १९५९ में १२६ और १९६० में ४,३४,५६५।

ह्यूमेन लाइफ का नुक्सान सन् १९५५ में २३१; १९५६ में १५३; १९५७ में २०८; १९५८ में १६१; १९५९ में ३ और १९६० में ३१३ हुआ। मवेशियों का नुक्सान सन् १९५५ में ५,६९४; १९५६ में २,५९५; १९५७ में १,४४०; १९५८ में २,०१०; १९५९ में निल और १९६० में २,७१५। अक्तूबर में जो सैलाब आया है उसने पिछले सब रिकार्डस को बीट डाउन किया। बहुत ही ज्यादा था, अनप्रिसीडेंटेड था और खासकर गोमती में सैलाब बहुत जोरों का था जिसकी वजह से सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी के जिलों में बहुत क्षति पहुंची। सुल्तानपुर और जौनपुर में भी नुक्सान पहुंचा है, लेकिन पिछले सालों में जो सैलाब आये हैं और उनमें जो नुक्सानात हुए हैं उनसे ज्यादा नहीं था।

हमने जो रिलीफ दी है वह इस प्रकार है। अहेतुक सहायता उसमें हाउस सबसिडी ऐंड अदर रिलीफ वर्क के लिये जो दिया है वह है ३० लाख ५५ हजार ९०० रुपया। टैस्ट वर्क के लिये मंजूर किया गया १२ लाख ९० हजार। तकावी सैंक्शन १ करोड़ १३ लाख ७९ हजार ८४६ रुपया। १७ हजार दो गांवों में हमने लगान और रेवेन्यू सस्पेंड कर दिया है और इन गांवों की जो सालाना आमदनी है रेवेन्यू की वह २ करोड़ ४ लाख ४१ हजार ६७० रुपया है। उसमें से १ करोड़ ६ लाख ५ हजार ६७४ रुपया मुल्तवी या रेमिट होने वाला है। इसकी कार्यवाही हो रही है और वह रकम जो सस्पेंड की जा रही है उसकी वसूली बन्द कर दी गई है।

इसके अलावा सबसिडी के जो रेट्स हैं वह हाउस सबसिडी वगैरह के बढ़ा दिये गये हैं। पहले था गांव के लिये कच्चे मकान के लिये २५ रुपया और ५० रुपया था, अरबन एरिया के

लिये। अब ५० रुपया रूरल एरिया के लिये और १०० रुपया अरबन एरिया के लिये कर दिया गया है और गांव में पक्के मकान के लिये १०० रुपया कर दिया गया है। कवाल टाउन्स में २०० रुपया कर दिया गया है। जो नान एग्रीकल्चरिस्ट्स का रेट था २५० रुपया वह भी ५०० रुपया कर दिया गया है। रूरल एरिया में ५०० रुपया और १ हजार अरबन एरिया के लिये कावाल टाउन्स क लिये २ हजार की लिमिट कर दी गई है। डिस्ट्रेस लोन ५०० रुपया फी फैमिली एलाऊ किया जायगा और यह भी इंस्ट्रक्शन्स जिलाधीशों को भेज दिये गये थे कि जंगल से मकान बनाने का सामान, अमला और घास वगैरह इकट्ठा करके जिनको जरूरत है दिया जाय, कनसेशनल रेट्स पर और फ्री आफ कास्ट भी जहां जरूरत है। रिहैबिलिटेशन के लिये जो डिसप्लेस्ड हो गये हैं जिनके मकानात गिर गये हैं उनके लिये भी ऊंची जमीनें हासिल करके, प्राइवेट निगोशियेशन्स से या यू० पी० ऐक्वीजीशन आफ प्रापर्टी फ्लड रिलीफ ऐक्ट के अन्तर्गत जमीनें हासिल करके उनको बसाने का इंतजाम किया जाय। गांव समाज और फारेस्ट लैंड भी जहां-जहां उपलब्ध थी वे भी काम में लायी गई।

इस तरह से यह साफ जाहिर है कि सरकार ने भरसक प्रयत्न किया और जिलाधीशों को यह भी आदेश दे दिये थे कि रुपये की कमी से रिलीफ वर्क में किसी तरह, किसी किस्म की कोताही न हो सके। जितने पये की जरूरत है मांगें और लोगों की मांग की पूर्ति भी की गई। इस तरह से सरकार ने इस अकस्मात घटना का मुकाबला करने के लिये भरसक प्रयत्न किया। सरकार के भी रिसोर्सेज महदूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हर तरह का प्रयास किया गया कि लोगों को सहायता पहुंचायी जाय और पहुंचायी भी गई।

मैंने दो स्टेटमेन्ट्स सदन की मेज पर रख दिये हैं। एक में तो यह दिया है कि किस जिले में सितम्बर और अक्तूबर के महीने में कितनी वर्षा हुई और दूसरे में है कि कितना नुकसान हुआ और क्या रिलीफ दी गई है। इस सैलाब के रिलीफ काय में नान-आफिशियल एजेन्सीज ने बड़ी सहायता की....

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---कितनी सहायता दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---तमाम खाना बांटा जिसकी तादाद तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन तमाम प्राइवेट एजेन्सीज ने काफी मदद और सहायता की, शहरों में भी और देहातों में भी जहां-जहां वह पहुंच सके, उन्होंने काफी मदद की जिसके लिये वे सराहना के पात्र हैं। अफसरान ने भी जो संकट आ गया उसका मुकाबला भरसक नेकनीयती से करने की चेष्टा की। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को हानि हुई, नुकसान हुआ, उसके लिये हम खेद है और सहानुभूति है।

जहां तक लखनऊ शहर का सम्बन्ध है अध्यक्ष महोदय, एक इनक्वायरी कमेटी बैठा दी गई है जो जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट आने पर ही मुफस्सिल बातें बतायी जा सकती हैं। जहां तक इस शहर के मामलात का सम्बन्ध है।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)---क्या मंत्री जी को मालूम है कि इटावा जिले की बिधूना तहसील में जो तकावी बांटी गई है वह ऐसे लोगों को दी गई है जिनका २०, २५ हजार रुपया बैंक में जमा है और गरीबों को नहीं दी गई जिसके फलस्वरुप वहां पर तमाम राजनीतिक संस्थाओं ने तहसीलदार के खिलाफ प्रदर्शन किया उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप सूचना दे रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---मंत्री जी ने बताया कि देहात के लिये पक्के मकानों के लिये १०० रु० किया गया है तो क्या उन्हें ज्ञात है कि पहाड़ पर खासकर १०० रु० का केवल १०० घनफुट पत्थर ही आता है और इस तरह वहां मकान में ज्यादा रुपया लगता है। इसलिये इस रकम को बढ़ाने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--मैं जानता हूं ज्यादा खर्च लगता है। लेकिन डूबते को सहारा देना हमारा काम है। हम पूरी रकम तो दे नहीं सकते क्योंकि हमारा भी कोष लिमिटेड है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--मंत्री जी बतायेंगे कि हर बाढ़ के समय जो ग्राम डूब जाया करते हैं उन्हें ऊंचे पर बसाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि लखनऊ शहर व जिले से बहुत बड़ी संख्या में दरख्वास्तें सरकारी अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं कि जो उनको सहायता दी गयी है वह बहुत कम है और उसे बढ़ाया जाय तो क्या इस पर सरकार कुछ विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट--सीमा से मिले हुये पिंडारी ग्लेशियर के नीचेदानपुर और बारामंडल में इस तबाही के कारण कोई खास स्टेप नहीं उठाया गया और वहां भुखमरी की हालत है, इसकी क्या सरकार जांच करा कर मदद देने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय सदस्य हमें लिख कर स्पेसिफिक केसेज दे दें तो हम जरूर जांच करा लेंगे।

श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)--लखनऊ में सबसिडी के लिये कितने लोगों ने एप्लीकेशंस दी थीं और कितने लोगों को रुपया नहीं दिया जा सका ?

श्री अध्यक्ष--यह बहुत ब्योरे का सवाल है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--क्या माननीय मंत्री जी अपने विवरण को जो सदन में पेश है उसे देखते हुए यह बतलायेंगे कि विभिन्न जिलों में जो अहेतुक सहायता, अनुदान और ऋण दिया गया है उसका आधार क्या है ? यह दिखलाई देता है कि जिन जिलों में ज्यादा नुकसान हुआ है उनको कम और जिन जिलों में कम नुकसान हुआ है उनको ज्यादा सहायता दी गयी है जैसे हरदोई जिले में ६,७०,४१९ एकड़ जमीन प्रभावित हुई और ६४ हजार मकान गिरे लेकिन सहायता केवल १,१६,६०० रुपये ही दी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जहां के कलेक्टर ने जितनी रकम मांगी उतनी हमने दे दी। अन्दाज वह लगाता है कि जरूरत किस तरह से पूरी होगी।

श्री आर्थर सी० ग्राइस (नाम निर्देशित आंग्ल-भारतीय)--मैंने नवम्बर से कानपुर जिले में गल्ला बांटना शुरू कर दिया, लेकिन मेरे पास ३०० मन गेहूं बचा है, लेकिन उसको बांटने के लिये कोई कनवेयेन्स नहीं है। प्राइवेट एजेंसी की तरफ से हम बांट रहे थे। कलेक्टर से मैंने प्रार्थना की कि कनवेयेन्स का इन्तजाम करा दें तो वह कहते हैं कि आप गेहूं दे दीजिये हम उसे बांट देंगे। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह कनवेयेन्स दिलाने का इन्तजाम करा दें तो हम उस गेहूं का अकबरपुर में जहां फ्लड आया था और जहां का दौरा मैं कर आया हूं और अपनी आंखों से नुकसान देख आया हूं वहां बांट दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन--जिला मैजिस्ट्रेट से हम दरियाफ्त करेंगे कि वह मदद कुछ कर सकता है तो कर दे।

श्री नारायणदत्त तिवारी--जिला मैजिस्ट्रेट का पुराना आधार है तो क्या माननीय मंत्री उसे बदल कर कुछ अपना डिस्क्रिशन भी इस्तेमाल करेंगे और जिलों को अपने डिस्क्रिशन पर सहायता देने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कलेक्टर ठीक कर रहे हैं, कोई गड़बड़ी कर नहीं रहे हैं तो उस आधार को बदलने की क्या जरूरत है।

श्री भजनलाल---मेरी बात को सूचना मान कर उस तहसीलदार के खिलाफ क्या माननीय मंत्री जांच करेंगे जिसने तकावी उस शख्स को दी जिसका ३० हजार रुपया जमा था बैंक में और गरीबों को तकावी नहीं दी गयी जिसके फलस्वरूप अर्जुनसिंह तथा गजेन्द्र सिंह, एम० एल० ए० ने प्रदर्शन किया और जेल गये ?

श्री अध्यक्ष---आप कृपा कर लिखकर भेज दें, यहां इसका जवाब इस वक्त नहीं दिया जा सकता।

श्री मोतीलाल अवस्थी---जिस क्रम से अनुदान व सहायता दिये गये हैं उनसे यह पता लगता है कि रूरल एरियाज को अर्बन एरियाज से बहुत कम सहायता दी गयी है। क्या सरकार पुनः विचार करेगी कि देहात के उन हिस्सों में जहां मकान बनाने के लिये सीमेन्ट, लकड़ी आदि चीजें कम मिलती हैं और शहरों में ज्यादा मिलती है तो यह जो बीच का अन्तर है उसे दूर करने के लिये देहातों को ज्यादा सहायता दी जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---देहात में बनिस्बत शहरों के कुछ चीजें सस्ती होती हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---कौन सी चीजें सस्ती होती हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बहुत सी चीजें, जैसे ईंट।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय माल मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जिला पिथौरागढ़ में भारत-तिब्बत का आखिरी गांव गरबयांग जो सन् १९५४ की वर्षा से भी धंस गया था और इस बारिश से तो बिल्कुल ही धंस गया है, केवल ३६ परिवार वहां पर रह गये हैं, अब वहां पर कोई सहायता देने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---अगर हमारे मित्र लिख कर विवरण देंगे तो मैं तहकीकात करा लूंगा।

श्री रूमसिंह का नाम कार्य-वृत में न छपने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री अध्यक्ष---माननीय रूमसिंह जी ने कहा था कि उनका नाम कार्यवृत्त में नहीं छपा। यह गलती हमारे दफ्तर की हो गयी। जो हमारा कार्य-वृत्त छपता है इसको दुरुस्त करके शुद्धि-पत्र छपवा दिया जायगा। गलती जिस प्रकार से हुई उसके बारे में जो कार्यवाही मुझे करनी है वह मैं करूंगा ताकि आइन्दा ऐसी गलती न हो।

नियम ५३ के अन्तर्गत विवाद की मांग

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, मैंने इसी बाढ़ और अतिवर्षा के सम्बन्ध में दफा ५३ के मुताबिक विवाद करने की आपसे आज्ञा मांगी थी। मुझे आपसे सूचना मिली कि वह तो नहीं दी जा सकती। लेकिन दफा ५२ के बारे में मैंने संतोष कर लिया था कि कानपुर के बारे में कुछ सवाल पूछ सकूंगा, लेकिन उसके एक अंग के बारे में हम पूछ नहीं सके। तो क्या आप दूसरे नियमों के अन्तर्गत हमें पूछने की आज्ञा देने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---बाढ़ का तो अब पुराना मामला हो गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---इसी लिये मैं चाहता हूं कि दफा ५३ के मुताबिक आप समय दे दें।

श्री अध्यक्ष---अब तो ओले के बारे में मैंने कहा है कि जांच करके बतायें।

श्री मोतीलाल अवस्थी--वह तो दूसरी बात है। पहली बात तो यह है कि लगान की वसूली अब भी हो रही है जबकि बाढ़ से सारी फसल तबाह हो गयी है और अमीन लोग जबरदस्ती कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष--वह सब तो ओले में आ जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--यह तो मैं बाढ़ की बात कर रहा हूं, ओले में कसे घुस जायगा ?

श्री अध्यक्ष--जी नहीं, उसमें आ जायगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी--यह तो आप जबर्दस्ती की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--इसे आप वापस लीजिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं तो बाढ़ की बात कह रहा हूं, पहले तो बाढ़ से ही तबाही आयी।

श्री अध्यक्ष--बाढ़ के ऊपर अब बहस नहीं होगी। आप कृपा कर बैठिये।

कांगो के भूतपूर्व अपदस्थ प्रधान मंत्री, श्री पैट्रिस लुमुम्बा की हत्या के सम्बन्ध में चर्चा करने की मांग

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और मैं आपके जरिये आदरणीय मुख्य मंत्री जी से भी उस बात के विषय में प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम सब ने अत्यन्त दुःख और क्षोभ से इस बात को पढ़ा है कि बेल्जियम साम्राजी टुकड़ खोरों द्वारा कांगों के प्रथम प्रधान मंत्री श्री पैट्रिस लुमुम्बा साहब की जघन्य एवं घृणित हत्या कर दी गयी है। यद्यपि यह विषय अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र का है, लेकिन यह ऐसा विषय है जो विश्व शांति के विषय में गम्भीर सम्भावनाओं से भरा हुआ है और हमारे देश एवं प्रान्त की जनता ने भी बहुत ही क्षोभ से इस समाचार को पढ़ा। मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप और माननीय मुख्य मंत्री जी भी किसी शक्ल में इस आदरणीय सदन को अपनी भावनाओं एवं अपने क्षोभ को व्यक्त करने का अवसर दें। ऐसे अवसर पहले भी आ चुके हैं। जब अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर हमें विचार करने का अवसर मिलता है। मैं चाहूंगा कि प्रदेश की जनता के क्षोभ को देखते हुये आप और मुख्य मंत्री जी इसके लिये मौका दें।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि इस विषय में मुख्य मंत्री जी तथा नेता विरोधी दल से बातचीत खुद करके आपको कोई सूचना देनी चाहिये थी। मैं समझता हूं कि यह समय यहां पर प्रश्न उठाने का नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी शायद कार्यक्रम के संबंध में सूचना देंगे।

भावी कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया है वह इस प्रकार से होगा कि :--

१४ फरवरी को उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार एवं उसका पारण।

१५ फरवरी (१) वित्तीय वर्ष १९६०-६१ के द्वितीय पूरक अनुदान का प्रस्तुत किया जाना।

(२) विभिन्न अध्यादेशों को अननुमोदित (डिसएप्रूवल) करने के प्रस्तावों पर, जिनकी सूचनायें सदस्यों ने दी हैं, विचार।

१६ फरवरी (१) उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार एवं उसका पारण।

(२) उत्तर प्रदेश इवैकुई इंटरेस्ट (सेपरेशन) अनुपूरक विधेयक, १९६० पर विचार एवं उसका पारण ।

(३) कोर्ट फीस (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार एवं उसका पारण, तथा

(४) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल के अधिकारी, मंत्री, उप-मंत्री तथा सभासचिव (वेतन तथा भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, १९६१,

१७ फरवरी वित्तीय वर्ष १९६०–६१ के द्वितीय पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद उसकी मांगों पर मतदान तथा तत्संबंधी उत्तर प्रदेश विनियोग १९६०–६१ का द्वितीय पूरक विधेयक, १९६१ का सदन की अनुज्ञा के पश्चात् पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।

१८–१९ फरवरी शनिवार तथा रविवार को बैठक नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष––एक हफ्ते का ही कार्यक्रम दीजिये । परिवर्तन जो किया गया है उसकी सूचना दफ्तर में आनी चाहिये । मैं उसको दफ्तर के जरिये बंटवा दूंगा । एक चीज और रह गई है, आज के कार्यक्रम में जब तारीख १६ को उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ पर विचार करेंगे जो आज उसको पुरःस्थापन करना है और उसकी इजाजत भी लेनी है तो यह चीज रह गई थी उसको पहले आना चाहिये था ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)––अध्यक्ष महोदय, जो अभी सूचना दी है उसमें १५ तारीख को भी कार्य व्यवस्था बताई है । १५ तारीख को सूर्य ग्रहण है और यह एक ऐसा विषय है कि जिसको बहुत से लोग धार्मिक दृष्टि से महत्व देते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि १५ तारीख को सदन की कार्यवाही बंद रखी जाय और उसके बारे में आप जैसी आज्ञा दें उसके अनुसार कार्यक्रम मुल्तवी रखा जाय ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)––श्रीमन्, मुझे एक निवेदन करना है कि जहां तक विधेयकों का प्रश्न है उनके लिये कोई टाइम लिमिट न रखी जाय ।

श्री अध्यक्ष––टाइम लिमिट के संबंध में यह है कि अगर वह कह भी दें तो जब तक हमारी कार्य परामर्श समिति है वह निश्चय नहीं करती है या सदन पास नहीं करता है तब तक मुख्य मंत्री जी कह भी देते हैं तो वह पास नहीं हो जाता है, वह आपके हाथ में रहता है ।

श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)––अध्यक्ष महोदय, यह सात आर्डिनेन्स हैं उनके डिसएप्रूवल के लिये मुख्य मंत्री जी ने एक दिन दिया है । मैं समझता हूं कि एक दिन का समय अपर्याप्त ही नहीं अपितु कुछ नहीं के बराबर होगा ।

श्री अध्यक्ष––आप जो कुछ समय के बारे में कह रहे हैं तो समय का निर्धारण उनके जरिये नहीं होता है, उन्होंने तो अपनी इच्छा बता दी है कि यह होगा ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट–कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के आदमी हों तो वह राय दे सकें । उसके बाद यहां आता है तो कहा जाता है कि तय होकर आया है और हम लोगों को पता नहीं रहता । हमारे टम्बरेश्वर प्रसाद जी हैं नहीं, उनके स्थान पर अगर . . . . . .

श्री अध्यक्ष––कमेटी के सामने कोई नया प्रश्न गया नहीं ।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)––१५ तारीख को ग्रहण है । इसलिये यह सदन प्रश्नोत्तर के बाद तीन बजे तक के लिये स्थगित हो जाय और तीन बजे फिर बैठे ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––१५ तारीख को सूर्य ग्रहण है, दो बजे से तीन बजे के बीच, जो मुख्य समय है, उतने समय में हाउस स्थगित रखा जाय, अगर पूरे दिन

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

स्थगित न कर सकें। दूसरे, आर्डिनेन्सेज जिन पर अननुमोदन के प्रस्ताव आ चुके हैं, उन पर बहस बहुत जरूरी है। उस पर केवल एक दिन बहस हो रही है, जो अनुचित होगा। १६ को तीन चार विधेयक एक ही दिन के लिये रख दिये गये हैं। यह सरकार यों तो सदन बुलाती ही नहीं और बुलाती है तो एक-एक घंटा, पांच-पांच मिनट में पास करवाना चाहती है।

श्री अध्यक्ष--जो निश्चय पहले समिति द्वारा हो चुका है उसमें आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर समिति के द्वारा निश्चय नहीं हुआ है और मुख्य मंत्री कोई कार्यक्रम रख देते हैं तो उस तारीख को वह प्रश्न तो लिया जायगा, वह उस समय में समाप्त होगा या नहीं होगा यह आपके हाथ में है उसमें मुख्य मंत्री निश्चय नहीं कर सकते, कि इसको खत्म होना ही चाहिये। तो इसमें घबराने की बात है नहीं।

१५ तारीख के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री क्या कहना चाहते हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--१५ तारीख को राज्यपाल महोदय की आज्ञा से सप्लीमेंटरी बजट पेश होना है। तो उस खास समय में ही स्थगन हो सकता है, लेकिन सप्लीमेंटरी इस्टीमेट्स तो पेश होंगे।

श्री अध्यक्ष--दो तरह की यहां पर सलाह थी, एक तो पूरे दिन की छुट्टी थी और एक यह कि अमुक समय से अमुक समय तक सदन न बैठे।

मैं समझता हूं कि आम राय यह मालूम होती है कि कल एक बजे से तीन बजे तक सदन न बैठे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--ग्रहण के बाद लोग नहायेंगे और पाठ आदि करेंगे।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि एक बजे के बाद उस दिन सदन स्थगित हो जाय।

श्री अध्यक्ष--तो एक बजे के बाद सदन स्थगित कर दिया जायगा। फिर अननुमोदन के प्रस्ताव दूसरे रोज लिये जायेंगे।

श्री भुवनेश भूषण शर्मा (जिला इटावा)--मुझे यह निवेदन करना है कि ग्रहण तीन बज कर कुछ मिनट तक चलता रहेगा।

श्री अध्यक्ष--एक बजे के बाद उठ जायंगे।

छुट्टी की वजह से कार्यक्रम कुछ बदल जायगा। तो फिर से आप (मुख्य मंत्री) इसके अनुसार जो परिवर्तन होगा, कृपा करके किसी वक्त आज बदला हुआ कार्यक्रम दे दीजियेगा।

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१

शिक्षा उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)--अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने के लिये सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप यादव---अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१ को पुरःस्थापित करता हूं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५७२-५७६ पर)

*उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष---अब उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० के सम्बन्ध में उस दिन श्री गोविन्दसिंह बिष्ट भाषण कर रहे थे वे जारी रखेंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---श्रीमन्, पहले मैं निवेदन कर दूं कि दो संशोधन मेरे हैं एक तो जगदीश शरण जी का भी है और दूसरा जो है मैंने उसे मंत्री जी को प्रेषित कर दिया है । उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया है, उसकी फेयर कापी भी मैं दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष---लेकिन इस समय तो जो भाषण आप पहले दे रहे थे वह आप जारी रखना चाहते हैं या उसे समाप्त कर चुके हैं ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---नहीं, श्रीमन्, वह तो मैं शुरू कर रहा हूं, लेकिन मैंने यह उचित समझा कि जो चीज़ उन्होंने स्वीकार कर ली है उस की मैं इत्तला दे दूं ।

श्रीमन्, जो सेल्स टैक्स का बिल इस समय विचाराधीन है उसके लिये मैंने अक्तूबर के महीने में ही यह प्रस्ताव किया था कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जिसे इसकी परिधि बढ़ाने का अधिकार हो । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे इस पर जरा सी भी तवज्जह देंगे तो मैं उनका अनुग्रहीत हूंगा क्योंकि यह बहुत अहम मसला है । यह अधिनियम पहले सन् १९४८ में आया था तब से अब तक १५ बार इसमें संशोधन हो चुके हैं, १९४८ में संशोधन हुआ, १९५० में दो बार, १९५२ में, १९५३ में, १९५४ में, १९५६ में, चार बार, १९५७ में दो बार, १९५८ में दो बार और १९५९ में एक बार। हमेशा इस विधेयक में संशोधनों को हमने (piece meal) लिया है यानी कभी एक टुकड़े पर पैबन्ध लगाया है और कभी दूसरे पर। दफ़ा ४ में आपको श्रीमन्, याद होगा कि जो संदेह मैंने अर्सा बीता प्रकट किया था कि खामी रह गयी थी तत्कालीन वित्त मंत्री जी को मेरी बात पसन्द नहीं आयी, लेकिन जो शंका मैंने इस आदरणीय सदन में प्रकट की थी वह आखिर सत्य प्रकट हुई। तो यह जरूरी है कि इसको पीसमील न लाकर पन्द्रह बीस दिन माननीय मंत्री जी और ले लें और जब यह अक्तूबर से अब तक रुक सकता है तो और रुक सकता है ताकि यह प्रवर समिति में जाय और उसमें क्या खामियां हैं वहां उनको दूर कर दिया जाय, यह जरूरी है ।

श्रीमन्, सेल्स टैक्स की वजह से जो सब से अधिक तकलीफ हमारे प्रदेश के व्यापारियों को है वह इसकी टेक्नीकलिटीज़ की वजह से है । इसमें फार्म इतने लम्बे चौड़े और पेचीदे हैं कि हर कोई आदमी उनसे बचने की कोशिश करता है और उससे बचने की कोशिश में टैक्स का इवेजन होता है । श्रीमन्, अन्य देशों में इसको समझाने के लिये अधिकारी नियुक्त रहते हैं जो जब सेल्स टैक्स के बारे में सुझाव आते हैं या सरकार की ओर से तरमीमें की जाती हैं तो वे Liaison officers हर प्रकार के रद्दोबदल जनता के सामने रखते हैं और उसके बारे में तरह तरह के पैम्फलेट्स निकालते हैं । वे हर तरह से कोशिश करते हैं कि जनता और व्यापारीवर्ग उसको अच्छी तरह से समझ लें, लेकिन हमारा यहां पर दुर्भाग्य है कि सारी चीजें बताना तो दर किनार उसको और भी गोपनीय जैसा बना कर रखते हैं । टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन के सामने जब यह बात आयी तो उन्होंने जो अपनी राय दी थी वह मेरे पास अंग्रेजी में है उसको मैं श्रीमन् की आज्ञा से अंग्रेजी में ही पढ़कर सुनाता हूं :---

"In Canada, for instance, the Inspecting Officer also acts as a liaison man with the dealers in the area, calling on them, answering their questions and showing them how to keep accounts according to the requirements of the

*११ अगस्त, १९६० की कार्यवाही में छपा है ।

†६ अक्तूबर, १९६० की कार्यवाही से ।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

administration. This is an aspect of Sales Tax administration which in India still awaits development. This maintenance of a separate inspection staff to detect evasion and find out the evading dealers and also to serve as a liaison between the department and the dealers is extremely desirable."

तो, श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से पहले यह निवेदन कर दूं कि असल में जितने सेल्स टैक्स लगे हुये हैं उन टैक्सों का ईवेजन रोक दिया जाय तो नये टैक्स लगाने की उतनी गुंजायश माननीय मन्त्री जी को नहीं रहेगी। आज होता क्या है? ईवेजन होता है, फार्म की जो टेक्नीकलिटीज हैं, पेचीदगियां हैं, ईमानदार आदमी भी उनसे बच कर निकलने की कोशिश करता है क्योंकि कोई भी आदमी फार्म भर नहीं पाता है। इसलिये भी प्रवर समिति में इसके भेजने की जरूरत है।

दूसरी बात जो माननीय मंत्री जी ने उद्देश्य और कारण में बतायी है उसमें वह फरमाते हैं—

"इस विषय में सन्देह प्रकट किया गया है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० की धारा ३—ग का ठीक अभिप्राय क्या है।"

अब धारा ३—ग को श्रीमान्, लें तो इसमें उन्होंने यह दिया है—

"३—ग (१) यदि व्यापारी कोई फर्म अथवा व्यक्तियों का संघ अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब हो तथा ऐसी फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब ने किसी कर-निर्धारण वर्ष की अवधि में व्यापार बन्द कर दिया हो, तो—

(क) इस अधिनियम के अधीन उक्त फर्म, संघ अथवा कुटुम्ब द्वारा व्यापार के इस प्रकार बन्द किये जाने के दिनांक तक की अवधि के लिये देय, अर्थदंड सहित, यदि कोई हो, कर इस प्रकार निर्धारित तथा अवधारित किया जायगा मानो व्यापार इस प्रकार बन्द हुआ ही न हो, तथा . . . ."

तो अब मैं माननीय मन्त्री जी से बाअदब गुजारिश करूंगा कि जब इस तरह के विधेयक आते हैं जिनमें कोई ऐसी बात कह दी जाती है जो आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों की समझ में न आ सके, तो उसके लिए क्या किया जाय, आखिर सरकार की क्या मंशा है? क्या ही अच्छा होता कि जब बिल आता है तो उसके बारे में स्पष्टीकरण पहले से ही सदन को मुहैया कर दिया जाता, क्योंकि श्रीमन्, हम यहां पर लेजिस्लेशन करते हैं इसलिए कि सरकार क्या चाहती है, कैसा कानून बनाना चाहती है, उसके लिए क्या क्या चीजें हमारे पास हैं और जनता की क्या दिक्कतें हैं, उन्हें हम किस तरह से दूर कर सकेंगे, इन तमाम बातों पर विचार करके तब लेजिस्लेशन होना चाहिए। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए, ठीक लेजिस्लेशन जिससे हो और जिससे जनता की भलाई हो तथा सरकार के भी टैक्स वसूल हों, हमको पूरे पूरे डिटेल्स और डेटा मिलने चाहिए। पर हमें तो यह पता भी नहीं है कि क्या सन्देह प्रकट किया गया जिसको सरकार दूर करना चाहती है। जिस सन्देह को दूर करने के लिये आदरणीय सदन से यह कहती है कि हम यह बिल ला रहे हैं हम लोगों को यह पता ही नहीं कि वह सन्देह क्या है तथा किसने प्रकट किया है। जब हमें पता ही नहीं कि मर्ज क्या है तो हम उसकी दवा क्या बता सकते हैं कि फलां दवा कारगर होगी।

तीसरी बात श्रीमन्, इस बिल में एक बड़ी व्यापक शक्ति सरकार ले रही है। उसमें आगे कहा गया है कि "मतभेद इस बात पर है कि क्या धारा ३—ग के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह कर निर्धारक अधिकारी को उन संस्थाओं पर, जिन्होंने कारोबार बन्द कर दिया है, किसी भी अवधि के लिये कर निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार देती है". . .श्रीमन्, अगर हम विधेयक को देखें तो यह शब्द यानी "किसी कर निर्धारण वर्ष की अवधि में" निकल जाने के बाद एक अनलिमिटेड

पावर्स हम सरकार के हाथ में दे देंगे। सरकार के हाथ के मानी हैं कर-निर्धारक जो अधिकारी हैं उसके हाथ, उनमें बहुत बड़ी शक्ति चली जाती है। वह इस तरीके से कि अब तक जो व्यवस्था थी इस कानून में उसके मुताबिक़ किसी कर-निर्धारण वर्ष की अवधि में ही यह हो सकता है। मान लीजिये कि एक हिन्दू ज्वाइंट फर्म हो और वह डिज़ाल्व हो गई हो तो उस साल के अन्दर कहा जा सकता था कि तुम्हारा असेसमेंट होना चाहिये था, १२ हजार की लिमिट तुम एक्सीड करते हो, उसके हिसाब से तुमको देना पड़ेगा, लेकिन अब इस नयी तरमीम के मुताबिक़ सीमा हीन रेट्रास्पेक्टिव एफेक्ट होगा और टैक्स किसी भी पुराने साल का वसूल हो सकेगा। एक तरफ हम यह जानते हैं कि सरकारी दफ्तरों में भी १२ साल या ६ साल में फाइलें weed out हो जाती हैं। अगर हम पुराने रेकर्ड देखना चाहें तो सरकार के यहां से जवाब मिलता है कि अब तो फाइल weed out हो गई। दूसरी तरफ़ यह अनलिमिटेड पावर उनको देने का क्या अर्थ होगा। मान लीजिये कि कोई ज्वाइंट फर्म है जो डिज़ाल्व हो गई है उसका रेकर्ड अब वह क्या पुश्तों तक रक्खेंगे अथवा जब तक कि वह जिन्दा हैं तब तक। वर्तमान संशोधन के अनुसार उनके लड़कों से भी हिसाब मांगा जा सकता है, तो तब उन्हें रेकर्ड रखना होगा असीमित काल तक, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन सरकार ने नहीं रखा है कि कितनी अवधि तक वह मांगा जा सकता है। तो ऐसी निरंकुश ताकत एक मामूली सेल्स टैक्स अधिकारी के हाथ में देना सरासर गलत होगा। इसलिए इसके बारे में भी हमें प्रवर समिति में विचार करना है।

चौथी बात मैं यह निवेदन कर दूं कि हमारे यहां आज तक भी जो सेल्स टैक्स आफिसर्स हैं उनको बहुत बड़ी पावर्स हैं यानी एक हमारा सेल्स टैक्स बना हुआ है और उसी किस्म का सेन्ट्रल इन्कम टैक्स ऐक्ट भी चलता है लेकिन उसके अधिकारियों को वह ताक़त नहीं है जो यहां पर सेल्स टैक्स के अधिकारियों को दी गई है। कोई ऐसी बात भी नहीं है कि इन लोगों को बड़ा भारी अनुभव हो या नौकरी में बहुत पुरानी सर्विसेज़ के लोग हों उनको ही लिया जाय। हम देखते हैं मुन्सिफ को या जज खफीफा तक को बड़ी ताक़त एक दम नहीं दी जाती। उनको जैसे जैसे तजुर्बा होता जाता है वैसे वैसे ताक़त दी जाती है। उनके अनुभव के बाद उनका जुरिस्डिक्शन बढ़ाया जाता है, लेकिन यहां सेल्स टैक्स के अधिकारियों को कोई अनुभव हो या नहीं, उनको सारी की सारी ताकत प्रदान कर दी गई है। उसका नतीजा यह होता है कि वह अपने अधिकार का पूरा प्रयोग ही नहीं बल्कि दुरुपयोग करते हैं। इतनी बड़ी ताक़त देने के लिये कमीशन ने यह कहा था कि:—

"The Sales Tax authorities enjoy, in certain respects, wider powers than the Income-tax authorities. It is obvious that powers of this kind, most of which can be abused and many of which can result in needless harassment unless exercised with restraint, should be vested only in officers of adequate seniority and rank."

टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन ने भी यह कहा है कि सोच समझ कर सीनियर अफसरों को यह ताक़त देने की ज़रूरत है। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि कितनी ताक़त किस अधिकारी को दी जाय इस बात की जांच करने की ज़रूरत है। इस आदरणीय सदन के पास इतना समय नहीं है कि यहां पर जल्दी से सब बातों को तय कर लिया जाय। लिहाजा जैसे मन्त्री जी ने इसको इतने महीने तक रखा है उसी के अनुसार कुछ समय तक और विचार करने के लिये इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)— सदन में श्रीमन्, कोरम नहीं है।

घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट——मैं यह भी अर्ज कर दूं कि इस प्रदेश के ऊपर एक सबसे बड़ा कलंक यह है कि खाने की चीजों पर यहां भी टैक्स लगता है। यहां पर खाद्यान्नों पर मल्टीपिल टैक्स है। मैं जानता हूं और मैंने मंडियों में जाकर देखा है कि यह जो ट्रान्जेक्शन होते हैं उनमें किसानों से गल्ला कन्ज्यूमर तक पहुंचते-पहुंचते ५, ६ हाथों से गुजरता है। हर जगह पर वैसे एक परसेन्ट बिक्री-कर है। सरकार की नीति के मुताबिक, सरकार के जो रूल्स बने हुए हैं उनके मुताबिक किसान, जो पैदा करने वाले हैं, उनके ऊपर यह टैक्स नहीं पड़ता और उससे नहीं लिया जाता। सरकार का यह मन्शा नहीं है कि उनसे लिया जाय, लेकिन फिर भी उनसे लिया जाता है। वह आढ़तिये उनसे कमीशन के रूप में ८ आना तक फी सैकड़ा लेते हैं। तुलाई के लिये कुछ परसेन्ट या और किसी के नाम से उनसे लेते हैं। एक परसेन्ट तो सरकार का टैक्स हर प्वाइन्ट पर आता है और ८ आना परसेन्ट आढ़तिये तुलाई वगैरह के नाम से ले लेते हैं। एक बिक्री पर डेढ़ परसेन्ट और ६ पर का ९ परसेन्ट टैक्स हो गया। इस प्रकार से १०० रुपये का गल्ला जो है वह कन्ज्यूमर को १०९ रु० में जाकर पड़ता है। यह ९ परसेन्ट सरकार नहीं लेती है, लेकिन यह रुपया कन्ज्यूमर से लिया जाता है। सरकार को केवल इस सारे हेरफेर में एक रुपया मिलता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब यह रुपया सरकार को नहीं मिलता है तो इस रुपये को बचाने की जरूरत है जिससे कन्ज्यूमर को लाभ पहुंच जाय। गल्ला कोई लक्जरी की गुड्स नहीं है। टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि खाने की चीजों के लिये एक्जेम्शन होना चाहिये। इसके पेज ६५ पर लिखा है :——

"The most important exemption, so far as the single-point part of the system is concerned, would be foodgrains. The low-income groups spend a very large percentage of their incomes upon food and they would already be paying the multipoint tax on this under the proposed system" ..... "Generally, the exemptions under the single-point system should be confined to commodities which figure substantially in the cost of living of the poorer sections."

तो खाने पर, रोटी पर टैक्स शोभा की चीज नहीं है, एक कलंक मात्र है। माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम ने, जब पहले पहल यह बिल पेश हुआ था, अपनी तकरीर में जो फरमाया था उसे मैं आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं। यह उद्धरण १२ फरवरी, १९५८ की कार्यवाही का है। उन्होंने कहा कि "आज गल्ले पर जो टैक्स यहां लगा हुआ है वह टैक्स लगा हुआ नहीं है एग्जेम्प्शन फी लगी हुई है। उसमें मैं बढ़ोत्तरी करने के लिये कभी बरदाश्त नहीं कर सकता और इस बात को सोच सकता हूं यकीनन अगर उसमें किसी तरह से कमी हो सकती है तो कमी कर दूं जहां तक भी मुझ से कमी हो सकती है। यू० पी० की गवर्नमेंट इसके लिये बिल्कुल तैयार है कि जिस वक्त भी उसको इसका मौका आये वह गल्ले के ऊपर सेल्स टैक्स बिलकुल उठा लें"। तकरीबन उन्होंने यह बात कही थी कि सरकार इसको जल्द से जल्द उठाना चाहती है। मुझे ऐसा भी याद पड़ता है कि एक बार उन्होंने यह कहा था कि अगर हमें इतना रुपया मिल जाय तो हम गल्ले पर से टैक्स खत्म कर देंगे। श्रीमन्, आप देखेंगे कि १९५९–६० में ६ करोड़ ६५ लाख की इससे आमदनी का इस्टीमेट था, लेकिन वह ८ करोड़ २८ लाख हो गयी रिवाइज्ड में। जब इस्टीमेट से ज्यादा आमदनी हो रही हो तो मंत्री जी को अन्न पर से टैक्स उठाने की बात पर विचार करना चाहिये और इस पुण्य का भागी उनको बनना चाहिये। यह मैं मानता हूं कि तात्कालिक मंत्रिमंडल जो आया है वह दो एक काम अच्छे कर रहा है और हमें भले कामों की सराहना करनी चाहिये। कई काम काफी अच्छे हो रहे हैं। आज कल मंत्री लोग पत्रों का जवाब देने में जल्दी करते हैं। पहले तो हम पत्र लिखते-लिखते थक जाते थे, लेकिन जवाब नहीं मिलता था। मद्रास के एक महाशय ने खूब कहा था कि दिल्ली की सरकार को चाहे जितना अप्लाई करते जायं कोई जवाब नहीं मिलता,

लेकिन उससे अच्छी हमारी मद्रास की गवर्नमेंट है जिसके बारे में उन्होंने कहा कि आप सुबह अप्लाई करिये शाम को आपको जवाब मिल जायगा कि वेकेन्सी नहीं है।

(इस समय १२ बजकर ५८ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री जगदीशशरण अग्रवाल पीठासीन हुए।)

"Delhi Government is a bad bad government, apply apply no reply—while Madras Government is a good good Government, morning apply, evening reply—no vacancy".

तो मैं निवेदन करूं कि सरकार पहले से वादा करती रही है कि जब आमदनी काफी हो जायगी तो फूड ग्रेन्स पर से सेल्स टैक्स उठा लिया जायगा। इसके साथ ही श्रीमन्, एक कच्चे आढ़ती का सवाल है। अनुभव ऐसा बतलाता है कि कच्चा आढ़ती केवल हेल्पर है। वह कुछ खरीदता नहीं, न पैसे लगाता है, केवल किसान का माल बिकवा देता है, उसे उसमें मदद करता है और अगर इस प्वाइंट पर भी हमने टैक्स ले लिया तो उससे टैक्स का इवेजन कैसे होता है। श्रीमन्, इस विधेयक की जो धारा ३ है उसके (चच) खंड को देखें उसमें लिखा है—"कर-निर्धारक अधिकारी या सहायक बिक्री-कर कमिश्नर अथवा बिक्री-कर कमिश्नर के समक्ष व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर और अपीलीय अधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों के ज्ञापन-पत्रों तथा पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्रों पर या किन्हीं अन्य प्रार्थना-पत्रों पर फीस निर्धारित करना"। तो इस सम्बन्ध में मैं निहायत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि पहले भी माननीय वित्त मंत्री ने, जब वे इस बिल को लाये थे, इस तरह की फीस लगाने का कारण यह बताया था कि बहुत सी Frivolous appeals आ जाती हैं और उनको रोकने या कम करने के लिये ही वे इस तरह की फीस लगाना चाहते हैं। मेरा खयाल है कि जब सेल टैक्स आफिसर भी इस तरह के केसेज को करते होंगे तो वे सी० पी० सी० तो पढ़ते ही होंगे। उसके अनुसार कोई भी अपील यूं ही परेशान करने के इरादे से की गयी हो तो अदालत को उस पर कास्ट डालने का अधिकार रहता है। तो जब उस सी० पी० सी० के अनुसार अदालत उस पर कास्ट लेवी कर सकता है तो उसके रहते हुए इस फीस को लगाने की कोई जरूरत रह ही नहीं जाती। यह तो मैं समझता हूं कि सरकार का एक बहाना मात्र है। मान लीजिये कि कोई गरीब आदमी है और उसकी बिक्री नहीं होती है तो वह अर्जी देता है, अगर उस पर उसकी बात मंजूर नहीं होती तो वह अपील करता है इसलिये उस अपील पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। फिर इस बात का भी प्रावीजन होना चाहिये कि अगर कोई इस तरह की अपील करता है और वह उसमें जीत जाता है तो उसको वह पैसा रिफन्ड हो जाना चाहिये। क्योंकि आप तो उससे कोर्ट फीस का पैसा इसलिये लेते हैं कि कोई frivolous appeal न हो।

इसके अलावा एक चीज मैं और माननीय मंत्री जी की सेवा में निहायत अदब के साथ गुजारिश कर देना चाहता हूं कि कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि बिल्कुल नये लोग, नौसिखिये लोग, जिनको फैसला करने का कोई तजुर्बा भी नहीं होता, उनको अपील सुनने के अधिकार दे दिये जाते हैं। तो वे Judicial तरीके से नहीं सुनते। इस सम्बन्ध में मेरी मांग है कि यह अधिकार ऐसे व्यक्ति को होने चाहिये जो कि कम से कम जिला जज की श्रेणी का हो। वह आदमी डिस्ट्रिक्ट जज के रुतबे का होना चाहिये। अतः मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसको प्रवर समिति में भेजने के संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें ताकि वहां पर व्यापक तरीके से इस पर विचार हो सके।

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उपरोक्त विधेयक को एक मास के लिये जनमत संग्रह के लिये प्रसारित कर दिया जाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

श्रीमन्, अभी जो पूर्व वक्ता ने इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कही उसके लिये उन्होंने कहा कि वह अपनी रिपोर्ट १५ दिन के भीतर दें, मैंने उसमें १५ दिन और बढ़ाकर १ मास के लिये जनमत संग्रह के लिये प्रसारित करने की प्रस्तावना अपने संशोधन में की है। इसके कुछ कारण हैं। पहले यह बिक्री-कर विधेयक पिछले मंत्रिमंडल के द्वारा इस विधान सभा में प्रस्तावित था जो कि ७ मई को स्थगित कर दी गयी और उसके बाद सारी गवर्नमेंट की स्थिति ऐसी अनिश्चित रही कि यह नहीं कहा जा सका कि जिस गवर्नमेंट ने इस बिक्री-कर संशोधन नियम को प्रस्तुत किया है उसको अब आने वाली सरकार किस रूप में मानेगी या स्वीकार करेगी, वह इसको वापस ले लेगी या उसमें कोई आमूल परिवर्तन करेगी। ऐसी अनिश्चितता में ही ये ४–५ महीने गुजरे। हमारे सामने यह फिर उसी रूप में आया जिस रूप में पूर्व मंत्रिमंडल ने संशोधन चाहे थे। इस बीच में जनता यह नहीं जान पायी कि क्या सोचे और क्या संशोधन सरकार इस विधेयक के द्वारा चाहती है। जनता को सोचने का समय नहीं मिला, यही जन-मत-संग्रह के लिये भेजने का कारण है।

सौभाग्य की बात है कि अधिष्ठाता महोदय, आप आज सदारत कर रहे हैं और बिक्री-कर की आपको जानकारी ज्यादा है। अगर हम अपने विचार सदन में आपके सामने रखें तो सदन उन्हें ध्यानपूर्वक सुनेगा। बिक्री-कर संशोधन विधेयक जब-जब हमारे सामने आया तो उसके वसूल करने के आधार-भूत सिद्धांतों का सिंहावलोकन करने का हमको मौका मिलता रहा। यह कोड़ियों बार संशोधित हो चुका है, एक-एक साल में ६–७ बार संशोधन हुआ है। अब १९६१ में कितने बार संशोधित होगा इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। यह भी हमें विश्वास है कि सरकार अपने संशोधनों को विचारपूर्वक प्रस्तुत नहीं करती और जब कभी हाई कोर्ट द्वारा उसके नियमों में इनवेलिडिटी दिखलाई पड़ती है तब सरकार ऐसे संशोधन विधेयक ले आती है। इसके उद्देश्य और कारण में इशारा किया गया है कि 'मतभेद इस बात पर है कि क्या धारा ३(ग) के बारे में यह कहा जा सकता है कि वह कर-निर्धारक अधिकारी को उन संस्थाओं पर जिन्होंने कारोबार बन्द कर दिया है किसी भी अवधि के लिये कर-निर्धारण करने का पूर्ण अधिकार देती है और क्या उक्त धारा के उपबन्ध कर-निर्धारण के पिछले मामलों पर प्रवृत्त किये जा सकते हैं"। यह संदेह स्वयं इस बात की पुष्टि करता है कि इसे जन-मत संग्रह के लिये भेजना बहुत आवश्यक है। यह जो संदेह हुआ यह इतने पिछड़ कर क्यों हुआ? क्या यह सरकार की अयोग्यता या अनिश्चितता जाहिर नहीं करता है?

पहले संशोधन विधेयक में ३ मुख्य-मुख्य संशोधन प्रस्तावित हैं और उन्हीं पर गौर करना है कि बिक्री-कर विधेयक को किस तरह से पारित किया जाय। जनमत संग्रह के लिये मैंने जो बात रखी है उसमें यह निहित है कि जब पूछा जायगा तो उसमें उन सभी लोगों का मत जानने का मौका मिलेगा जो बिक्री-कर से पीड़ित हैं और जो बहुत सी मौलिक बातें जनता के सामने आती रही हैं और जनता अपनी रायें सरकार के पास प्रस्तावों द्वारा और अपने एसोसिएशन्स के डेपुटेशन्स के द्वारा पहुंचाती रही है उन पर सरकार विहंगम दृष्टि डालकर समझने की कोशिश करेगी। यह एक ऐसा विधेयक है जिसके संबंध में सरकार का मस्तिष्क कभी भी साफ नहीं रहा है। सरकार स्वयं नहीं समझती है कि वह किस प्रकार का कानून बना रही है। वह करने जाती है कुछ और बन जाता है कुछ। परिणाम यह होता है कि उसमें चूते हुए हिस्से और सूराख दिखाई देते हैं। उनको सरकार फिर लेसती पोसती है, लेकिन घड़ा फिर दूसरी जगह से चूने लग जाता है। यह सरकार निश्चित नहीं कर पायी कि इस कर को कैसे वसूल किया जाय। परन्तु इस पक्ष के जो लोग हैं वह इस कर-निर्धारण के बारे में अपनी निश्चित राय रखते हैं। हम समझते हैं कि कर निर्धारण में इस बात का ध्यान रखा जाय कि वह छोटे छोटे दुकानदारों पर न पड़े जो इस समय

अपना उपार्जन बहुत कम बढ़ा पा रहे हैं। यदि यह बिक्री-कर उन लोगों पर पड़ता हो जो व्यापार में अपनी बिक्री के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ उठा रहे हैं और यदि उनसे यह सरकार किसी क्रम के अनुसार, किसी अंश में उनसे कर वसूल करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन सरकार उस रुपये को उसी वर्ग में उनकी सहायतार्थ व्यय करे।

परन्तु यह विधेयक शुरू से सन् १९४८ से हमारे सामने जब से आया उस समय से हम देखते हैं कि इसका झुकाव और इसकी प्रवृत्ति धीरे-धीरे गरीबों की ओर बढ़ती जा रही है। यद्यपि सरकार कहेगी कि सीधे-सीधे कोई कर नहीं लगता है, लेकिन वह कितना ही कहे यह कर कन्ज्यूमर्स पर और छोटे-छोटे दुकानदारों के द्वारा किसानों पर पड़ता है क्योंकि हर चीज का मूल्य उसके असल मूल्य से बढ़ जाता है।

इस बिक्री-कर की वसूलयाबी में सरकार ने जो मशीनरी या विभाग बनाया उसने कोढ़ में खाज पैदा कर दी। सरकारी विभागों के कर्मचारियों के प्रति हमारी धारणा रही है कि वे सरकार का कम पैसा वसूलते हैं, लेकिन अपने पेट को बढ़ाने के लिये ज्यादा रिश्वत खाते हैं और हमारी यह धारणा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और इस बिक्री कर के हमारे सामने आते ही वह तसवीर हमारे सामने आ जाती है कि किस प्रकार से अपने पेटों को बढ़ाने के लिये यह अधिकारी ऐसे मौके ढूंढ निकालते हैं। इस बिक्री-कर के संबंध में पिछले संशोधनों में जिसका नम्बर मुझे याद नहीं है, जिसके मुताबिक यह बिक्री-कर लगने की बात आई कि कोई भी फर्म, कोई भी संघ, कोई भी संयुक्त परिवार पर यह लगे और उसके लगाने के लिये एक तरीका सरकार के सामने आया। आगे चलकर के उस फर्म में या किसी कुटुम्ब में कितने समय तक ज्वाइन्ट मानने के बाद आपस में डिसज्वाइन्ट हो तब कैसे कर लगाया जाय और किसी प्रकार से विघटन, पुनस्संघटन या हस्तांतरण, ऐसी स्थिति में या हिन्दू कुटुम्बों के विभाजन पर फिर कैसे लगाया जाय, इस संबंध में सरकार समय-समय पर संशोधनों को लाकर अपने विचारों को बदलती रही है। अब हमें यह देखना है कि उनको हर प्रकार से रोक देने के बाद अब सरकार एक दो संशोधन खंड २ में और ला रही थी यह कहकर कि "किसी कर निर्धारण वर्ष की अवधि में" ये शब्द निकाल दिये जायं तथा खण्ड २ (क) में आये हुए शब्द "की अवधि के लिये" निकाल दिये जायं।

ये दो संशोधन साधारण संशोधन नहीं हैं। इन दो संशोधनों को लाकर सरकार अपने लिये एक लम्बा रस्सा लेना चाहती है जिससे चाहे जिसको जिस प्रकार से बांध ले, ऐसा एक बाहुपाश लेना चाहती है जिसमें सभी को बांध लिया जाय। इसके लिये वे कहते हैं—

"इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त संदेह को ध्यान में रखते हुए, विघटित या पुनर्गठित संस्थाओं पर कर-निर्धारण करने के संबंध में अब तक की गयी कार्यवाहियां उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३२, १९५७ के प्रारम्भ होने के पूर्व की गयी हों या बाद में।"

अब अपनी की हुई गलती को महसूस करके सरकार अपने पिछले किए हुए दोषों को भी ढक देती है और आगे आने वाले दोषों को भी ढकने का प्रयास करना चाहती है। कर निर्धारण करने वाले वर्ष की अवधि को हटा रही है। अब तक तो उसकी अवधि साल भर की होती थी, लेकिन अब वह कहती है कि इस साल भर के शब्द को ही नहीं रखेंगे। आगे पीछे जितना चाहे उसको बढ़ा लेंगे। १८, २० महीने या २, ४ साल का उसको बना लेंगे। इसके अतिरिक्त अगर गलती हुई है तो उसके दोषी नहीं होंगे। वे हमेशा सही होंगे। इसके लिये उन्होंने बिक्री-कर साल की परिभाषा को ही हटा दिया है। यहां केवल एक मंत्री ही बैठे दिखायी पड़ते हैं। मालूम पड़ता है यादव जी हर विषय के ज्ञाता हैं। शायद हाउस में वही एक चिराग हैं, यादव वंशी हैं न। हम तो इस पक्ष में हैं कि सरकार का बिक्री-कर बिलकुल भी इवेड न हो पाये। किसी जगह भी एक पाई सरकार की न रहने पाये। बड़े-बड़े लोगों के पास भी न रह पाये। कानपुर में करोड़पति हैं जिनके पास ३–४ करोड़ रुपया अब भी टैक्स के रूप में बाकी है और उनको बिजली भी माफ है, किराया भी माफ है। इसी प्रकार से गन्ने वालों के पास भी सरकार का करोड़ों रुपया बकाया

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

है जो वसूल नहीं हो रहा है। हम नहीं चाहते कि सरकार किसी प्रकार भी इस तरह की ढील करे, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि सरकार अपनी नीयत को साफ रखे। यह न हो कि अपनी नीयत साफ न हो और कसूर व्यापारियों पर डालें। उसको साफ कह देना चाहिये कि इतने समय का इतना बकाया हम लेना चाहते हैं बजाय इसके कि वे ऐसा करें कि साल ही गायब कर दें। पहले भी संघ, एसोसिएशन, कुटुम्ब और फार्म बढ़ा दिया गया था। अब उन लोगों के हर काम पर भी सीमा बढ़ा दी गई है। उसके स्पष्टीकरण में लिखा है कि "किसी फर्म अथवा व्यक्तियों के संघ का विघटन अथवा पुनस्संघटन, अथवा किसी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण अथवा संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का विभाजन, इस धारा के अर्थ में व्यापार का बन्द किया जाना समझा जायगा"। यानी कितने ही स्टेज व्यापार में ऐसे हुआ करते हैं कि हैंड्स चेन्ज होते हैं, ज्वाइन्ट फेमिली में या फर्म्स में भी अक्सर सेपरेशन की बात आती है तो ऐसे सभी सम्भावित परिवर्तनों को सरकार ने इसकी परिधि में लिया है। सेपरेशन की या ज्वाइन्ट होने की सम्भावना हो सकती है, यह पहले ही सरकार के हाथ में था। अवधि भी अब वह एक साल के अन्दर बढ़ाकर जितनी चाहेंगे कर लेंगे। एक तो मूल परिवर्तन यह है, लेकिन मैं कहूंगा कि दूसरा परिवर्तन जो सरकार इस बिल में ला रही है वह बड़ा मौलिक परिवर्तन है।

क्या कारण था कि सरकार को अब तक इस बात की आवश्यकता नहीं हुई कि बिक्री-कर के अन्तर्गत जितने भी वाद हों उनमें बिना कुछ फीस लिये सभी सूटस को हम देखेंगे। अब तक पता नहीं सरकार किस धर्मयुग में या सतयुग में थी और अब आगे न मालूम किस महानयुग या अधर्म युग में जा रही है कि जितने भी वाद हों, छोटे हों या बड़े हों--मैं एक छोटी-सी मिसाल दूं कि एक छोटे से दूकानदार को या एक खोमचेवाले को नोटिस गया कि क्यों न तुम्हारे ऊपर इतना कर लगाया जाय। वह तो कोई रिकार्ड भी नहीं रखता। इसमें लिखा है कि "कर-निर्धारक अधिकारी या सहायक बिक्री-कर कमिश्नर अथवा बिक्री-कर कमिश्नर के समक्ष व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर और अपीलीय अधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों के ज्ञापन-पत्रों तथा पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्रों पर या किन्हीं अन्य प्रार्थना-पत्रों पर फीस निर्धारित करना"। अब यह प्रार्थना-पत्र चाहे छोटे ही हों, कोई कहे कि हम बहुत गरीब हैं हम पर टैक्स न लगाया जाय, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि कचहरी तक आने का रेल खर्च भी उठा सकें। उसको भी कुछ न कुछ परेशानी और खर्च करना होगा।

अब यह फार्मों की बात है, इन फार्मों का मिलना तक इतना कठिन है, एक ग्रामीण जब ३ बार आता और लौटता है तब कहीं उसको फार्म मिलते हैं, कभी कह देते हैं अभी छपे नहीं हैं, कभी कह देते हैं आजकल खत्म हो गये हैं, कई बार वह लौटता है, जब पहले हथेली गर्म कर दी जाय तब वह मिलते हैं। अब तो उन पर टिकट भी लगेगा और उसको हर हलात में अपने स्थान से चलकर कार्यालय तक फीस के फार्म को लेने के लिये आना होगा। एक साधारण-सा प्रार्थना-पत्र अगर किसी छोटे से दूकानदार को देना होगा तो उसको कितनी परेशानी होगी। एक मामूली से मामूली इजाजत लेने में उस को कितना दौड़ना पड़ेगा। मैं एक मिसाल बता दूं कि एक पासी का कुंआ खोदना था, इसकी कुंआ खोदने की रिपोर्ट करनी पड़ती है, वह रिपोर्ट लिखाने गया तो रिपोर्ट लिखने वाला कहता है कि कुछ लाये भी हो या वैसे ही खाली हाथ चले आये, जब कुछ दो तभी रिपोर्ट लिखेंगे। बेचारा दो दिन तक इसके लिये ही बैठा रहा। वह जो सरकार का नुमाइन्दा होता है, जिसे बाबू कहते हैं वह फार्म तभी देता है जब वह दूकानदार को खड़ा रखता है। जो इस सरकार का नुमाइन्दा होता है वह बिना अपनी पाकेट गरम किये हुए उस बेचारे किसान को एक प्रार्थना-पत्र क्यों दे देगा? अब तो उसको फी शुदा कागज किसी से लिखाना भी पड़ेगा और लिखाई भी कितनी होती है यह आप जानते हैं। बीस आना और डेढ़ रुपया भी लिया जा सकता है।

मैं मानता हूं कि बड़े-बड़े जो मुकदमेबाज हैं, जिनके हजारों रुपयों के वाद होते हैं, उन्हें हजारों रुपयों को बचाना होता है। वे तो आदतन लड़ेंगे ही, लेकिन यहां जो इतना व्यापक रख दिया गया है कि "किन्हीं अन्य प्रार्थना-पत्रों पर", तो इसमें यह है कि एक झाड़ू से सबको बुहारा गया है। यह कहीं नहीं कहा गया है कि इस स्थिति में यह एक्जेम्प्शन होगा। मैं चाहूंगा कि जहां गरीब की बात आती हो उसके लिये कुछ किया जाय कि इसमें फीस नहीं लगेगी। १०० रुपये के बाद में या ५०० रुपये के बाद में या इतने दायरे में नहीं लगेगी। अन्यथा गरीब मर जायगा और जिनके पास पैसा है, जो बड़े-बड़े लोग हैं, वह तो बट्टे में डालकर वसूल कर लेंगे। एक भी व्यापारी अपने मुनाफे में से एक पैसा भी बिक्री-कर में नहीं निकलने देता। सारा बोझ उस कंज्यूमर पर पड़ता है जिसके हाथ वह सौदा बेचता है। अब उन कंज्यूमर्स पर और बिक्री-कर का बोझ आ जायगा कि साहब इतने का तो टिकट लगाना है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह जो नियमावलियों के अन्तर्गत सरकार अधिकार ले लेती है और जो नियम हमारे सामने आते हैं वह कभी-कभी सरकार पांच-पांच महीने बाद लाकर सदन में रखती है। लागू तो वह पहले ही हो जाएंगे और सदन के सामने बहुत देर से आएंगे। तो फीस निर्धारण का जो अधिकार सरकार ले रही है अपीलेट टाइम तक और रिवीजन टाइम तक, यह हम समझते हैं कि जरूरत से अधिक है, निर्धन जनता के लिये अवांछनीय है।

श्रीमन्, अपनी गलतियों को मढ़ने के लिये या जबर्दस्त का ओढ़ ओढ़ाने का एक तरीका हुआ करता है। उसका नाम है कठिनाई निवारण हथियार। जब सब हथियार कुंठित हो जायं तो कर्ण का वह पांचवां बाण जिसके द्वारा अर्जुन या किसी बड़े पांडव को मारा जाने वाला था निकले। अब कोई कुन्ती नहीं है जो दान रूप में उसको मांग ले। तो वह पांचवां बाण कठिनाई निवारण वाला मौजूद है। उसके शब्द कितने व्यापक हैं कि "कतिपय कार्यवाहियों का वैधीकरण करना" यानी कुछ भी हो, कैसी भी हालत हो, सब सही। श्रीमन्, शब्द अगर सुनाऊं तो आप परेशान से हो जाएंगे। कहते हैं "मूल अधिनियम की धारा ३—ग में कोई बात होते हुए भी, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५७ द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के पूर्व या पश्चात् मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्य करते हुए भावित होने वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किये गये कर-निर्धारण या दी गई आज्ञाएं, किये गये कार्य या की गई कार्यवाहियां, जारी किये गये निदेश या प्रयुक्त क्षेत्राधिकार, जो किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब द्वारा व्यापार बन्द किये जाने के पूर्व की किसी अवधि के संबंध में हों, विधि की दृष्टि में उसी प्रकार ठीक तथा वैध समझे जायंगे मानो वे कर-निर्धारण आज्ञायें, कार्य, कार्यवाहियां, निदेश और क्षेत्राधिकार इस अधिनियम द्वारा, यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा ३—ग के उपबन्धों के अधीन या अनुसार, यथास्थिति विधिवत् किये गये, दी गई, की गई, जारी किये गये या प्रयुक्त हुए हों और मानों इस प्रकार किया गया संशोधन सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो।"

कितने कोने ढूंढे गये, किसी भी समय, किसी प्रकार, कहीं भी हो, सभी सही है। यही वह कठिनाई निवारण हथियार है। इस प्रजातन्त्र के आधार पर यह विधान उपयुक्त बैठेगा। जब हम कहते हैं हमारी गोट सब सही तब तो यह विधान सभायें, अदालतें सब बेकार हैं। ऐसा सरकार क्यों कर रही है? इसका कारण है। सरकार जानती है कि हमारा दिमाग तो परिपक्व है नहीं। समय तो ज्यादातर फेयरवेल ऐड्रेसेज में लगा रहता है, हाई स्कूल की कोई यूनियन का उद्घाटन होने वाला हो तो मंत्री जी को बुला लीजिये और सारा भत्ता सरकार देगी। सोचे तो कौन सोचे कि बिक्री-कर अधिनियम ऐसा बनायें जिससे साल में ४ दफा संशोधन न आवे। इसकी फुरसत नहीं है। कर्मचारियों को भी सलाह देने का समय नहीं है मंत्रियों के पास। इसीलिये उन्होंने कहा कि कठिनाई निवारण ऐसा करो ताकि कोई भी न बचे उस हथियार से। आप देखें यह क्लाज १४ लाइनों का है। इसमें

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

कोई भी लूप होल नहीं बाकी है, सारी कानूनी बुद्धि इसमें लगा दी जिससे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको अवैध घोषित न कर सके, लेकिन वकीलों का तबका ऐसे बढ़े जैसे हैजे के समय में मक्खियों का दल बढ़ता है। यही कर-निर्धारण अधिकारी, सेल्स टैक्स कमिश्नर। मैं कानपुर की बात बतलाता हूं ३, ४ लाख रुपया कानपुर से लेकर जाते हैं। एक सूट दायर हुआ बस व्यापारी उनके चंगुल में फंसा। भीष्म पितामह से पूछा कि आपकी मृत्यु कैसे होगी? उन्होंने उपाय बता दिया। तो आज के अधिकारी भी, यद्यपि भीष्म पितामह तो नहीं हैं, लेकिन दगाबाज जरूर हैं और अपनी दगाबाजी के निकास बता देते हैं और कहते हैं इतने की डिग्री हम तुम्हारी कम कर देंगे। मैं कानपुर में उस जगह रहता हूं जहां रोज आये दिन यह हो रहा है। जनरलगंज एक मुहल्ला है वहां इसके ऐक्सपर्ट हैं जो इन्कम टैक्स अफसर, सेल्स टैक्स अफसर से दरमियान डिग्री फैसला करवा लेते हैं मुकदमा होने से पहले सौदे तय हो जाते हैं सरे आम। आपकी सी० आई० डी० उनको नहीं ढूंढ़ पायेगी। वही ढूंढ़ सकते हैं जैसे रफी अहमद किदवई साहब करते थे। हमारे वित्त मंत्री भेष बदल कर निकलें तो पता लगा लें क्योंकि मैं स्वयं उनको नहीं पहचान सका। अखबार की फोटो देखने के बाद तो अगर कोई भेष बदल कर जाय तो शायद पकड़ में बहुत-सी बातें आ जायं। बिक्री टैक्स से इवेजन मैं पसन्द नहीं करता। मैं उन लोगों के पक्ष में नहीं हूं जो बेईमानी करते हैं, जनता का पैसा लूटते हैं, लेकिन उनके पक्ष में जरूर हूं जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, जो सरकारी कर्मचारियों के करप्शन की वजह से अनावश्यक परेशान होते हैं वे परेशान न किये जायं।

ये जो तीन संशोधन सरकार ने किये हैं ये अनुचित से हैं। इनमें कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे गरीब मारा जा सकता है और पैसे वाला निकल जा सकता है। इस कानून के जरिये से जो सरकार ने बंधन बांधा है वह गलत तरीके से बांधा है, इस पर सरकार को पुनः विचार करने की आवश्यकता है और उसके लिये सरकार चाहे तो जनता से मदद ले ले और कुछ ऐसे भले आदमी मिलेंगे जो सरकार को अच्छा रास्ता बतलायेंगे और सुझायेंगे कि किस प्रकार से गरीब न मारा जाय और तिकड़मबाज भाग न सके।

मैं मूल संशोधन जो पेश होंगे उनको देख नहीं पाया। अगर वे छपे होते तो मैं भी पढ़ लेता। इसमें जो संशोधन हों उनका मूल्यांकन करने के लिये मैं भी उत्सुक हूं। मैंने विधेयक को पढ़ने तथा समझने की कोशिश की और यह मान गया हूं कि यह जो बिक्री-कर विषय है यह एक गहन विषय है और इसका पढ़ने वाला एक डिप्लोमा हासिल कर सकता है और इसका भी मास्टर हो सकता है, लेकिन संशोधन मेरे सामने हैं नहीं, उन्हें शायद आप आखिर वक्त बतलायेंगे ताकि उनको मैं तौल न पाऊं। लेकिन ऐसा न हो कि आप फिर उन्हें वापस ले लें और बहस हम से करायें। ऐसा खेल अक्सर खेला जाता है वह न खेला जाय। अगर मेरा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ तो उस समय जो संशोधन आयेंगे उन पर मैं अपना मत व्यक्त करूंगा। अभी तो मैं यही कहूंगा कि जो बिक्री-कर संशोधन विधेयक पेश किया गया है उसमें बहुत से लूपहोल्स हैं, उनको जानने के लिये नये वित्त मंत्री चाहें तो इसे जनमत संग्रह के लिये भेज दें और देखें कि जनता क्या कहती है।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है इसका मुख्य उद्देश्य तो ऐसा है कि जिसके विरोध में सदन का कोई भी माननीय सदस्य कुछ नहीं कह सकता। इसका मुख्य उद्देश्य है कुछ सरकारी आय को बढ़ाना और कुछ उस आय को प्राप्त करना जो कुछ गलत तरीकों से व्यापारी लोग बचा कर ले जाते हैं। एक तो यह संशोधन है कि कुछ प्रार्थना-पत्रों पर शुल्क नहीं लिया जाता था उन पर शुल्क लिया जाया करे और इस नियम का समावेश नियमों में हो जाय। मैं समझता हूं कि यह ऐसी बात है जिसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिना शुल्क के प्रार्थना-पत्रों की कोई सीमा नहीं रहती, परेशानी बढ़ती है। लिहाजा यह संशोधन बिलकुल ठीक है।

दूसरा संशोधन एक दिक्कत की वजह से सामने आया जिसका उद्देश्य में जिक्र भी किया गया है इसमें लिखा है "वह कर-निर्धारक अधिकारी को उन संस्थाओं पर, जिन्होंने कारोबार बन्द कर दिया है, किसी भी अवधि के लिये निर्धारित करने का पूर्ण अधिकार देती है, और क्या उक्त धारा के उपबन्ध कर निर्धारण के पिछले मामलों पर भी प्रवृत्त किये जा सकते हैं"। यह वास्तव में एक शुबहे की बात है और यह उससे पैदा होता है, उसको भी साफ करना जरूरी था। मैं इन दोनों संशोधनों का समर्थन करता हूं।

दूसरे संशोधन के विषय में मैं एक बात खासतौर से कह दूं। जैसा कि अभी अवस्थी जी जिक्र कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि हमारे सेल्स टैक्स आफिसर्स और विभाग के कर्मचारी इस प्रकार का कार्य करते हैं कि उनके विरुद्ध कुछ कहा नहीं जा सकता। काफी असन्तोष उनके कामों से है। यह हमारा दुर्भाग्य है। इस विधेयक और खासतौर से इस धारा के द्वारा एक बड़ा अधिकार हम उनको दे रहे हैं, अधिकार तो दे चुके हैं उसको स्पष्ट कर रहे हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह आशा करूंगा कि यह देखें कि इसका दुरुपयोग न हो जहां तक सम्भव हो।

अब चूंकि यह विधेयक सामने है इसलिये मैंने सोचा कि इसका लाभ उठाऊं और एक दो बातें और मन्त्री जी के सामने रख दूं। बार-बार संशोधन आते हैं। बार-बार संशोधनों का आना अच्छी बात नहीं है। इस समय एक संशोधन सामने है। यह विधेयक तो पहले पेश किया जा चुका है। अगर इस बीच में कुछ और दिक्कतें सामने आयी हों तो उनके बारे में भी संशोधन इसी समय आ जाना चाहिये और इस कारण अगर जरूरी समझें कि सेलेक्ट कमेटी में भेजें तो भेज दें।

एक बात माननीय गोविन्दसिंह जी ने भी कही थी और वह यह कि अब थोड़े दिनों से एक रिवाज यह हो गया है कि अपील सुनने के लिये नान-जुडिशियल आफिसर्स मुकर्रर होने लगे हैं। पहले जुडिशियरी के ही आफिसर्स अपील सुनते थे। मैं मन्त्री जी के समक्ष रखूंगा कि इस पर भी विचार करें। जुडिशियरी की एक सैंक्टिटी है और खासतौर से वह विभाग जो कर वसूल करता है वह प्रेजुडिस कहिये या डिपार्टमेंट का वायस कहिये, उसकी कुछ ऐसी दृष्टि बन जाती है कि वे उन्हीं चीजों को ज्यादातर मन्जूर करते हैं जो उनके विभाग के कर्मचारियों ने लिखी होती हैं और वे कौन होते हैं? वे उसी विभाग के सेल्स-टैक्स आफिसर के ऊपर उठे हुये होते हैं।

एक प्रस्ताव इस माननीय सदन ने कई वर्ष हो गये श्री सीताराम जी शुक्ल का पास किया था। वह प्रस्ताव तो मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन उसका आशय यह था कि गृह उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं को प्रोत्साहन दिया जाय। उसमें एक धारा यह भी थी कि वह बिक्री कर से मुक्त हों। इसके ऊपर कई बार बात हुई और माननीय हाफिज जी का जो भाषण माननीय गोविन्दसिंह जी विष्ट ने पढ़ कर सुनाया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम सब को तो माफ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें किसी बड़ी शक्ति का उपयोग नहीं होता, केवल किसान की कुछ आय जिनसे बढ़ जाती है उन्हें हम कर मुक्त कर दें तो उससे गृह उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। मिसाल के लिये मैं अर्ज कर दूं, हमारे जिले में चारपाई के लिये मूंज का बान बटा जाता है। यह ऐसा उद्योग है कि बहुत कम आदमी ऐसे मिलेंगे जिनका मुख्य काम यही हो। होता यह है कि खाली समय में किसान बैठ जाते हैं, उसकी बीबी-बच्चे लग जाते हैं और कुछ बान बट लेते हैं जिससे महीने में ५-७ रुपये की वृद्धि उनकी आय में हो जाती है। तो ऐसे गृह उद्योगों को कर से मुक्त करके प्रोत्साहन दिया जा सकता है।

जहां तक कच्चे आढ़तियों का सवाल है, उसका जिक्र माननीय गोविन्दसिंह जी ने किया था। जब यह संशोधन विधयक हमारे सामने उपस्थित था तो उसके ऊपर बहुत बहस हुई थी। जहां तक मैं समझा माननीय मन्त्री जी का या विभाग का किसी प्रकार यह उद्देश्य नहीं था

[श्री जगदीशप्रसाद]

कि कच्चे आढ़तियों की मजदूरी पर कर लिया जाय। परन्तु प्रैक्टिस में जब हुआ तो यह हुआ कि वास्तव में उनकी मजदूरी पर भी टैक्स लग गया। इस सम्बन्ध में सरकार की भी दिक्कत है और वह यह कि कच्चे आढ़ती के सामने कभी-कभी ऐसा आता है कि किसान की गाड़ी नहीं बिकी तो आढ़ती रात को उसका माल उतार लेता है और जब उसने माल उतार लिया तो वह स्टाकिस्ट हो गया और कभी-कभी वह स्टाक भी कर लेता है। तो उसमें दिक्कत यह आती है। सरकार अगर देखे तो कोई भी कच्चा आढ़ती जो स्टाक रखेगा उस पर टैक्स लगेगा। जो नहीं रखता है उसपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वह स्टाकिस्ट नहीं है बल्कि वह तो मजदूर है। यह निश्चित बात है कि जो एक रुपये की मजदूरी करता है और उससे सवा रुपया आप टैक्स मांगते हैं तो वह देने में असमर्थ है। आपको उसको सुविधा देनी होगी। मैंने देखा है कि किसान गाड़ी मन्डी में अनाज को लाता है और दिन भर में उसका माल नहीं बिकता तो अगर वह माल को वापस ले जाता है तो उसको दूसरे दिन उतना ही खर्च करना पड़ेगा माल को मन्डी में लाने के लिये। इस लिये किसान को गाड़ी खड़ी करने का इन्तजाम होना चाहिये। माल किसान के पास ही रहना चाहिये और कच्चे आढ़ती स्टाक न करें। अगर वह स्टाक करें तो उनसे कर लिया जाय।

मुरादाबाद के बर्तनों का प्रश्न बार-बार सरकार के सामने आया है। अभी मुख्य मन्त्री जी वहां गये थे तो उनसे डेप्यूटेशन भी मिला था और बहुत अच्छी तरह से इस चीज को उनके सामने रखा गया था। वहां का जो वर्तन उद्योग है वह भी गृह उद्योग है। इसमें मुरादाबाद शहर की बहुत बड़ी संख्या लगी हुई है। इसमें एक जगह ऐसा टैक्स है जहां वास्तव में वह विक्रेता नहीं है बल्कि कार्यकर्त्ता है, मजदूर है या दस्तकार है। वह सामान लाता है और घर पर ढालता है और छोटी-छोटी भट्टियां उसके घर पर लगी हुई हैं। उनकी लागत मुश्किल से २०–२५ रुपया होगी। वह ४–५ रुपये रोज दिन भर में कमाता है। बड़े व्यापारी उसको सामान दे दें और वह ढाल कर देदे ऐसी चीज नहीं है, लेकिन होता ऐसा है कि वह सामान लाता है और उसे ढालता है। अगर उसको मेज पर रखा जाय तो न तो उसकी शक्ल लोटे की होगी और न गिलास की होगी यानी कहने का मतलब यह है कि उस माल की ऐसी शक्ल नहीं होगी जो इस्तेमाल में आ सके। वह तो कई प्रोसेस में जाकर इस्तेमाल करने के काबिल होगी। ऐसी शक्ल में वह उसको बेचता है और कानून की शक्ल में वह विक्रेता की शक्ल में आ जाता है और उसे टैक्स देना पड़ता है, लेकिन वास्तव में वह विक्रेता नहीं है बल्कि एक मजदूर है, एक दस्तकार है। यह मुरादाबाद जिले की एक बहुत बड़ी मांग है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसपर विशेष ध्यान देंगे। मुझे इतना ही कहना है।

*श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सेल्स टैक्स के सिलसिले में हमारे दुर्भाग्य से वर्ष में कई बार इस आदरणीय सदन में चर्चा होती है और जब-जब बात करनी होती है तो हमें कुछ ऐसा लगता है कि पुरानी बातों को ही दुहराना पड़ेगा क्योंकि मुश्किलात जो पहले रही हैं वह आज भी ज्यों की त्यों हैं। मैं सबसे पहले जो प्रस्ताव इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने का है उसका समर्थन करना चाहता हूं। मैं उसके सम्बन्ध में कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं। विशेष तौर से कुछ अर्ज करने की बात तब होती है जब सरकार की कोई कर नीति होती है। किसी भी सरकार की एक अर्थ-नीति हुआ करती है और उसके अनुसार उसकी कर-नीति होती है और वह नीति उस सरकार की प्रगतिशीलता की परिचायक होती है।

अधिष्ठाता महोदय, हमारे देश में जिस पार्टी का शासन है या उस दल के लोग जो उधर बैठे हैं, जब एक ही दल था उस समय की पार्टी की एक कर नीति थी। उस समय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महात्मा जी इस देश के नेता थे। उसके आधार पर उस दल को इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी जिससे दुनिया भर में तहलका मच गया था। हमारे बुजुर्ग उस लड़ाई के सिहाही या सेनानी रहे थे। महात्मा गांधी जी ने नमक आन्दोलन प्रारम्भ किया था। उसका अर्थ यह नहीं था कि उनको नमक से कोई विशेष प्रेम था, लेकिन इसलिये किया था कि वह जिन्दगी की सब से ज्यादा जरूरी चीज होती है, नित्य इस्तेमाल की वस्तु होती है इसलिये उस चीज पर टैक्स नहीं लगना चाहिये। वह नमक आन्दोलन बृटिश सरकार की कर नीति का सिम्बोलिक अपोजिशन था। लेकिन हमारी बदकिस्मती से आज जब हमारे देश के लोगो के हाथों में शासन आया प्रजातांत्रिक तरीके से तो आज हमारे लिये ही नहीं इतिहास के लिये शर्मनाक होगा और इतिहास लिखने वाले कभी इस मामले में किसी के साथ रियायत नहीं करेंगे चाहे जो भी हो अगर वह गल्ले जैसी चीज पर टैक्स लगाता है। इस सरकार ने उनपर टैक्स लगाया है और मैं यह इसलिये नहीं कह रहा हूं कि मैं विरोधी पक्ष का एक सदस्य हूं बल्कि यदि मन्त्री जी जो आज शासन के मन्त्री हैं वे भी अपने सीने पर हाथ रख कर सोचेंगे तो वह भी समझेंगे कि यह अनुचित है और किसी भी देश में ऐसा नहीं होता है। मेरी समझ में इसको सिर्फ अनुचित ही कहना उसका मूल्यांकन न होगा, यह निन्दनीय है जो कुछ भी इस के लिये कहा जाय सो थोड़ा है। गल्ले ऐसी चीज पर जिसे लोग दिन रात इस्तेमाल करते हैं पूंजीवादी देशों में गल्ले जैसी चीज पर टैक्स नहीं लगता है जो इतने इस्तेमाल की चीज है, लेकिन यह सरकार समझती है कि बिना इसके लगाये हमारा काम नहीं चलता। मैं भी समझता हूं कि सरकार का काम बिना टैक्स लगाये नहीं चलता, मैं समझता हूं कि बिना कर के सरकार चल ही नहीं सकती, लेकिन मेरे जैसे लोगों का अनुमान है कि सरकार ने जिस मात्रा में कर लगाया है उस मात्रा में उसको आमदनी नहीं हो रही है और न होने वाली है क्योंकि कर लगाने का जो तरीका है उसमें इतने दोष हैं कि उनके कारण सरकार को हर तीन चार महीने के बाद यह जरूरत महसूस होती है कि हमारे इस ऐक्ट में यह दोष है और इसलिये तरमीम कर ली जाय।

गल्ले के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूं और पिछली बार भी मैंने इस ओर संकेत किया था कि गल्ले के व्यापारियों पर जो टैक्स लगाने की विधि थी पिछले संशोधन में यह निश्चय आपने कर लिया था कि इतना गल्ला बेचने वालों पर टैक्स लगाया जायगा। सरकार ने उसके लिये एक सीमा निश्चित कर दी थी २५ हजार की। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ढाई हजार रुपया महीना यानी प्रतिदिन जो दो बोरा गल्ला लेकर रास्ते पर बैठ जाय उस व्यापारी पर भी यह टैक्स लग जायगा। अब नियम के हिसाब से उसको एक मुनीम रखना होगा। मैं नहीं जानता कि वह दिन भर में कितना लाभ कर लेगा जिससे वह मुनीम भी रख सकेगा। इसका नतीजा यह होता है कि वह देना नहीं चाहता और भागता है और फिर सरकारी कर्मचारी, मैं उनको दोष नहीं देता, नियमों के अनुसार, कुछ थोड़ी दूर तक और कुछ बहुत दूर तक भी उनको परेशान करते हैं, उनका हैरेसमेण्ट होता है और बड़ी परेशानी होती है। वैसे तो मैं समझता हूं कि गल्ले पर टैक्स लगाना ही निन्दनीय है, लेकिन फिर भी अगर २५ हजार न करके ५० हजार ही सीमा रखी गई होती तो जितना टैक्स आज मिलता है उससे ज्यादा मिलता, आज जितना मिलना चाहिये उससे बहुत कम मिलता है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप से क्या कहूं आप मुझसे इस विषय में बहुत ज्यादा जानते हैं और मन्त्री जी भी जानते हैं, लेकिन एक बात की ओर ध्यान दिलाऊं पिछली बार बहस में कमीशन एजेन्ट की बात बहुत बार आई थी। उसका क्या काम होता है यह सरकार की समझ में नहीं आया। अगर माननीय मन्त्री जी कुछ समझा करेंगे तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं जब पिछली बार नैनीताल गया था, वहां से रुद्रपुर और किछा आया तो वहां के किसानों ने मुझसे कहा कि हमें सेल्स टैक्स देना पड़ता है। मैंने कहा कि कानून तो ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि साहब हमको देना पड़ता है। उन्होंने यह

[श्री गौरीशंकर राय]

भी कहा कि आप बाजार में पूछ लीजिये। मैंने जाकर बाजार में व्यापारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि कमीशन एजेन्ट्स हम से लेते हैं। उन्होंने लिवाल और दिवाल दो शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने कहा कि आठ आना दिवाल से लेंगे और आठ आना लिवाल से लेंगे।

मैंने व्यापारियों से पूछा कि आपको सेल्स-टैक्स अधिकारियों ने ऐसा करने को कहा है? उन्होंने कहा कि वह लिख कर नहीं देते हैं। वह कहते हैं कि हम तो लेंगे, आप चाहे जहां से दें। मैं सेल्स टैक्स आफिसर से नैनीताल में मिला तो उन्होंने कहा कि यह कुछ साफ नहीं है। मैंने कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी, पब्लिक एकाउन्टस कमेटी, नैनीताल में आये हुये हैं उनसे सफाई कर लूंगा और आप से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि सफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं ठीक कर दूंगा और किसान को नहीं देना पड़ेगा। मैंने खत लिखा जिन किसानों ने हम से कहा था। उन्होंने लिखा कि अभी लिया जा रहा है और आप ने हमसे गलत बात बताई कि नहीं लिया जायगा। कहने का मतलब यह है कि एक छोटी सी पैदावार करने वाले किसान से भी कमीशन एजेंट का टैक्स लिया जाता है। सेल्स-टैक्स तो यह है नहीं क्यों वह उपभोक्ता से लिया जाता है। ५०, ४०, ३० मन पैदा करने वाले पर भी कमीशन एजेंट का टैक्सेशन है। यह टैक्सेशन की नीति कितनी अवैज्ञानिक है। अगर सरकार ऐसा समझे हुये है कि एक टैक्स लगा हुआ है इसको तब्दील करने में फिर परेशानी होगी या अमेण्डमेंट से काम चलता रहेगा, तो यह गलत है। लेकिन अगर सरकार यह समझती है कि इस टैक्स से टैक्स पेयर को परेशानी है और टैक्स का इक्विटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिये, टैक्स उन पर बढ़ाना चाहिये जो टैक्स देनेकी योग्यता रखते हैं, इस प्रकार की उसकी नीति है, तो इस पर विचार करना चाहिये। अधिष्ठाता महोदय, यह सरकार यह समझ कर एक मसविदा लेकर आती है कि इस मसविदे को दिन भर में पास करवाना है, तो उसमें यह सोचना होगा कि सारी बातें कैसे आ सकती हैं। बहुत कम स्थान उसमें मिल पाता है।

इसमें दो रायें हो सकती हैं कि गल्ले पर टैक्स लगना चाहिये या नहीं, क्योंकि सरकार यह मानती है कि गल्ले पर टैक्स लगना चाहिये, इसीलिये वह गल्ले पर टैक्स लगाती है और हम समझते हैं कि नहीं लगना चाहिये। लेकिन इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि सेल्स टैक्स के लेने देने में प्रोसीज्योर में बहुत सी कठिनाइयां हैं, लेने देने वाले को परेशानी होती है। एक विचित्र सी बात है सेल्स टैक्स आफिसर सेल्स टैक्स का असेसमेन्ट करता है और उसकी अपील भी उसी के यहां होती है। जो पुलिस चालन करे, वही पुलिस जज हो जाय। मैं नहीं समझता कि इस न्याय का क्या अर्थ होगा? यह प्रत्येक न्याय की दृष्टि से अन्याय है कि वही सेल्स टैक्स अधिकारी, सेल्स टैक्स का जज होता है। मैं नहीं कहता कि सेल्स टैक्स के अधिकारी बेईमान हैं, लेकिन जब प्रासीक्यूशन और जज वही होगा तो न्याय कैसे हो सकता है? सेल्स टैक्स अधिकारी को अलाटमेण्ट होता है कि आपको इतना देना है, उसके ऊपर उनका कैरेक्टर रोल निर्भर करता है, बैड इन्ट्री हो जायगी, यू आर नाट ए गुड चैप। उस पर उनकी तरक्की निर्भर करती है। मैं रेफरेन्स नहीं देना चाहता। उनसे जब बात कीजिये तो कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, हमको अपना कोटा पूरा करना है। अगर हम कानून बनाने बैठें और इस किस्म की मजबूरियों और परेशानियों तथा उनसे होने वाले अन्याय से अगर नजात न दिला सकें तो हम न्याय नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि किसी प्रकार भी, टैक्स लगाने वाले मुहकमे को न्यायालय की शक्ति नहीं होनी चाहिये। बहुत सारे इसके मामले हैं जिनकी चर्चा हो चुकी है और सरकार का ध्यान आकृष्ट है तथा आज जो मन्त्री जी हैं या जो कल मंत्री जी थे उन सभी मंत्री लोगों को यह कठिनाइयां मालूम हैं और मैं यह समझता हूं कि जब यह कठिनाइयां उनको मालूम हैं तो हम उनसे ऐसी उम्मीद भी करते हैं कि वह गौर से उन पर सोचते होंगे और गौर से सोचेंगे। अगर वह गौर से सोचेंगे जैसे कि एक साधारण आदमी

सोचता है तो मेरी राय में वह इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में दस बारह या पन्द्रह दिन बाद गौर करने के बाद लेने में कोई हर्ज नहीं है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं दरख्वास्तों पर फीस लेने के बारे में । सारी दुनिया में केवल कालोनियल कंट्रीज को छोड़कर कहीं भी न्याय पाने के लिए टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ा करती है । यह बिलकुल न्याय का अपमान है कि एक आदमी ने हमें मार दिया, हम थाने में उसके लिए जायं तो दो रुपया देकर कह पायें कि हमें फलां ने मारा है। आज हमारे नाम सेल्स टैक्स निकलता है, हम जानते हैं कि हमारी यह दूकान नहीं है, हमने व्यापार नहीं किया, लेकिन फिर भी यह कहने के लिए हमें दरख्वास्त पर फीस देनी पड़े और सबसे विचित्र तथा आश्चर्य की बात तो यह है कि इसके उद्देश्य में यह लिखा हुआ है कि चूंकि दरख्वास्तें ज्यादा आ गई हैं, ज्यादा जजेज रखने पड़ते हैं इसलिये हम पैसा लेते हैं । अधिष्ठाता महोदय, अत्यन्त ही नम्रतापूर्वक मैं इसका सीधा-सादा हिन्दी अनुवाद करना चाहता हूं, इसका अर्थ यह है कि चूंकि न्याय के लिए अधिक लोग हमारे यहां आते हैं इसलिए न्याय को महंगा कर दो ताकि न्याय के ऊपर कम खर्च करना पड़े और कम जजेज रखने पड़ें ।

मैं समझता हूं कि न्याय का यह सिद्धान्त चाहे सेल्स टैक्स के बारे में हो चाहे कहीं के बारे में हो, अनुचित है । मेरी राय में अनुचित है, आपकी राय में भी अनुचित है और प्रत्येक व्यक्ति की राय में अनुचित है । तो चूंकि दरख्वास्तें ज्यादा आयीं इसलिये आप उन पर फीस लगाने की गुंजायश रखेंगे और वह भी जितनी चाहे उतनी, तो मेरी समझ में आप न्याय नहीं कर पायेंगे । अगर इससे बहुत ज्यादा कोई आमदनी बढ़नी होती, सरकार को योजनाओं के काम में कहीं दिक्कत पड़ती होती और उसके लिए आप टैक्स लगाते तो बात समझ में आती । सारी दुनिया के देशों की जनता ने योजनाओं के लिए टैक्स दिया है, लेकिन जब टैक्सेशन का उद्देश्य केवल यह हो कि जजेज ज्यादा रखने पड़ते हैं, वह कम रखने पड़ेंगे, अगर नहीं लगायेंगे तो ज्यादा रखने पड़ेंगे, तो इस प्रकार न्याय को कुंठित करना उचित नहीं है ।

मैं इस मामले पर अधिक भाषण देना नहीं चाहता, लेकिन मैं यह जरूर महसूस करता हूं और सभी महसूस करते हैं कि सेल्स टैक्स के सिलसिले में सबको कुछ न कुछ शिकायत है, सब कहीं न कहीं उसमें दोष पाते हैं । तो मेरा निवेदन यह है कि एक दो महीने बाद संशोधन लाने की पुरानी प्रक्रिया अगर चलानी है तो बाकी दस ग्यारह महीनों में ही आपको पांच छः संशोधन रखने पड़ेंगे । इसमें उनको भी परेशानी होगी, सदन को भी परेशानी होगी और सभी को परेशानी होगी । तो वह व्यर्थ के लिए परेशानी मोल न लें, बैठ जायं दस पन्द्रह दिन के लिए और इस बीच में उसमें जो खामियां दीख पड़ती हैं उनके संबंध में अच्छी तरह से विचार कर लें । मैं माननीय गोविन्दसिंह के प्रस्ताव से ज्यादा सहमत हूं कि पन्द्रह दिन के अन्दर वह इस पर विचार कर लें । जो अमेंडमेंट्स हमारे सामने आये हैं, एक बात मैं कह दूं, एक बात का मैं समर्थक हूं । मैं समझता हूं कि अगर कोई व्यापारी टैक्स को बचाने के लिए अपनी फर्म के नाम को बदल देता है तो मेरी समझ में किसी भी प्रकार उससे टैक्स वसूल होना चाहिये और उसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिये । हां, उसमें इतना जरूर होना चाहिय कि व्यापारी अगर दो पार्टनर थे तो उसमें यह जरूर देखा जाना चाहिये कि किसका कितना हिस्सा था । ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसका दो आने का भी हिस्सा रहा हो उससे सोलह आने टैक्स वसूल कर लिया जाय । जैसे कि रवन्यू में मालगुजारी की वसूली में होता है कि दो आने का भी हिस्सेदार है तो १६ आने उसको देना पड़ जाता है । ऐसे रेवेन्यू लाज पहले से चले आ रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों के बाद इस तरह के कानून बदले नहीं गए, न रेवेन्यू मैन्यूअल बदला गया, न जेल मैन्यूअल बदला गया, न बजट मैन्यूअल बदला गया । बदकिस्मती से वही तरीका चला आ रहा है कि एक आने का भी हिस्सेदार है तो सोलहो आने उसी से वसूल लो । इसलिए इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस कानून को बनाते समय रूल्स में इस बात की गुंजायश रखी जाय कि जिसने बेईमानी की है उसी से वसूल किया जाय । मैं तो समझता हूं कि अधिष्ठाता महोदय, आज टैक्स में हम जितने अनुदार हैं उतने अनुदार न रहकर उदार हो जायं और ईवेजन को रोकने में थोड़े सचेत हो जायं तो राज्य की आमदनी भी बढ़ेगी और

[श्री गौरीशंकर राय]

सारे प्रदेश में एक स्वस्थ वातावरण और वायुमंडल भी बनेगा । मैं यह आशा तो नहीं करता कि सरकार इस १५ दिन के अन्दर अपनी कर नीति का निर्धारण कर लेगी । मैं कांग्रेस की आलोचना के लिये नहीं कहता सारे विश्व की सरकारें जहां पर किसी दल के हाथ में राजनीतिक सत्ता है, वह अपने वर्ग चरित्र के अनुसार ही अपना सारा कार्य किया करती है और उसी के अनुसार उसकी नीति हुआ करती है । इन १५ दिन के अन्दर वह कोई अपने वर्ग चरित्र को नहीं बदल देगी, वह अपने क्लास करैक्टर को नहीं बदल लेगी । वह तो उसी तरह से करेगी जिस तरह से वह करना चाहेगी । किन्तु यदि गांधी जी के नमक सत्याग्रह के बाद यह सरकार खाद्यान्नों पर टैक्स लगाती है तो मैं यह समझता हूं कि यह सरकार अपनी कठिनाइयों को सामने रखते हुये यदि शान्तिपूर्वक इन सब बातों पर इन १५ दिनों के अन्दर विचार करे तो कोई इसमें नीति बदलने का सवाल नहीं है किन्तु मैं समझता हूं कि शान्तिपूर्वक यदि कुछ भी इस पर विचार किया जाय तो उससे थोड़ा बहुत कल्याण होगा ।

*श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, सदन के सन्मुख जो बिक्री-कर संशोधन विधेयक प्रस्तुत है और गोविन्दसिंह जी विष्ट ने जो उस पर प्रवर समिति को सिपुर्द करने का संशोधन रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं । यह जो संशोधन विधेयक हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है, मैं जहां तक समझता हूं वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने के लिये कुछ चाल चली गई है । विश्वस्त रूप से मुझे पता चलता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जो फर्म विघटित हो चुकी हैं उनके ऊपर कर-निर्धारित किया जायगा तो सिर्फ उसी वर्ष के लिये कर निर्धारित किया जायगा जिस वर्ष में वह फर्म विघटित हुई है । लेकिन आज हम लोगों के सामने जो यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसके खंड २ में है कि मूल अधिनियम की धारा ३—ग की उपधारा (१) में शब्द "किसी कर निर्धारण वर्ष की अवधि में," तथा उसके खंड (क) में आये हुये शब्द "की अवधि के लिये" निकाल दिये जायं । तो उस कर निर्धारण वर्ष की अवधि शब्दों को निकालने का तात्पर्य यह है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिस वर्ष में वह फर्म विघटित हुई हो उसी कर वर्ष में कर निर्धारण के लिये निर्णय किया है, लेकिन इन शब्दों को निकालने के बाद यह सरकार विघटित या पुनर्गठित फर्म से मन चाहे वर्ष से, चाहे जितने वर्ष का टैक्स वसूल करना चाहती है । संविधान में न्याय की परम्परा को बड़ा स्थान दिया गया । सरकार ने इस बात का ढिंढोरा पीटा है कि न्याय की प्रतिष्ठा रखें और न्याय में किसी प्रकार से दखल नहीं देना चाहती है, लेकिन न्याय की प्रतिष्ठा का ढिंढोरा पीटने वाली यह सरकार एक उच्च न्यायालय के निर्णय को एक प्रकार से निरस्त करने की चाल चल रही है । इस तरह से यह न्याय की बात नहीं हो सकती है । यदि उस इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन नहीं करना है तो इस ढंग से एक तानाशाही अधिकार आप यहां पर प्राप्त करना चाहते हैं । इस संशोधन के द्वारा सरकार चाहती है कि उसको मन चाहे अधिकार दिये जायं कि आप चाहे कितने ही वर्षों का कर निर्धारित कर लें । कर तो हो एक वर्ष का, लेकिन संशोधन के जरिये से मनचाहे वर्ष की अवधि के लिये व्यापारियों से, उन फर्मों से, जो विघटित हो चुकी हैं, आप टैक्स वसूल करना चाहते हैं और वह टैक्स भी चाहे जिससे वसूल कर लिया जायगा । इससे ज्यादा मेरी राय में व्यापारियों के साथ दूसरा बड़ा अन्याय कोई हो नहीं सकता ।

मैं बड़े विनम्र शब्दों में वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या मेरी यह धारणा सही है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत, जिसमें कि सरकार को हार खानी पड़ी, भी सरकार ऐसी सभी विघटित व्यापारियों से टैक्स वसूल करने के लिये कटिबद्ध है और टैक्स वसूल करना चाहती है और क्या इसीलिए आपने यह संशोधन प्रस्तुत किया है ? या आपका कोई और दूसरा मंशा है, आप इसकी स्पष्ट घोषणा सदन में करने की कृपा करें । यदि इलाहाबाद न्यायालय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के निर्णय के विपरीत भी उनसे टैक्स वसूल करने का आपका मंशा है तो आप यह भी बतलाने की कृपा करें कि इस प्रदेश में न्याय की प्रतिष्ठा किस प्रकार कायम रहेगी । व्यापारी अपने मौलिक अधिकारों पर चोट होते हुए देख कर या अधिकारियों के गलत निर्णय के विपरीत ही उच्च न्यायालय तक पहुंचता है और वहां उसे न्यायसंगत निर्णय प्राप्त होता है जिससे उसे एक राहत की सांस मिलती है । तो उस राहत की सांस को समाप्त करने के लिये, उन व्यापारियों का गला और कड़े हाथों से कसने के लिये ऐसा विधेयक लाना क्या न्यायसंगत है ? अगर इसी प्रकार के काम हम करते रहेंगे तो हमें ऐसे प्रजातंत्र की आवश्यकता नहीं । इससे तो अच्छा है कि प्रजातंत्र की जगह तानाशाही हुकूमत कायम कर ली जाय । उसके बाद न हमको न्यायालय की जरूरत होगी और न अधिकारियों की । अगर इस तरह का संशोधन आप लाना ही चाहते हैं तो वह दिन दूर नहीं कि आपको तानाशाही हुकूमत कायम करने के लिये तैयार रहना चाहिये । इस प्रदेश में जितने भी . . . .

वित्त मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं . . .

श्री जगन्नाथ लहरी—क्या आपका कोई प्वाइंट आफ आर्डर है ? मैं मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं कि बोलने के पहले वे आज्ञा प्राप्त कर लें । मैं यूं बैठने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्री अधिष्ठाता से आज्ञा प्राप्त करने के उपरान्त मैं आप को सूचना देना चाहता हूं कि आप जितना भी बोल रहे हैं, निराधार बोल रहे हैं । इलाहाबाद हाई-कोर्ट से कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है ।

श्री जगन्नाथ लहरी—अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को सूचना देना चाहता हूं कि अभी से चन्द मिनट पूर्व आपकी सरकार के ही एक उपमंत्री महोदय ने स्वयं इसकी सूचना दी थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस प्रकार का एक निर्णय हुआ था कि विघटित फर्मों से जिस साल में वे विघटित हुई होंगी, उसी साल में उनसे टैक्स वसूल किया जायगा । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस प्रदेश के मंत्रियों और उपमंत्रियों को कितनी जानकारी है । उप-मंत्री महोदय ने अपने सदस्यों को इस प्रकार की सूचना कैसे दे दी ? जब मंत्री और उपमंत्री को कोई सूचना नहीं, एक दूसरे को गलत सूचना देना चाहते हैं, तो क्या कहा जाय । इसलिये मैं फिर विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं एक बार फिर जानकारी करने की कृपा करें ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं । इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारणों में जो शब्द लिखे हुए हैं उनके द्वारा प्रदेश के सभी व्यापारियों की नीयत पर हमला किया गया है । इसमें लिखा है—"कर चुकाने में विलम्ब करने के उद्देश्य से व्यापारी बहुधा निस्सार आधारों पर प्रार्थना-पत्र दे देते हैं । ऐसे प्रार्थना पत्रों की संख्या अधिक होने का एक कारण यह भी है कि उनके स्वीकार किये जाने के पूर्व उन पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता ।" सेल्स टैक्स हर व्यक्ति से नहीं लिया जाता । भीख मांगने वाले से टैक्स नहीं लिया जाता, खोंमचा लगाने वाले से सेल्स टैक्स नहीं लिया जाता ।

श्री भजनलाल (जिला इटावा)—श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

श्री जगन्नाथ लहरी—अधिष्ठाता महोदय, तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय सरकार द्वारा जिन उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है उनमें यह लिखा है कि कर चुकाने में विलम्ब करने के उद्देश्य से व्यापारी लोग प्रार्थना-पत्र दे देते हैं ।

(इस समय २ बज कर १६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन हुईं ।)

[श्री जगन्नाथ लहरी]

तो इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों से यह कर वसूल किया जाता है वे कोई भिखारी लोग नहीं होते, वे साधारण खोमचा लगाने वाले व्यक्ति नहीं होते। विधेयक में एक सीमा निर्धारित होती है और वह यह है कि जिन व्यक्तियों की बिक्री वर्ष में १२ हजार से अधिक होगी उनसे यह कर लिया जायेगा। आज वे लोग बिक्री-कर अदा करते हैं और उन अधिकारियों के फैसले के खिलाफ अपील भी दायर करते हैं जो कि कानून द्वारा उनको अधिकार प्राप्त है। आप उनकी अपील सुनने के लिये कुछ अधिकारियों को रखते हैं जैसे सेल्स टैक्स कमिश्नर वगैरह। यह सरकार उन पर यह आरोप लगाती है कि व्यापारी लोग कर विलम्ब से अदा करने के उद्देश्य से अपील दायर कर देते हैं और उनमें कोई तथ्य नहीं होता। इस तरह का आरोप लगा कर आप व्यापारियों को बेइमान डिक्लेयर करते हैं। प्रदेश के व्यापारियों पर इस तरह से आक्षेप करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। यह सही है कि इस विधान सभा की सीमाओं के भीतर हम चाहे कुछ भी कहें उसे न्यायालयों के अन्दर चैलेन्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन इस विधान सभा की सीमा के भीतर हमें अपने शब्दों पर कुछ थोड़ा सा नियंत्रण भी रखना चाहिये। हर व्यक्ति को बेइमान डिक्लेयर करने का आपको अधिकार नहीं है।

क्या मैं माननीय वित्त मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि वे इस सदन को वे आंकड़े देने के लिये तैयार हैं कि जिनसे यह पता लग सके कि रिवीजन करने वाले अधिकारियों के सामने या सेल्स टैक्स कमिश्नरों के सामने उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने जितनी अपीलें दायर कीं वे क्या सब क. सब खारिज हो गयीं,या उनमें से कितनों में व्यापारियों के पक्ष में निर्णय हुए? यदि अपील में आपके सेल्स टैक्स कमिश्नरों ने निर्धारित टैक्सों में कमी की है, बिक्री-कर अधिकारियों के खिलाफ निर्णय लिया है, टैक्स को कम किया है, तो फिर आप किस तरह से कह सकते हैं कि लोग टैक्सों को विलम्ब से अदा करने के निराधार उद्देश्य से ही अपील दायर करते हैं? मैं तो समझता हूं कि अधिकांश व्यापारियों की अपीलें मंजूर होती हैं। आज आपके बिक्री कर अधिकारी क्या करते हैं? आपने उनके लिये कोटा फिक्स कर दिया है कि आपको इतना टैक्स जरूर देना है। यह बिक्री-कर अधिकारी किसी व्यापारी की बिक्री में कितनी ही गिरावट क्यों न रही हो, गत वर्ष की बिक्री देख कर उन पर अधिक टैक्स लगाते हैं और उनसे वसूल करते हैं और जिस व्यापारी की गत वर्ष के मुकाबले में बिक्री न हुई हो तो फिर परसेंटेज बढ़ा कर टैक्स वसूल किया जाता है। तो वह अपील करता है और वह अपील टैक्स को विलम्ब से जमा करने के आधार पर रद्द कर दी जाती है, इससे ज्यादा कोई अन्याय नहीं हो सकता। जब राजा ही भक्षक हो जाय तो फिर प्रजा की कहां रखवाली हो सकती है? जब मंत्रियों के दिमाग में यह बात बैठ जाय और जन-प्रतिनिधियों के दिमाग में यह चीज पैदा हो जाय कि इस प्रदेश के व्यापारी महज टैक्स को जमा करने में विलम्ब होने के कारण अपील करते हैं तो दुखद स्थिति इससे ज्यादा और क्या हो सकती है? आप व्यापारियों से टैक्स वसूल कीजिये, उनको बेईमान डिक्लेयर कीजिये, आपकी सरकार है, आपकी कलम है, कुछ भी लिख सकते हैं और यही कारण है कि आज रेल में हम बैठ जायं, मोटर में बैठ जायं, जहां लोगों ने खादी का कुर्ता और टोपी देखी तो लोग नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं और कहते हैं कि सफेद-पोश आ गये। तो इसके उद्देश्य और कारणों की असमानता को देख कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह जो रेलों में, मोटरों में, गलियों में लोग हम कांग्रेसियों को देख कर मुंह सिकोड़ते हैं और सफेद-पोश डिक्लेयर करते हैं तो वह गलत नहीं करते, क्योंकि हमारे कारनामे इस तरह के बनते चले जा रहे हैं।

अधिष्ठात्री महोदया, मैं एक बात और मंत्री महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आप जो व्यापारियों के प्रार्थना-पत्रों पर फीस लगाना चाहते हैं, वह कितनी लगेगी? इसकी कोई भी घोषणा नहीं हुई। आप एक अतिरिक्त अदालत पैदा करना चाहते हैं और कहा जाता है कि रूल्स बनाने के बाद घोषणा करेंगे कि इतनी फीस कम

से कम लेंगे, लेकिन कम से कम इस बात का एक संकेत तो हम लोगों को मिल जाना चाहिये जिससे हमें पता लग जाय कि कितनी फीस हमसे वसूल की जायगी।

क्योंकि मंत्री महोदय फिर यह सूचना देने के लिये और सफाई देने के लिये खड़े हो जायेंगे, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने आज उपमंत्री महोदय से पूछा था कि कितनी फीस रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रुपया, सवा रुपया लगेगी। अदालतों में जब प्रार्थना-पत्र देते हैं तो रुपया, सवा रुपया की फीस लगाकर दे देते हैं। अगर न्यायालय की तरह से यहां भी फीस लगाना चाहते हैं या प्रार्थना-पत्रों के लिये यह नियम रखते हैं कि एक स्टाम्प लगाना जरूरी है तो उसकी घोषणा कर दी जाय। मुझे इस बात में पूरा संदेह है कि एक रुपया या सवा रुपया प्रार्थना-पत्रों में टिकट रख कर काम चल जायेगा क्योंकि व्यापारी प्रार्थना-पत्र काफी देने लगे हैं। इसमें लिखा है कि प्रार्थना-पत्रों की संख्या अधिक होने के कारण अब जज अपील भी बढ़ा दिये हैं, फिर भी फैसले नहीं होने पाते, इसलिये सम्भव है कि यह सरकार कहीं दीवानी के न्यायालय की भांति हम पर कोई कोर्ट फीस लगाने तो नहीं जा रही है। हम तो यह पूछना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जुर्म करता है तो निर्णय में बता दिया जाता है उसको इतनी सजा दी जा रही है, इतना अर्थ दंड दिया जा रहा है या फांसी दी जा रही है। इस सदन में कानून बनाने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया, लेकिन सदस्यों को जिन्हें अपनी कांस्टीट्युएंसी में जाकर अपने मतदाताओं को बताना पड़ेगा कि बिक्री-कर संशोधन में आपकी अपीलों पर, रिवीजनों पर जो प्रार्थना-पत्र देंगे उनपर कितनी फीस लगेगी, उन्हें कुछ नहीं बताया जाता। अगर वह हमसे पूछेंगे कि कितनी फीस लगेगी तो हम दीवारों की तरफ मुंह कर देंगे, क्योंकि हमें स्पष्ट उत्तर नहीं दिये जाते हैं। मन्त्री महोदय फरमाते हैं कि रूल्स बनेंगे तब पता चलेगा कि कितनी फीस लगेगी। आपके रूल्स कितने दिनों में बनते हैं, इसका भी पता नहीं। फीरोजाबाद में नागरिक निर्माण अधिनियम के अनुसार एक मास्टर प्लान लागू हुआ। ३० जुलाई, १९६० को उसके रूल्स बने, लेकिन १ जनवरी, १९६० से बिना रूल्स बने ही उसको वहां लागू कर दिया गया और वह रूल्स आजतक सदन के सामने नहीं रखे गये। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यहां पर सरकार ने कानून अपने हाथ में ले लिया है कि रूल्स बाद में बनेंगे और लागू पहले हो जायेंगे? इसलिये मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि आपके रूल्स बनने में कितना समय लगेगा और क्या जब तक रूल्स नहीं बन जायेंगे उस दौरान में आप हमसे फीस वसूल करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर आप वसूल करेंगे तो स्पष्ट रूप से इस सदन के सामने घोषणा कर दीजिये। मैं श्रीमन्, आपके द्वारा इस सरकार से स्पष्ट घोषणा चाहता हूं, इस सदन के सामने कि इन प्रार्थना-पत्रों पर क्या फीस चार्ज की जायगी? अधिष्ठात्री महोदया, इस बात पर मैं इस लिये बल दे रहा हूं क्योंकि इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है। इस सदन में घोषणा की जा चुकी है कि विभिन्न गृह उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर बिक्री-कर नहीं लगेगा। मैं फीरोजाबाद का प्रतिनिधि हूं। मैं जानता हूं कि वहां पर जो चूड़ियों का निर्माण होता है वह सेन्ट परसेन्ट गृह उद्योग है। उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग की रिपोर्ट में उसको गृह उद्योग माना गया है, लेकिन उस गृह उद्योग पर एक आना रुपया सेल्स टैक्स लिया जाता है। इस उद्योग को जबकि सरकार ने गृह उद्योग माना है और यह घोषणा कर चुकी है कि गृह उद्योग द्वारा निर्मित वस्तु पर कर नहीं लगेगा, लेकिन हमें वह बिक्री कर देना पड़ता है।

इस बिक्री कर के साथ-साथ व्यापारियों के सामने एक नयी दिक्कत और आगई है और वह दिक्कत है सेन्ट्रल सेल्स टैक्स जोकि इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स के नाम से मशहूर है। जो व्यापारी अपने को रजिस्टर करा लेता है, सी फार्म भरने के बाद उसे एक फीसदी टैक्स देना पड़ता है, यह इन्टर स्टेट सेल्स टैक्स---चूंकि मैं स्वयं व्यापारी हूं इसलिये यह कह रहा हूं---लेकिन अगर कोई व्यापारी किसी प्रदेश के ऐसे व्यापारी से बिक्री करता है जो सेल्स टैक्स अधिनियम के अन्तर्गत उस प्रदेश में रजिस्टर्ड नहीं है (दस रुपये फीस देने के बाद) तो सात परसेन्ट सेल्स टैक्स लिया जाता है।

[श्री जगन्नाथ लहरी]

इस सदन में कुछ दिनों पूर्व इस बिक्री-कर अधिनियम में एक संशोधन करके बिक्री-कर अधिकारी को इस बात का तानाशाही अधिकार दे दिया कि वह बिक्री-कर लाइसेंस रेन्यू करने के समय या नया देते समय व्यापारियों से मनोवांछित धनराशि जमा करने के लिये मांग करे कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिये इतने हजार रुपये बिक्री-कर के रूप में एडवान्स जमा कर दो तब लाइसेंस रेन्यू हो सकता है या नया मिल सकता है। अगर वह व्यक्ति बिक्री-कर अधिकारी की आज्ञा से सहमत न हो तो उसे इस बात का अधिकार दिया गया है कि वह एक महीने के अन्दर कमिश्नर महोदय के समक्ष रिवीजन दाखिल कर सकता है, लेकिन उसके रिवीजन के प्रार्थना-पत्र पर तभी विचार होगा जबकि वह बिक्री-कर अधिकारी द्वारा वांछित धनराशि को पहले जमा कर देता है। तो बिक्री-कर अधिकारी द्वारा वांछनीय धनराशि पूरी की पूरी खजाने में जमा करा देने के बाद सरकार ने रिवीजन करने का अधिकार व्यापारी को दिया है। आज रिवीजन अधिकारी के सामने भी हम लोग जो रिवीजन करने के लिये जायेंगे, उन पर फीस लगेगी क्योंकि कहा यह जाता है कि वह व्यापारी बिक्री-कर से बचने के लिये ही ऐसी कार्यवाही कर रहा है।

मैं वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह यह बतायेंगे कि क्या वह धारा निरस्त हो चुकी है? क्या इस प्रदेश के वे व्यापारी जो लाइसेंस जमा करने के लिये वांछनीय धन-राशि बिक्री-कर अधिकारी को जमा करेंगे, उसके प्रार्थना-पत्र पर भी फीस ली जायगी, क्योंकि वह किसी निस्सार आधार पर कोई काम करने नहीं जा रहा है। इस प्रकार से आपने बिक्री-कर अधिकारी को तानाशाही अधिकार दे दिये हैं। इसका नतीजा यह है कि प्रदेश के बहुत से व्यापारी, जिनके पास इतनी बड़ी धनराशि नहीं है कि वे बिक्री कर अधिकारी के पास जमा कर सकें, उनको लाइसेंस नहीं मिल पायेगा। जब उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा तो वह सेन्ट्रल सेल्स टैक्स जो १ से ७ प्रतिशत तक लगता है, उसके चक्कर में आ जायगा इस प्रकार से इस बिक्री-कर के द्वारा इस प्रदेश के व्यापारी बहुत परेशान हैं। व्यापारियों ने बराबर यह मांग की है कि उत्पादन टैक्स हम लोगों पर लगा दीजिये जो एक्साइज ड्यूटी के साथ वसूल कर लिया जाय। इससे बिक्री-कर की चोरी का सवाल भी पैदा नहीं होगा, लेकिन सरकार वैसा न करके बिक्री कर अधिकारियों को तानाशाही अधिकार देती जा रही है। आपकी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जो इस प्रदेश के करोड़ों व्यापारी हैं आप एक बारगी शस्त्र लेकर हमला क्यों नहीं करते हैं? आप ऐसा तो करते नहीं हैं, लेकिन उनसे फीस वसूल करने के लिये नयी-नयी चालें चल रहे हैं। थोड़े-थोड़े कर बार-बार लगाने से तो यह अच्छा है कि आप एक बार कह दीजिये कि इतनी सीमा तक हम कर लगायेंगे। आप अपनी अंतिम सीमा को बता दीजिये, फिर जिसमें हिम्मत होगी वह यहां व्यापार करेगा, वरना दूसरे प्रदेश में चला जायेगा। फीरोजाबाद का सबसे बड़ा कांच का व्यापारी छदामी लाल, जो करोड़पति है उसने सेल्स टैक्स अधिकारियों द्वारा काफी परेशान किये जाने के कारण अपना हैड आफिस दिल्ली कर दिया है जिसके कारण अब असेसमेंट दिल्ली से होता है। इस प्रकार से बड़े-बड़े व्यापारी अपने फर्जी हेड आफिस बाहर बनाते जा रहे हैं। उन पर अब आपके बिक्री-कर अधिकारियों का कोई हथियार नहीं चल पाता, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं उनको बेजा तौर पर परेशान किया जा रहा है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है कि इस प्रदेश के व्यापारी बिलकुल चौपट हो जायं। अगर आप चाहते हैं कि सूबे का व्यापार चौपट हो जाय तो आप इसे चालू कीजिये वर्ना आप अपना स्टेट ट्रेडिंग कीजिये और देखिये कि कितना बड़ा मुनाफा आप को होता है।

प्रदेश के व्यापारियों को प्रतिवर्ष अपने बैलेन्सशीट इन्कम टैक्स व सेल्स टैक्स अधिकारियों के सामने रखना पड़ते हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो व्यापार चलाये जाते हैं प्रदेश में उनके बैलेन्स शीट कभी सदन के सामने नहीं रखे जाते। अगर सरकार उनको जनता के सामने लाये तो पता लगे कि सरकार द्वारा संचालित व्यापार में कितना नफा होता है। रोडवेज का काम है,

चुर्क सीमेंट फैक्ट्री है या यह प्रिसीजन इन्स्ट्रूमेंट फैक्ट्री है, अनेक सरकार के कारोबार हैं, इन कामों को दस बारह साल चालू हुए हो गये, लेकिन आज तक कोई बैलेन्सशीट सरकार की तरफ से सदन के सामने नहीं आयी जब कि सरकार के पास अनेक आर्थिक विशेषज्ञ मौजूद हैं। परन्तु इसके विपरीत बिक्री-कर और आयकर अधिकारी नित्य ही सूबे के छोटे-बड़े व्यापारियों से फौरन बैलेन्सशीट तलब करते हैं और फौरन वह पेश करते हैं। जब वह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं प्रस्तुत करते ? कारण प्रस्तुत न करने का यह है कि आप को उन व्यक्तिगत व्यापारियों के मुकाबले में अपने व्यापारों में बहुत कम मुनाफा है और इससे सरकार की सारी पोल खुल जायगी और सदन के लोग कहेंगे कि जब प्राइवेट फर्म अपना व्यापार करती हैं तो उन से २०–३० प्रतिशत मुनाफे का असेसमेंट होता है और जब आप अपना व्यापार करते हैं तो इतना कम मुनाफा क्यों है। मैं चैलेन्ज के साथ माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि आप जब प्राइवेट फर्म्स पर इतना कर अधिक मुनाफा असेस कर के लगाते हैं तो आप सरकार द्वारा संचालित फर्म्स को भी देखिये कि वह कितना मुनाफा कमा रही हैं और क्या सरकार के कोष में जमा हो रहा है। उसमें इतनी धांधलेबाजी होती है जिसको सूबे के व्यापारी जानते हैं, वह मनचाहा असेसमेंट करते हैं और टैक्स बांधते हैं, उससे बचने के लिये लोग न्याय हेतु अपील करते हैं, लेकिन आप इसके द्वारा उनका यह रास्ता भी बन्द करना चाहते हैं। जो व्यापारी हजारों रुपये सेल्स टैक्स देते हैं वह इस फीस के भूत से नहीं डरेंगे, वह बराबर अदा करेंगे, लेकिन सरकार ने इस प्रकार की घोषणा कर के यह नई दिशा में एक कदम बढ़ाया है। माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा है कि इस प्रदेश में प्लान्स और योजनाओं को सफल बनाने के लिये डेढ़ सौ करोड़ रुपये का टैक्स लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संशोधन बिल के द्वारा उस का श्रीगणेश सरकार ने किया है। इसका आरम्भ व्यापारियों से हुआ है। आज प्रदेश के व्यापारी चाहते हैं कि आप कम से कम इस बात की घोषणा सदन के सामने कर दें कि आप की इस फीस की सीमा क्या होगी और व्यापारियों से यह फीस किस रूप में किस समय वसूल की जायगी।

दूसरे सरकार यह भी सदन के सामने बताये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के विपरीत ही आप अवधि और कर निर्धारण की सीमा को समाप्त क्यों कर रहे हैं ? आप मनोवांछित अवधि के भीतर इन विघटित फर्मों से सम्बन्धित इस तरह का प्राविजन रखते हैं तो प्रदेश के व्यापारी चौकन्ने होंगे।

एक सदस्य—अगर गलत है तो ?

श्री जगन्नाथ लहरी—गलत है तो आप घोषणा कर दीजिये हम माफी मांग लेंगे क्योंकि हम व्यापारी हैं। बनियों को अपनी मूंछ नीची करने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि सरकार आज कुछ उत्तर देती है और १५ दिन बाद उसमें कुछ संशोधन पेश कर देती है कि उस दिन गलत उत्तर था सही उत्तर इस तरह से है।

मैं अपने भाषण को समाप्त कर रहा हूं, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं। आबकारी मंत्री श्री सीताराम जी से पूछने के लिये मैंने इस सदन के सामने एक प्रश्न रखा था। जो ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी ५ मील की अवधि के अन्दर भी ड्राई इलाका होता है। मैंने पूछा था कि फीरोजाबाद से सांती गांव, जो मैनपुरी जिले में है, वह ३ मील की दूरी पर है तो फिर फीरोजाबाद में मादक द्रव्यों की बिक्री क्यों होती है ? तो आबकारी मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि सांती फीरोजाबाद से पांच मील की अवधि के बाहर है। मैंने फिर उनसे कहा कि मैं विशेषाधिकार का प्रश्न पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन आप जांच करा लीजिये कि कितनी दूरी पर है। उन्होंने जांच के लिये आदेश दिये। आगरा के कलेक्टर ने लिखकर भेजा कि सांती फीरोजाबाद से ३ मील की दूरी पर है और मैनपुरी के कलेक्टर ने लिखा कि ४ मील की दूरी पर है। मैंने उनसे कहा कि अब कहिए तो बोलें कि एक कलेक्टर लिखता है कि ३ मील है और दूसरा लिखता है ४ मील है। मैंने कहा फिर जांच

[श्री जगन्नाथ लहरी]

कराइए और तब लिखकर आया कि ३ मील १ फर्लांग की दूरी पर है । मैंने कहा कि अब आप बतलाएं कि क्या फ.रोजाबाद को डाई करने जा रहे हैं ? उन्होंने कहा कि हम मजबूर हैं । फीरोजाबाद से डेढ़ लाख की आमदनी इन लायसेंसों से होती है । तो आप साफ क्यों नहीं कहते कि इतना लाभ है । आप धोखा क्यों देते हैं ? फिर जांच कराते हैं और उसमें रुपया खर्च कराते हैं । तो मैं अनेक बातें सरकार की बता सकता हूं जबकि सरकार ने सदन के अन्दर गलत उत्तर दिया है सदन को धोखे में रखा है । कलई खुलने के बाद फिर दूसरा बहाना ढूंढने लगते हैं तो सदन के सामने सही ढंग . से आइए । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का विरोध करता हूं और श्री गोविन्दसिंह विष्ट के संशोधन का समर्थन करते हुए मांग करता हूं कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और इसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार दिया जाय, जिससे सही-सही बातों को प्रवर समिति के सामने रखा जा सके और सही ढंग से विचार हो सके ।

*श्री गेन्दासिंह (जिला देवरिया)---माननीय, अधिष्ठात्री महोदया, मैं ऐसा समझता हूं कि यह संशोधन कुछ भूलों को सुधारने के लिये है । तो एक भूल अगर यह भी सुधार कर ली जाती तो अच्छा होता कि इस टैक्स को बिक्री-कर नहीं कहना चाहिये यह असल में खरीद का टैक्स है । जो खरीदता है व टैक्स देता है । बेचने वाला टैक्स अदा नहीं करता । तो यह ज्यादा बेहतर होता और मैं समझता हूं कि इससे सरकार की आंख भी खुलती कि आखिर टैक्स हम किन लोगों से वसूल करने जा रहे हैं । चूंकि इस टैक्स का नाम सेल्स टैक्स रखा हुआ है इसलिये सरकार शायद इस बात को समझने में असमर्थ है कि इस टैक्स का बोझ किन लोगों पर पड़ता है । मैं सबसे पहले इस बात को कहना चाहता हूं कि इस टैक्स का बोझ, अगर अनाज भी इसमें शामिल है और जैसा कि मैं जानता हूं कि शामिल है तो भीख मांगने वालों पर पड़ता है जिनको कि हमने या सरकार ने भीख जो देते हैं उनको छोड़ करके बाकी किसी शक्ति ने अब तक इस भारत में स्वतंत्रता आने के बाद कुछ दिया नहीं । एक बात जरूर हुई है कि हमने कुछ बहुत अच्छे काम किये बहुत अच्छी नियत से । जैसे कि इस वक्त भी हम सारे बांट वगैरह बदल कर दूसरे नाम दे रहे हैं । इसी तरह से हमने रुपये, आने, पाई, को भी बदला, ६४ पैसे की जगह १०० पैसे का रुपया बनाया । तो उस भीख मांगने वाले का अहित जरूर हुआ है । जिस समय वह भीख मांगता है तो या तो १ पैसे की जगह उसको २ पैसे दें या अगर दान देने वाले ने उदारता नहीं की तो फिर वह पैसा देता है जो आजकल उस जमाने के १ पैसे का डेढ़ पैसा होता है । तो ५० फीसदी भीख मांगने वाले की आमदनी हमने इस योजना में कम की । हमारी योजना से उसकी आमदनी कम हुई और जो टैक्स उसके ऊपर कभी भी नहीं था किसी युग में चाहे अंग्रेजी राज्य हो मुसलमानों का राज्य हो या हिन्दू राजाओं का राज्य रहा हो, लेकिन भीख मांगने वाली कौम पर कभी भी कोई टैक्स था ? इसका कोई प्रमाण नहीं था । वित्त मंत्री जी इसको मानेंगे, लेकिन यह पहला वक्त है कि उत्तर प्रदेश में १९५६ के बाद भीख मांगने वालों पर टैक्स लगा । वह आज किस दूकान पर कपड़ा खरीदता है जिस पर उसको बिक्री-कर न देना पड़े । अगर अन्न खाना चाहता है तो क्या मालूम है कि जिस दूकान से वह अनाज खरीदता है उस पर बोझ है या नहीं चाहे लाइसेंस फी की शक्ल में हो, चाहे रुपया, आना, पाई की शक्ल में हो । उसको जरूर कुछ न कुछ देना पड़ता है । जो कोढ़ी है समाज का बोझ है वह पैसा मांगता है अगर उसने ४ आने इकट्ठे किये और शाम को खाना खाने के लिये, अनाज खरीदने के लिये गया तो छदाम रत्ती उस कर का बोझ जरूर उठाना पड़ता है। वित्त मंत्री जी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वह जरा फिर सोंचे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हरगोविन्दसिंह—यह मैंने नहीं कहा ।

श्री गेंदासिंह—अच्छा धन्यवाद, माननीय गोविन्दसिंह जी ने जो परिधि बढ़ाने का प्रस्ताव रखा यह स्वागत करने योग्य है और सरकार ने तथा हमने जो पाप किया है क्योंकि हम भी पब्लिक ऐक्सचेकर से वेतन पाते हैं उसमें भी भीख मांगने वाले से कुछ आता ही है, उससे हमें बचायें और मंत्री जी बचें । इससे देश का कल्याण होगा । कोई उपाय ऐसा निकालें जिससे भीख मांगने वाले के ऊपर से कर हट सके । जो भीख मांगने वाले के जीवन यापन की आवश्यक वस्तुएं हैं उनसे वह बच सके । ऐक्साइज डयूटी की बात में नहीं कह सकता क्योंकि उसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है, लेकिन बिक्री-कर की बात कह सकता हूं क्योंकि यह कर कुछ सालों पहले उनके ऊपर नहीं था । यह कर उस समय से आया उनके ऊपर जब से अनाज पर टैक्स लगा ।

एक श्रेणी और है जिस पर हम को विचार करना चाहिए । खेत में मजदूरी करने वाले लोगों की संख्या एक करोड़ तक पहुंच गयी है देश में । उनके पास जमीन नहीं है वह मजदूरी कर के अनाज खरीद कर खाते हैं । मैं महीलाल जी और शिवप्रसाद जी से कहूंगा कि आज इस सरकार को मनवाने की कोशिश कीजिये कि अनाज के ऊपर से टैक्स हटाये । अगर अनाज के ऊपर से टैक्स हटता है तो इसमें सन्देह नहीं कि वह तबका जो बिना जमीन के है, खेत-मजदूर जिसे साल भर खरीद कर खाना पड़ता है उसके ऊपर से बहुत बड़ा बोझ हटेगा । इस बिक्री कर से अनाज का बोझ उस पर पड़ा है । मैं माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि गोविन्दसिंह जी का जो प्रस्ताव है परिधि बढ़ाने के सम्बन्ध में उसको वे स्वीकार करें तो इस पर विचार किया जा सकता है ।

कुछ और चीजों पर भी बिक्री कर लगाया गया है जिन पर नहीं लगना चाहिए । मैं मेरठ पिछले साल से नहीं गया । बड़ौत के किसानों ने मुझसे शिकायत की कि उनके गुड़ पर भी बिक्री-कर है । मैंने कहा कि गुड़ पर बिक्री-कर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि है । मेरे खयाल से जो भी सामग्रियां काटेज इन्डस्ट्रीज से बनती हैं, वे उससे बरी होनी चाहिए ताकि वे पनप सकें । मैं पंजाब सरकार तथा दूसरी प्रदेशीय सरकारों की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां काटेज इन्डस्ट्रीज को काफी प्रोत्साहन दिया गया है । उसको देखते हुये अगर छोटे छोटे उद्योग हमारे इस टैक्स से बरी कर देने से पनप सकें तो एक तरीका यह भी है जिससे हम उन्हें पनपा सकते हैं । मैं एक्सपर्ट नहीं हूं—लेमैन की हैसियत से भी मैं यह कहता हूं कि परिधि के सम्बन्ध में अगर सेलेक्ट कमेटी विचार करेगी तो ऐसी चीजों को इस टैक्स से बरी करने से सरकार लाभान्वित हो सकती है ।

इस विधेयक के लाने से मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ सन्देह है अपने अधिकारों के सम्बन्ध में । कैसे अधिकारों के सम्बन्ध में सन्देह है इसे जरा माननीय वित्त मन्त्री जी सुन लें । सन्देह यह है कि १९५७ से पहले कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक लिमिट है १९४८ ।

श्री हरगोविन्दसिंह—तीन साल है ।

श्री गेंदासिंह—इस विधेयक के जरिये हमें कोई लिमिट दिखायी नहीं देती, १९५७ से पहले, लेकिन जैसा माननीय मन्त्री जी ने बतलाया तीन साल, तो १९५४ से ये लिये जायेंगे । जो फर्म्स पुनःसंगठित हो गयी हैं उनकी बात तो सोची जा सकती है, लेकिन जो विघटित हो गयी हैं उनका टैक्स कैसे वसूल किया जायगा ?

अपनी मशीनरी को लगायें उनका पीछा करने के लिए, मुकदमा चलायें, उनके ऊपर और कुछ दिनों के बाद यही होगा कि जो फर्में विघटित हो गयी हैं उन पर से सरकार को कर राइट आफ करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि मुकदमेबाजी होगी, सरकार का काम बढ़ेगा और तमाम दुनियां भर की बातें होंगी । तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक में से

[श्री गेंदासिंह]

"विघटित" शब्द को बिल्कुल निकाल देना चाहिये । सरकार बड़े बड़े करोड़पतियों से टैक्स वसूलने में बिल्कुल असमर्थ रही है । म, काल्डर, जो हिन्दुस्तान में आया था उसने जो एक छोटी सी किताब टैक्स प्राब्लम पर लिखी है, उसकी ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान दिलाता हूं कि उसको पढ़े और अगर वे किसी वक्त मुझे बुलायें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उस किताब को लेकर उनकी सेवा में हाजिर हो सकता हूं । माननीया, वह किताब इन्कम-टैक्स के बारे में है । उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि प्रति वर्ष ढाई सौ करोड़ से साढ़े तीन सौ करोड़ रुपये तक टैक्स का इवेज़न होता है और उन्होंने यह भी कहा है कि ज्यादा लोगों के यहां यह इवेज़न नहीं होता है, थोड़े लोगों के यहां होता है और इसको बचाया जा सकता है । तो मैं कहता हूं कि सेल्स-टैक्स में भी ऐसी बात है ।

इस लखनऊ शहर में टैक्स से बचने वाले लोग हैं । ऐसी वस्तुयें हैं जिनका कोई नियन्त्रित मूल्य नहीं है और दुगुनी कीमत पर वे बेचते हैं लेकिन सेल्स-टैक्स हमको उसी कीमत पर मिलता है जिसकी वे रसीद देते हैं। और कहीं न जाइये, डनलप रबर कम्पनी का दफतर यहां है उसी के ऊपर छापा मारिये । अगर किसी किसान को मोटर टायर की जरूरत है तो वे एक हजार रुपया लेकर चार, पांच सौ रुपये की रसीद दे देते हैं । आप पूछिये डनलप रबर कम्पनी से कि किस कीमत पर टायर बेचते हैं । मुझे एक, आध टायर खरीदने का मौका पड़ा है इसलिये मुझे तजुरबा हुआ । अगर वे लोग सही रसीद एक हजार रुपये की दें तो लाखों रुपये की आमदनी हमारी सेल्स-टैक्स में बढ़ सकती है या मोटर चलाने वाले को सही दाम में टायर मिल जायगा । इससे मैं समझता हूं कि बिना नियन्त्रण के सरकार लोकप्रियता प्राप्त कर सकती है कि हजारों किसानों को सही दाम पर टायर दिला दे केवल बिक्री-कर की मशीनरी को दुरुस्त कर के । मैंने उदाहरण के तौर पर इस मामले को सामने रखा । मैं समझता हूं कि अगर हम बिक्री-कर की मशीनरी को एफिशियेन्ट करें तो बहुत सी चीजों को हम बिक्री-कर से मुक्त कर सकते हैं और जिन चीजों पर कोई विवाद नहीं हो सकता, जैसे लग्ज़री गुड्स, उन्हीं पर से इतनी आमदनी हो सकती है कि हम अपना काम चला सकें । हम इस कर का एकदम, सोलह आने विरोध करने की बात नहीं सोचते हैं । मैं समझता हूं कि सरकार को कर लगाने की जरूरत पड़ेगी और कर लगाया जाय । लेकिन अगर कर लगाया जाय तो कर वसूल करने वाले ,असेस करने वाले लोगों को पवित्र रखने के लिये ऐफिशियेन्ट बनाने के लिये सरकार को बराबर इस बात पर सचेत रहना चाहिये और ऐसे कार्य करने चाहिये जिससे लिटिगेशन न बढ़े और मुकदमों से बचने के लिये लाइसेंस फीस न बढ़ायें । मैं जानता हूं कि कानपुर के बहुत से लोगों ने, करोड़-पतियों ने करोड़ों रुपया हजम कर लिया है ।

श्री हरगोविन्दसिंह—रिटायर्ड इन्कम टैक्स आफिसर्स को इसीलिये रखा जाता है है कि करोड़ों रुपया हजम कर सकें ।

श्री गेंदासिंह—हमारा तजुर्बा इसमें नहीं है और दूसरे यह विषय केन्द्र से संबंधित है । लेकिन यह बिक्री-कर का मामला स्टेट का है, इसलिये इसको ऐफिशियेन्ट बनाकर हम ऐसी चीजों में टैक्स वसूल कर सकते हैं जिनमें सरकार को गालियां न मिलें । एक पाप हम लोगों से हो गया था कि अनाज पर टैक्स लगा दिया था । इससे अनाज की कीमत एक दम बढ़ गई । हमारे पास कागज मौजूद हैं और मैं उनको पेश कर सकता हूं कि जिस तरह से थोड़े से समय में ही इस टैक्स के लगते ही अनाज की कीमत बढ़ गई और कितनी बढ़ गई । उस समय का बिक्री कर आज की शक्ल में नहीं था । वह रुपये पर था और कई सीढ़ियों पर था । उसमें साल दो साल बाद आपने सुधार किया ।

मैं समझता हूं कि इस पर फिर विचार करना चाहिये और हम समझते हैं कि हमारी आमदनी और इस तरह से बढ़ सकती है तो उस पर भी विचार करना चाहिये और जिनको छोड़ सकते हैं उन पर भी विचार करें ।

मैं समझता हूं कि हमारी नई सरकार के वित्त मंत्री जी घोषणा करेंगे कि भीख मांगने वालों के ऊपर तथा हरिजन खेतिहर मजदूरों पर अनाज खरीदने पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको आज टैक्स देना पड़ता है । कोई माननीय सदस्य मंत्री जी को समझा सकें तो मैं उनका शुक्रगुजार होऊंगा । इस बिक्री कर को ठीक ठीक रूप देना चाहिये और इसको अच्छी तरह से सोचना है कि किन से वसूल करना है और किन को छोड़ना है । मैं गोविन्दसिंह बिष्ट जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । इसके बाद बिल लाया जाय और जैसा उचित हो संशोधन कर दिया जाय । अगर मंत्री जी सोचते हैं कि आज ही यह पास हो जाय तो जिन बातों की ओर मैंने ध्यान दिलाया है उनके अनुसार इसको अमेंड किया जाय ।

*श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं इस बिल का शुरू से आखिर तक समर्थन और स्वागत करता । विशेषतया इसलिये कि इस बिल में यह खसूसियत है कि यह बिल पिछली सरकार का एक प्रकार से अन्तिम बिल था और परिवर्तित सरकार का एक तरीके से पहला बिल है लेकिन मुझे इसमें कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता है और उसके कारण अवश्य मेरे कुछ मित्रों ने जो बताये हैं उनसे भिन्न है ।

माननीया, पिछले वर्ष इसी सदन में सरकार की ओर से यह घोषणा की गई थी कि निकट भविष्य में एक कम्प्रिहेंसिव बिल सेल्स टैक्स के विषय में आयेगा । हम आशा कर रहे थे, जब हमने पिछली बार यह सुना कि सेल्स टैक्स बिल इस सदन में प्रस्तुत होने वाला है और कदाचित् वही कम्प्रिहेंसीव बिल जिसकी ओर इस सदन में संकेत किया गया था, आता होगा लेकिन मुझे निराशा हुई । मैंने देखा कि इसमें दो तीन छोटी छोटी बातों को छोड़कर किसी बात की ओर ध्यान नहीं दिया गया है तो मुझे अवश्य निराशा हुई । मैं यह समझता था कि अब इस तरह से सरकार में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाने के बाद, छोटी छोटी बातों पर भी जिस सरकार ने नीति में परिवर्तन किया तो कम से कम इस विषय में भी, मुझे आशा थी, नई सरकार नये दृष्टिकोण से देख पायेगी और यदि उस वक्त वह न आ सका तो अब हमारे सामने एक कम्प्रिहेंसिव बिल आयेगा जिसमें सेल्स टैक्स की नीति से सम्बन्धित अब तक के जो दोष थे उनका निराकरण हम देख सकेंगे । लेकिन मेरी निराशा का कारण केवल यही है कि वह कम्प्रिहेंसिव बिल न कल आ सका और न आज आ सका ।

माननीया, जहां तक इस प्रस्तुत बिल की बातों का सम्बन्ध है उसमें तो मैं केवल यह कहूंगा कि कई आशंकायें तो कदाचित् बिलकुल निर्मूल हैं और यदि उनका विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जा सका होता तो समझा जा सकता था, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक परिपाटी सी हो गई है और वह बात अनुचित सी है कि जो बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत होता है उससे सम्बन्धित सामग्री हमारे लिये प्रस्तुत नहीं होती । इसमें जो एम्स एण्ड आब्जेक्ट्स है उसमें पहले ही इस बात पर संदेह प्रकट किया गया है । उस संदेह से निश्चित मतलब यह है कि हमारे न्यायालय का निश्चय है, उनके द्वारा ही संदेह प्रकट किया गया है और यही बात जब यह बिल प्रस्तुत किया गया था तो सम्बन्धित मंत्री महोदय ने कही थी । तो हम आशा करते थे कि वह न्यायालय का फैसला माननीय सदस्यों के लिये उपलब्ध होता और मैं तो यह समझता हूं माननीया कि यदि वह फैसला उपलब्ध होता तो कदाचित् बहुत सी दिक्कतें दूर हो जातीं । और जो बातें आज उस के विषय में कही गई हैं वह कदाचित् न कही जातीं । मेरे एक माननीय मित्र

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

यहां पर यह कह रहे थे कि सरकार का यह एक जाल है उच्च न्यायालय के फैसले को मिटाने का। मैं इससे एक अंश में भी सहमत नहीं हूं और मैं समझता हूं कि यह न्यायालय के फैसले को मिटाने के लिये नहीं है बल्कि उसके फैसले का एक तरह से आदर करता है। न्यायालय ने जो संदेह प्रकट किया था उसमें यह नहीं कहा था कि विघटित फर्म पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता या उनसे टैक्स लिया जाना अनुचित है केवल शब्द "ड्यूरिंग दि कोर्स आफ दि ईयर" आने के कारण आशंका पैदा हुई कि उसके रहते हुये टैक्स नहीं लगाया जा सकता तो ऐसे सुबह को दूर करना जरूरी है और उसका सभी लोगों को समर्थन और स्वागत करना चाहिये और मैं पूरे हृदय से उसका स्वागत करता हूं।

इतना उस सम्बन्ध में मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी जिनके लिये और जिनके विचारों के लिये मेरे हृदय में सदा से आदर रहा है वह यह कह रहे थे कि विघटित फर्म से टैक्स लगाने की बात ही निकाल दी जाय। वास्तव में, मैं उनसे बड़े आदरपूर्वक यह कहूंगा कि यदि उन्होंने उस सारे प्राविजन को, सारे सेक्शन को देखने का कष्ट किया होता तो उनकी विचारधारा को जानते हुये मैं यह निश्चय समझता हूं कि वह इसका समर्थन ही करते। अगर सेल्स टैक्स ऐक्ट में यह प्राविजन कर दिया जाय कि विघटित फर्म पर टैक्स न लगे तो रोज फर्मों का विघटन होने लगेगा। हमारा लक्ष्य तो यह होना चाहिये कि हम ऐसे प्राविजन्स रखें जिससे टैक्स का इवेजन न हो सके। अगर ऐसा प्राविजन कर दिया जाय कि विघटित फर्मों से टैक्स न लिया जाय तो फल यह होगा कि फिर फर्मों का विघटन एक, रोज की कार्यवाही हो जायगी।

मैं प्रारम्भ में कह रहा था, जिस कारण से इस बिल से मुझे निराशा हुई वह यह था कि इतने सालों के तजुर्बे से हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि आज सेल्स टैक्स की नीति में बहुत सी कमियां हैं। उनको दूर करने का प्रयत्न कब होगा, किस प्रकार होगा, वह बिल कब आयेगा, मुझे नहीं मालूम। मैं उन विचारों से पूर्णतया सहमत हूं जो अभी प्रायः सभी माननीय सदस्यों ने, चाहे इस तरफ के बैठने वाले हों, या उस तरफ के बैठने वाले हों, उन्होंने प्रगट किया कि खाद्यान्नों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। मुझे जब भी इस सदन में इस विषय पर विचार व्यक्त करने का मौका मिला है, मैंने सदा यह मांग की है कि खाद्यान्नों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिये। मैं नये वित्त मंत्री जी को एक बात की याद दिलाना चाहता हूं कि जब हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब हमारे यहां वित्त मंत्री थे तो उन्होंने इस सदन में घोषणा की थी कि वे शीघ्रातिशीघ्र खाद्यान्नों पर से सेल्स टैक्स को हटाने के लिये तैयार हैं। उनकी शर्त केवल यह थी कि जितना अनुमानित टैक्स है, दूसरी सारी चीजों पर, यदि वह इस टैक्स से वसूल हो जायगा तो एक क्षण भी खाद्यान्नों पर टैक्स लगाने की उनकी इच्छा नहीं है। ठीक यही उनके शब्द थे। मैंने इसके बाद सरकार द्वारा आंकड़े प्राप्त करने की कोशिश की और यह जानने की कोशिश की कि जितना अनुमानित टैक्स उन वर्षों में था वह वसूल हुआ या नहीं। उनसे पता लगा कि अनुमानित से ज्यादा टैक्स वसूल हो चुका है। ऐसी शक्ल में मैं नये वित्त मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाऊंगा कि अब समय आ चुका है। वे इस ओर ध्यान देने की कृपा करें। यह गरीब अमीर हर एक के प्रयोग में आने वाली वस्तु है और यह स्वाभाविक है कि गरीब इसका प्रयोग अधिक करता है। गरीब का यही एकमात्र आधार है। उसको इस कर से मुक्त करें।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। केवल दो तीन बातें और कहना चाहता हूं। कपड़े पर एक्साइज ड्यूटी होने के कारण सेल्स टैक्स समाप्त हो गया। उस कर के वसूल करने में जो दिक्कतें थीं और जो इवेजन था उससे छुटकारा मिला। लेकिन आज छोटे-छोटे व्यापारियों को केवल इसलिये हिसाब किताब रखना पड़ता है क्योंकि दस-पचास रुपये का वह हैंड प्रिंट रखते हैं। उसका परिणाम यह होता है कि दस, बीस, पचास रुपये इतना तो कुल टैक्स लगता है, एक व्यक्ति के ऊपर, लेकिन उसके कारण सरकारी आफिसर का अमूल्य समय जाता है, और व्यापारी को सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज इस बात की भी आवश्यकता है कि हम सेल्स टैक्स की सारी कर नीति को सिम्पलीफाई करें। उसको इतना सरल करें कि

जिसमें जनता को उसका पिंच इतना न खले । मेरा ऐसा विश्वास है कि आज इवेजन का इतना स्कोप है और उसकी इतनी गुंजाइश है कि कदाचित् अगर हम उन सारे सूराखों को बन्द कर सकें, सारे लूपहोल्स को प्लक कर सकें तो उसी बचत से हम कदाचित् किसी और आवश्यकता का अनुभव न करें। तो मैं आशा करता था कि अब सरकार इस ओर ध्यान देगी और ऐसा कोई कानून हमारे सामने आयेगा ।

मैं आपकी आज्ञा से एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । दो साल पहले एक अमेंडिंग ऐक्ट हमारे सामने आया और उसमें केवल एक या दो धारायें थीं । वह धारा थी शायद ७—डी । उसमें यह प्राविजन था कि जो छोटे लोग हैं जिनका १२ हजार या १५ हजार तक का टर्न ओवर होता है, मामूली आदमी होते हैं, हिसाब किताब रखने में उनको दिक्कत होती है, हमें बताया गया कि उनकी सुविधा के लिये हम एक ऐसा कानून ला रहे हैं कि उनका हिसाब किताब बिला देखे एक कम्प्रोमाइज कर सकते हैं असेसिंग आफिसर और इतना आवश्यक समझा गया इस बात को कि उसके लिये एक नया अमेंडिंग बिल पेश कर दिया गया। हम लोगों ने हाउस में उसको पास किया लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि आज कई वर्ष बीतने के बाद भी उसका एन्फोर्समेंट क्यों नहीं हुआ ? तो यह नीति भी अशोभनीय है कि हम जब जिस बात की आवश्यकता समझते हैं उस बात को लेकर एक अमेंडिंग बिल यहां हाउस में लाकर पेश कर दें और फिर मान्यता और परम्परा के आधार पर हम उसका समर्थन करें तथा वह स्वीकार भी हो जावे । आवश्यकता इस बात की है कि हम सेल्स टैक्स के बारे में सारी बातों की ए टू जेड जांच करें, जितनी खराबियां और दिक्कतें उसमें नजर आयें उनको दूर करें और हमारी सबसे बड़ी एम्फेसिस इस बात पर हो कि हम उसको इतना सिम्पलीफाई करें कि जिससे इवेजन बच सके ।

मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आज एक दूकानदार के यहां आप जाइये । उसके यहां अगर सौ चीजें बिकती हैं तो उसमें पचासों दरें होंगी सेल्स टैक्स की । किसी पर एक पैसा, किसी पर दो पैसा, किसी पर मल्टीपुल प्वाइंट, किसी पर सिंगिल प्वाइंट । तो वह आदमी खुद इसी में परेशान रहता है । अगर बहुत पढ़ा लिखा है तब तो शायद वह सारे क्लासिफिकेशन मेन्टेन कर सकता है । सारा एकाउंट अलग रख सकता है । और अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो बिलकुल बदकिस्मती हो जाती है और उसकी गर्दन असेसिंग आफिसर के हाथ में पहुंच जाती है । आज इसकी भी आवश्यकता है कि टैक्स का यह जो क्लासिफिकेशन है इसमें कम से कम भिन्नता रहे और जितनी समानता लायी जा सके वह लायें जिससे कि व्यवहार में कठिनाई न हो ।

माननीया, अभी बहुत सारे गृह उद्योगों की बात हो रही थी। मैं उस बात से भी पूर्णतया सहमत हूं कि हमारी ऐसी भी नीति हो और जो भविष्य में कम्प्रीहेंसिव बिल आये उसमें इतना ध्यान दिया गया हो कि हम अपनी कर नीति के द्वारा जिन चीजों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं उनके ऊपर कम से कम कर पड़े और जो लग्जरी गुड्स हैं उनके ऊपर उसका बोझ ज्यादा पड़े । आज अभी माननीय गेंदासिंह जी कह रहे थे कि गुड़ पर टैक्स है । गुड़ काटेज इंडस्ट्री में आता है । छोटा किसान उसको बनाता है । लेकिन उस पर टैक्स लगाया जाता है । गुड़ को भी छोड़ दीजिये। उससे भी और सस्ती चीज जो गुड़ का सीरा बनता है या खांडसारी का शीरा बनता है उस पर दो पैसे रुपया टैक्स देना पड़ता है। मैं इस नीति को समझ नहीं पाया कि शक्कर पर एक पैसा रुपया और शीरे पर दो पैसा रुपया । क्यों ? क्या इसलिये कि वह सबसे गरीब आदमी हैं ? इसलिये कि वह शक्कर खरीद नहीं पाते ? गुड़ नहीं खरीद पाते ? तो इसमें केवल एक ही बात है कि इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है, कोई इस पर विचार नहीं होता है। अगर विभागीय अधिकारी, हमारे मिनिस्टर्स, हमारी सरकार इस पर ध्यान दें और ध्यान देकर एक प्लान्ड पालिसी परस्यू की जाय तो इस तरह की असमानतायें न आयें । शीरे पर दो पैसे का टैक्स और खांड पर एक पैसे का टैक्स, यह तो उस कहावत से भी आगे बढ़ जाती है जिसमें कई चीजें एक भाव बिकती थीं—अन्धेर नगरी वाली कहावत ।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

मान्यवर, इसके अतिरिक्त एक बात में और आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं जिसका जिक्र इस सदन में आया। जब जब भी इस सदन में कोई बिल सेल्स टैक्स के बारे में आया है कभी भी सदन के किसी सदस्य ने यह कल्पना नहीं की थी कि आज किसान जो अपनी खेती की उपज बाजार में भेजता है, उस पर किसी तरह से टैक्स लगेगा। न यह सोचा गया था कि उस पर टैक्स लगेगा जिसकी आमदनी १२ या १५ हजार से नीचे है लेकिन पिछली दफा जो कानून हमने तरमीम किया है उसका फल यह हुआ कि इन दोनों के ऊपर टैक्स लग गया। मैं आपकी आज्ञा से यह कहने की धृष्टता करूंगा कि मैंने उस समय भी सदन में निवेदन किया था, लेकिन जैसा प्रायः होता है ऐसी बातों को सुनने का न अवसर होता है और न सुनने की आदत होती है। अतः उस पर विचार नहीं हो सका। लेकिन आज वह कठिनाई व्यवहारिक रूप में हमारे सामने आ रही है। मैं यह कहूंगा कि वे शिकायतें अभी उग्ररूप में नहीं आई है। पिछले कई साल का असेस्मेंट जिन लोगों का बकाया रहा है जब वह पिछले सालों का हो चुकेगा तब इस परिवर्तन का व्यापकरूप से असर पड़ेगा। तब उस दिक्कत का और भी ज्यादा अहसास होगा। मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे कि ऐसा परिवर्तन नियमों में हो जिससे जो पैदावार किसान करता है अगर वह बेचे तो उस पर टैक्स न लगे। आज भी सेल्स टैक्स में इस तरह का कानून मौजूद है कि एक आदमी अपनी उपज का टर्न ओवर नहीं करता है, तो टैक्स नहीं लगता लेकिन यह जो बिल में परिवर्तन है उसका फल यह हुआ कि किसान की उपज पर जो सेल्स टैक्स से एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स लग रहा है। कदाचित् जब माननीय मंत्री जी से पूछा जायगा तो कहा जायगा कि विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन निकल चुका है। उस नोटिफिकेशन में हमने यह विज्ञापित कर दिया है कि कोई व्यापारी उस किसान से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करें। ऐसा कोई कानून, जहां तक मैं समझ पाता हूं और दूसरे लोगों से भी मालूम करने की कोशिश की है, अभी तक नहीं बनाया गया या बनाया जा सकता है कि एक आदमी किसी आदमी से यह कहे कि तुम किसी आदमी की उपज बेचो और उसको स्वयं टैक्स न पड़े। वह केवल आठ आने ले सकता है। अगर वह किसी आदमी को बेचता है तो वह उसको खुद बर्दाश्त करे। उस आदमी से जो अपना माल बेचता है, उससे न ले।

अब इसका फल क्या होता है। उससे कहा जाता है कि तुम टैक्स न लो। लेकिन वह दूसरे नाम से ले लेता है। वह उस व्यापारी से नहीं बल्कि उस काश्तकार से तुलाई के नाम से ले लेता है। वहां पर कानून खत्म हो जाता है। आप कानून से उसको रोक नहीं सकते हैं। वह तो तुलाई कर लेता है। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि उसको टैक्स के रूप में ले लेना आप कानून से रोक नहीं सकते हैं। कोई ऐसी विज्ञप्ति यदि हुई है तो वह गैर कानूनी है। वह न्याय की कसौटी पर सही नहीं बैठ सकती। व्यापारी इस कानून के झंझट को नहीं चाहता है। वह यह समझता है कि जो आप कहते हैं वैसे ही वह करता है। वह दूसरी तरह से उसको ले लेता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह भार गरीब किसान पर जा कर पड़ता है। जो सदन की मंशा नहीं थी टैक्स लगाने की वह उस पर लग रहा है। इसलिये मैं निवदन करूंगा कि इस ओर ध्यान देने की अवश्य कृपा की जाय।

अब इस प्रस्तुत विधेयक में तीन संशोधन हैं। दो के संबंध में मैं निवेदन कर चुका हूं। तीसरे की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि एप्लीकेशन और अपील पर कोर्ट फीस लगाने की बात है। सिद्धान्ततः मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं यह व्यावहारिक समझता हूं कि एप्लीकेशन पर अगर फीस लगे तो वह ठीक है, उचित है। मैंने पहले स्वयं इस सदन में इस ओर संकेत किया था लेकिन मुझे एक बात की बड़ी हैरत है। इसके उद्देश्य और कारणों में यह बतलाया गया है कि इस टैक्स को लगाने की मंशा यह है कि बहुत सारी अपीलें और बहुत सारी अप्लीकेशन्स आती हैं, बहुत से जजेज के रहते हुए भी उनके डिस्पोजल

में दिक्कत होती है और कभी कभी वह निराधार भी होती हैं, तो इसलिये ऐसी अप्लीकेशन्स को रोकने के लिये हम इस टक्स को लगान जा रहे हैं। अगर जैसा उद्देश्य और कारणों में लिखा है, यही मंशा है इस फीस को लगाने की तो मैं इसका पूर्णतया स्वागत और समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि आप इसे अवश्य लगाइये। लेकिन माननीय राज्यपाल महोदय का सम्बोधन जो इस सदन में हुआ, उसमें जहां इस विधेयक का जिक्र हुआ है, उन्होंने कहा है, "उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६० और उत्तर प्रदेश सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९६०, ऐसे दो विधायन हैं जो विधान परिषद् में जाने तथा अंतिम रूप से पारित किये जाने के पूर्व, विधान सभा के समक्ष विचाराधीन है। यदि ये विधेयक आप के द्वारा पारित हो जाते हैं, तो उनसे राज्य के साधनों में और भी वृद्धि हो जायगी।" इन शब्दों से मुझे ऐसा लगा कि इसकी मंशा केवल यही नहीं है जो कि उद्देश्य और कारण में लिखी गयी है। क्योंकि जो फ्रीवोलस अप्लीकेशन्स हैं और जो एरियर्स हैं वह दूसरी तरह से भी कम हो सकते है, इसकी मंशा यह है कि किस प्रकार आमदनी बढ़ायी जाय। और अगर इसकी मंशा यह है और इसे राज्य के साधन बढ़ाने का माध्यम बनाया जाता है और यह आशा की जाती हो कि इससे राज्य का बजट पूरा किया जायगा तो मैं इसका विरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस पर फिर विचार करें।

सरकार ने इस धारा के द्वारा केवल अपने में यह अधिकार लिया है कि वे इस प्रकार की अप्लीकेशन्स और अपीलों पर फीस लगा सकते हैं, लेकिन इसे वे किस रूप में करेंगे इस पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाला गया है। लेकिन वह मैं समझता हूं कि इस सदन में जो बहस हुई है, मुझे ऐसी आशा और विश्वास है कि वह उसके प्रकाश में ही उस पर काम करेंगे। मैं विनम्रतापूर्वक उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे खुशी से इस प्रकार की फीस लगावें जिससे कि फ्रीवोलस अप्लीकेशन्स में कमी हो, लेकिन इसे खजाने की पूर्ति का माध्यम न बनाया जाय क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बहुत से लोग न्याय पाने से वंचित रह जायंगे।

एक बात की और प्रार्थना करना चाहूंगा। जब वे इस प्रकार की फीस लगाना चाहते हैं तो उसके पहले उन्हें दो बातों पर ध्यान देना होगा। फ्रीवोलस अप्लीकेशन्स हो सकती हैं लेकिन फ्रीवोलस एसेसमेंट्स भी होते हैं लोगों पर, बड़े-बड़े बोझ भी लाद दिये जाते हैं गलत एस्टीमेट करके। तो आप ऐसा भी विधान कीजिये, कि अगर आपके द्वारा, आपके अपील जज के द्वारा यह साबित हो कि अपील ठीक थी और वह अधिकारियों द्वारा किये गये इस्टीमेट को रद्द कर दे या उसे माडीफाई कर दें तो किसी व्यक्ति पर जो बोझ पड़ा है वह डिपार्टमेन्ट के ऊपर पड़े कास्ट के रूप में। अगर आप ऐसा कर देंगे तो जैसे फ्रीवोलस अप्लीकेशन्स रुकती हैं वैसे ही यह फ्रीवोलस एस्टीमेट्स भी रुक सकेंगे।

मैं आपकी आज्ञा से एक दूसरी बात भी निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि जब आप नियम बनायें तो कृपा करके यह बात ध्यान में रखें कि आप अप्लीकेशन्स का वर्गीकरण कर दें। कुछ ऐसी अप्लीकेशन्स होती हैं कि जो फ्रीवोलस होती है, लेकिन अगर एक व्यक्ति पहली बार बीमारी के कारण मेडिकल सर्टिफिकेट देकर अपने मुकदमे को मुल्तवी करवाना चाहता है तो उस पर आप फीस मत लगाइये। अगर गरीब है और वह एक मुश्त रुपया नहीं दे सकता तो इसके लिये अर्जी देने पर आप फीस मत लगाइये। अगर कोई व्यक्ति अपना रुपया अदा करने के लिये स्टे की प्रार्थना करता है तो फीस मत लगाइये और जो यह बात मैं निवेदन कर रहा हूं वह न्याय पर, इक्वीटी पर आश्रित है। आपको इसकी मिसालें सी० पी० सी० में मिल जायंगी। उसमें ऐसी धारायें हैं कि जहां आदमी असहाय है, वहां उन्होंने उस आदमी को अप्लीकेशन फीस से एग्जेम्प्ट कर रखा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आपने इस ओर ध्यान देने की कृपा की तो यह इस दोष से मुक्त हो जायेगा। जहां तक इस बिल का संबंध है, इस बिल की तीन बातों में से दो बातों का मैंने पूर्णतया समर्थन किया है और तीसरी बात का भी आंशिक रूप में समर्थन ही किया है। मुझे जो निराशा हुई इस बिल को देखकर, वह केवल इसी कारण हुई कि मैं आशा करता था कि इस संबंध में एक

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

कम्प्रीहेन्सिव बिल हमारे सामने आयेगा जिससे जनता तथा विभाग के सामने जो कठिनाइयां हैं उनका पूर्णरूप से निराकरण किया जायेगा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि या तो वे इस बिल को इस समय प्रवर समिति में भेजने की कृपा करें, अगर वे इसकी परिधि बढ़ाने के पक्ष में हों तो, अथवा वे इस बात का आश्वासन दें कि वे स्वयं सारी बातों पर विचार करके कभी भविष्य में कोई कम्प्रीहेन्सिव बिल लाने की कृपा करेंगे जिससे इन सभी कठिनाइयों का निराकरण हो सकेगा।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—माननीया, मैं तो बहुत ही थोड़ा समय लूंगा। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं तो टैक्सों पर ही कुछ कहूंगा। टैक्स कई तरह के होते हैं टैक्स, सेल्सटैक्स, और विशेष टैक्स। फिर आराम काटने का टैक्स, मौज करने का टैक्स, किसान को मारने का टैक्स, गरीबों का खून चूसने का टैक्स, मौत टैक्स, कृषि टैक्स, हवाई जहाज पर यात्रा करने का टैक्स, मोटर टैक्स, हर तरफ टैक्स ही टैक्स। जब से यह सरकार आई है टैक्स ही टैक्स हमारे सामने आते रहे हैं। सब टैक्सों के लिये गरीबों के पास ही जाते है, अमीरों के पास कोई नहीं जाता है। पार्टी बाजी में भी टैक्स ही टैक्स। चार आना टैक्स, फिर ८ आना टैक्स, फिर १ रुपया टैक्स। यह सब गरीब पर ही टैक्स है। पंचायतों पर टैक्स। सुअर पर टैक्स, मुर्गी पर टैक्स, बच्चों पर टैक्स। इस कांग्रेस सरकार का तो आज कोई पता ठिकाना है ही नहीं। आज एक कहता है कि तुम सो जाओ, अब मैं राज्य करता हूं, कल को दूसरा कहता है कि अब तुम आराम करो, मैं राज्य करता हूं। अंग्रेजों के जमाने में नमक पर टैक्स के विरोध में सन् १९३० में सैकड़ों व्यक्तियों की जाने चली गयीं, माताओं और बहनों के सुहाग नष्ट हो गये, किन्तु आज यह निकम्मी सरकार नमक पर टैक्स लगाती है। यह हमारी सरकार नहीं है, यह तो पूंजीपतियों की सरकार है, टाटा और डालमिया की सरकार है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में साढ़े १६ अरब का नया टैक्स है देश के ऊपर जो यह सरकार लगाने जा रही है। सन् १९६२ में देखा कि कहीं यह आ गये तो न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। यह तो देश को ऐसा रोगी बना रहे हैं कि वह बोलता भी रहे, खाता भी रहे और मौत के घर जाता भी रहे। कहां तक कहूं, तमाखू की जो किसान खेती करता है उस पर एक मन पर ३१ रुपया टैक्स वसूल किया जाता है। कुछ ठीक है इस सरकार का? उत्तर प्रदेश में लाखों एकड़ जमीन में तमाखू होती है और एक नया मुहकमा श्रीमन्, बना दिया है। पहले एक इंसपेक्टर, फिर बड़ा इंसपेक्टर, फिर डबल इंसपेक्टर अलग पूरा मुहकमा बन गया है। अगर २५ मन तमाखू किसान पैदा करे तो साढ़े १२ मन तमाखू ड्यूटी में चली जाय और साढ़े १२ मन में इंसपेक्टर और आधे में किसान। हो गया खत्म मामला। दिल्ली वालों से सिफारिश की जाय कि जो लोग किसानों से लगान और मालगुजारी वसूल करते हैं तो ड्यूटी के बजाय वह एक बीघे पर २०–२५ रुपया टैक्स लगा दिया जाय तो सरकार का फायदा हो और यह बेकार का मुहकमा खत्म हो जाय और जो लोग किसान को आध बटाई में लूट रहे हैं वह भी दूर हों। खैर, इस सरकार से तो आशा ही क्या करें कि यह टैक्स कम करेगी। लेकिन अगर कम नहीं करेगी तो बहुत जल्दी वह जमाना आयेगा जब कि यह सरकार ही नहीं रहेगी सन् १९६२ में। लिख लेना यह चीज। गांधी जी क्या कहा करते थे, पता है? भूल गये—

"भूमि-कर विरुद्ध हो तो, छूट की न बात होती,
दूध वाले, फल वाले, कर वाले होते तो।
कर धन पर कर होते, गांधी न गर होते,
बिना दिये लाखों नर हवालात होते तो।
पशुओं की भांति नर-पशुओं की हाट होती,
त्राहि त्राहि जनता और बाल सब रोते तो।
देशी स्वदेशी को नाम आज मिट जातौ,
लुट जातौ भारत गर गांधी न होते तो।।"

उस बुड्ढे ने तो टैक्स को छुड़वाया, लेकिन ये कभी कोई ऐसा नहीं करेंगे जिससे किसानों का, मजदूरों का भला हो। ये तो किसान को भी खत्म कर देंगे, मजदूर तो खत्म हैं ही। सन् ६२ के बाद जो इनका सहकारिता का बज्र चलेगा जिसे इन्होंने छिपा कर रखा है—अगर जनता सावधान हो गयी तो वोट नहीं देगी—उससे देश का सर्वनाश होने वाला है। इस सरकार से कोई आशा नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूं लेकिन इस बुड्ढे से बातें सच्ची निकलती हैं।

श्री हरगोविन्दसिंह—श्रीमन्, इस छोटे से विधेयक के संबंध में इतनी बातें कहीं गईं कि इस भवन में आने के पूर्व मैं यह नहीं समझता था कि इसकी परिधि के अन्दर इतनी चीजें आ सकती हैं। यह विधेयक किस कारण लाया गया यह तो उस विधेयक के अन्त में लिखा गया है और मैं भवन के सदस्यों को यह विश्वास दिलाता हूं कि वह पूर्णतया सत्य है। श्री गोविन्दसिंह विष्ट की ओर से जो संशोधन रखा गया कि इसको एक प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय उसे मुझे दुख है कि इस समय मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं। उसका कारण यह है कि जैसा कहा गया अगर यह एक बड़ा भारी बिल होता जिसे आप कम्प्रिहेन्सिव की संज्ञा देते हैं, अगर वैसा बिल होता तो इसकी आवश्यकता थी कि यह एक प्रवर समिति के सामने रखा जाय और सब बातों पर विचार करके जिस रूप में वह विधेयक वहां से निकले उसे इस भवन में प्रस्तुत किया जाय लेकिन यह दो क्लाजेज का बिल प्रवर समिति के पास भेजा जाय, मैं समझता हूं अनावश्यक है।

मेरे पूर्वाधिकारी ने इस सदन में कोई आश्वासन दिया था मैं नहीं जानता लेकिन मैं आपको और आपके जरिये भवन के सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि यदि हमारे पूर्वाधिकारी ने ऐसा आश्वासन दिया था तो वह अवश्य पूरा किया जायगा। सरकार के व्यक्ति चाहे भले ही बदल गये हों, लेकिन सरकार नहीं बदली है, सरकार तो कांग्रेस की तब भी थी और आज भी है। यदि कोई आश्वासन दिया गया है तो मैं उसको देखूंगा और इस बात की कोशिश करूंगा कि पूर्ण रूपेण एक कम्प्रिहेंसिव बिल आपके सामने रखूं। लेकिन यह न जानते हुए कि कोई ऐसा आश्वासन दिया गया था या नहीं मुझे खुद उसमें अपने विचार से एक सन्देह पदा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि वह सन्देह आपके समक्ष उसी रूप में रख दूं। कानून बनाने की यह परिपाटी चली आती है कि किसी संगठित समाज में पहले जो आवश्यकता होती है उस आवश्यकता की पूर्ति के लिये कानून बनाया जाता है। किसी समाज में कभी भी यह सम्भव नहीं है कि कानून बनाने वाले आज बैठ करके अपने सामने यह नक्शा बना लें कि क्या क्या आवश्यकतायें भविष्य में पैदा होंगी, किसी एक कानून को चलाने या कार्यान्वित करनें में क्या-क्या आवश्यकतायें या क्या-क्या कठिनाइयां भविष्य में पैदा होंगी और आज उसका निराकरण इस विधेयक में कर दिया जाय। मैं समझता हूं कि यही कारण है कि सेल्स टैक्स ऐक्ट जब पास हुआ और जब वह लागू किया गया उसके बाद जैसा कि गोविन्दसिंह जी ने कहा १२–१४ दफा इस बात की आवश्यकता हुई कि इसमें संशोधन पेश किये जायं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। ज्यों-ज्यों आवश्यकतायें पड़ती गईं, ज्यों ज्यों ऐसी चीजें मालूम होती गईं कि इस तरह से इस बिल का उल्लंघन किया जा रहा है, इस कानन का उल्लंघन किया जा रहा है उसकी पूर्ति के लिये समय-समय पर कानून बनाये जाने लगे। तो जैसा मैंने कहा, आज भी मुझे एक शंका मालूम हो रही है कि वह कम्प्रिहेन्सिव बिल जो कहा जाता है वह क्या होगा। मैं समझता हूं कि आजतक जो कठिनाइयां उपस्थित हुईं, जो आवश्यकतायें महसूस हुईं, उनकी पूर्ति इन अमेंडमेन्ट से की जा रही है और भविष्य में की जाती रहेगी, लेकिन इसके अलावा उस कम्प्रीहेंसिव बिल में क्या होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। अगर यह सोचा जाय कि किसी चीज पर आज एक पैसा और किसी पर दो पैसा टैक्स है उसको हटा कर एक प्लेन टैक्स कर दिया जाय तो उस समय तो सदन के सामने विस्तृत विधेयक लेकर आना होगा। इसके अलावा कम्प्रीहेंसिव बिल का क्या मकसद होगा, मैं नहीं समझ सका। लेकिन यदि कोई माननीय सदस्य यह सुझाव

[श्री हरगोविन्द सिंह]

दें कि इसमें इस बात की आवश्यकता है तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि यदि मैं उनसे सहमत हुआ तो मुझे कम्प्रीहेंसिव बिल लाने में कोई शर्म नहीं होगी।

यह कहा गया कि हम हाईकोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन कर रहे हैं। जगदीश जी ने उसका उत्तर दे दिया लेकिन मैं यह समझता हूं कि जब यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया होगा तो पूर्वाधिकारी ने यह बताया होगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिये आवश्यकता नहीं पड़ी कि सरकार कोई नयी चीज करने जा रही है, इसलिये भी आवश्यकता नहीं पड़ी कि हम कोई नया टैक्स लगाने जा रहे हैं, इसलिये भी आवश्यकता नहीं पड़ी कि हम किसी को बेईमान समझते हैं। उसकी आवश्यकता तो इस कारण से हुई कि १९५७ की जो विघटित फर्म्स थीं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाय किन्तु कैसे लगाया जाय, यह उसमें नहीं था। जब इस बात की आवश्यकता पड़ी तो एक हाईकोर्ट के फैसले में यह था कि विघटित फर्म पर कोई टैक्स नहीं लग सकता। लेकिन फैसले में कोई ऐसी बात नहीं थी कि उसके बारे में हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया हो। एक मामला हाईकोर्ट में गया। उसमें दो न्यायाधीश बैठे। एक न्यायाधीश ने यह आशंका प्रकट की कि यह जो संशोधन किया गया है (२, १९५७) इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विघटित फर्म पर जो सेल्स टैक्स लगाया जाय वह उसी साल का हो या पिछले तीन सालों का हो सकता है। यह गलत धारणा है कि इस विधेयक के द्वारा कोई ऐसी शक्ति ली जा रही है कि हम जितने साल पीछे का चाहें उतने साल पीछे का टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन इस विधेयक में साफ लिखा हुआ है कि ४ वर्ष से अधिक का टैक्स नहीं लगाया जायगा।

हाईकोर्ट के एक जज ने तो यह आशंका प्रकट की थी लेकिन दूसरे न्यायाधीश ने यह प्रश्न नहीं उठाया और कहा कि जो ओबीटर दूसरे जज का है उस पर मैं कोई राय नहीं दे रहा हूं। प्रश्न यह है कि जो फर्म इस साल में विघटित हो गयी उस पर पिछले तीन वर्षों का टैक्स लगाया जा सकता है या नहीं। यही प्रश्न था जिस पर दो जजों ने मुख्तलिफ राय दी। लेकिन हमारे कानून जानने वाले सलाहकारों ने यह राय दी कि जज की यह राय मान्य नहीं इस प्रकार की राय को कानूनी भाषा में ओबीटर कहा जाता है। लेकिन यह सोचा गया कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति पैदा हो सकती है, इसलिये जो शब्द ऐसा है जिससे यह अर्थ निकल सकते हैं, उस शब्द को ही निकाल दिया जाय। इससे यह नहीं है कि कोई टैक्स बढ़ा रहे हैं और न इसके द्वारा कोई टैक्स लगा ही रहे हैं। केवल इतना ही इसके द्वारा हो रहा है कि अगर कोई फर्म विघटित हुई है तो जिस साल में उसने काम किया है तो ४ वर्ष तक उस पर टैक्स लगाया जा सकता है।

टैक्स लगाने की बात मेरी समझ में यह भी नहीं आई कि हम कैसे किसी को इसमें बेईमानी समझते हैं। बिक्री-कर या परचेज टैक्स इसको कुछ भी कहिये यह दूकानदार अपनी जेब से नहीं देता, वह तो खरीदारों से लेकर देता है, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है। श्री लहरी ने बड़ी बुलन्द आवाज में इसका विरोध किया और कुछ आवेश में आ कर बहुत सी बातें कहीं मैं उनमें तो नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि दूकानदार दूसरों से टैक्स वसूल करते हैं तो हमें टैक्स लगाना चाहिये, नहीं लगाना चाहिये या लगाना चाहिये, खराब है या अच्छा है यह सब इस बहस से परे की बात है। टैक्स लगा हुआ है, दूकानकार उसको जमा करते हैं हमारे ऐजेंट की तरह, हम उनसे टैक्स लेते हैं इसमें कौन बेईमानी की बात है? शक तब होता है जब वह टैक्स देने में गुरेज करते हैं, शक तब होता है कि उसने जो रुपया खरीदारों से हमारे लिये इकट्ठा किया है वह वे नहीं देना चाहते। शायद इसीलिये यह सब आवेश है वर्ना दुखित होने या आवेश में आने की कोई बात नहीं है।

हां, यह भी बात जरूर है कि जब कोई कानून बनाया जाता है और जिस पर वह कानून लगता है वह इस बात की कोशिश करता है कि किस तरह से उसकी अवहेलना की जाय और किस

तरह से उससे बचा जाय । ठीक इसी तरह से किसान से जो गल्ला बेचने के लिये ले जाता है उससे, सरकार की नियत, बिल की नियत और सेल्स टैक्स कानून की नियत यही है कि उस से कोई सेल्स टैक्स न लिया जाय लेकिन मुझे यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं है कि यह एक माल-प्रेक्टिस चल निकली है कि जब बेचारा किसान गल्ला लेकर आता है तो कमीशन के नाम पर जिसे कच्ची आढ़त करते हैं, वह लेता है और तुलाई के भी ४ आने की जगह ८ आना कर लिये हैं, यह चीज विभाग से, मुझसे, आपसे, किसी से छिपी नहीं है लेकिन हम इसको टैक्स नहीं कह सकते, वह चोरी होती है, कानून मना करता है, लेकिन वह होती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसी कानून की मंशा है । यह स्पष्ट है कि सरकार की मंशा इस ऐक्ट से यह है कि किसान से कुछ न लिया जाय, लेकिन फिर भी कच्चे आढ़ती लेते हैं । पकड़े जाने पर वह सजा भी पा सकते हैं । इसके अलावा हमारे आप के पास क्या चारा है । श्री गोविन्दसिंह जी हाथ हिला रहे हैं, मैं नहीं कहता कि सेल्स टैक्स विभाग कोई दूध का धोया है, मुझे यह स्वीकार करने में तनिक भी संकोच नहीं है और मैं समझता हूं कि शायद एक रुपए में से ६ आना या अधिक से अधिक ८ आना से अधिक सरकार को नहीं मिलता । मैं यह जानता हूं, इसमें संदेह नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि जानते हुये भी, आप रोज ही इस सदन में कहते हैं कि हर तरफ भ्रष्टाचार है लेकिन प्रश्न यह है कि उनको रोका कैसे जाय । आप हमको दोषी तब कह सकते हैं जबकि आप उसके तरीके हमको बतायें और हम उन तरीकों को अमल में न लावें । मैं जानता हूं, उसकी कोशिश भी होती रही है, लेकिन फिर भी यह कह देना कि सेल्स-टैक्स का एक-एक पैसा सरकार के खजाने में जमा हो जायगा——मैं अपनी जगह पर वित्त मंत्री होते हुए भी यह संदेह करता हूं कि कभी यह अवस्था भी आ सकती है ।

गेंदासिंह जी ने यह कहा कि एक भिखारी से टैक्स लिया जाता है । बड़े मार्मिक शब्दों में उन्होंने कहा कि एक भिखारी जो एक-एक पैसा मांगकर चार आने दिन भर में इकट्ठा करता है वह जब दुकान पर जाता है तो उसे टैक्स देना पड़ता है । अगर वह चार आने वाला भिखारी, जिसको आप पक्का आढ़तिया कहते हैं उसके यहां खरीदने जाता है चार आने का आटा तो शायद उसको मिलेगा भी नहीं, लेकिन अगर उससे वह खरीदेगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा । लेकिन उस दुकान पर जाता है चार आने का आटा खरीदने जिसका टर्नओवर २५ हजार से कम है साल में, तब तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा । इसीलिये मैंने उस समय कहा था कि नहीं, चार आने वाले को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यह आपकी भ्रांति है ।

सेल्स टैक्स एक आवश्यकता है । एक समाज में टैक्स न लिया जाय और सब काम भी होते रहें, यदि भविष्य में कोई ऐसा समाज संभव हो सके तो इस समाज का नागरिक होना सबके लिये सौभाग्य की बात होगी । इसके पहले जब यहां प्रश्नोत्तर हो रहे थे तो मैं बैठा हुआ देख रहा था, कहा जा रहा था कि यहां ओला पड़ गया, यहां यह हो गया, उसके लिये रुपया चाहिये, इसके लिए चाहिये । आखिर यह आएगा कहां से ? टैक्स से ही तो आएगा । और जब एक समाज ऐसा है जो उत्तरोत्तर विकसित हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके लिये प्रयत्न हो रहा है तो टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा । सेल्स टैक्स भी उसी लिये है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं । सेल्स टैक्स भी इसीलिये है कि किसी प्रकार से हमको धन उपलब्ध हो और उसे हम विकास के कार्य में लगा सकें । जब आमदनी बढ़ेगी तो टैक्स की वृद्धि भी होगी । ऐसा कोई समाज नहीं बना और न कोई दुनिया में राज्य ऐसा स्थापित हुआ जो टैक्स न लेता रहा हो । जो गेंदासिंह जी ने उदाहरण दिया——मुझे अफसोस है कि वह इस समय उपस्थित नहीं हैं——मेरा खयाल है कि उस समय भी किसी प्रकार का टैक्स तो लिया ही जाता रहा होगा, चाहे वह सेल्स टैक्स न रहा हो । आज का जो सेल्स टैक्स है वह आपके प्रान्त में कोई नई चीज नहीं है, और प्रान्तों में भी है । अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि सब प्रान्तों में यह टैक्स लिया जाता है ।

(इस समय ३ बजकर ५७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

गल्ले का भी टैक्स ऐसा नहीं है जो हमारे ही प्रान्त में हो । एक आदमी जो करोड़ों रुपये का व्यापार करता है उससे कोई टैक्स न लिया जाय क्योंकि उसका नाम सेल्स टैक्स है, यह

[श्री हरगोविन्दसिंह]

मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है । टैक्स तो लेना ही चाहिए । यह बात जरूर है कि जब कोई टैक्स लगे तो इस बात का भी समुचित प्रबन्ध होना चाहिये कि वह जो कर है जितना भी संचित हो, वह सरकार के खजानों में जमा हो जाय । इसके रास्ते में चाहे जितनी भी मुश्किलें आवे उनको किसी तरह से दूर करना चाहिए और उसका प्रयत्न निरन्तर होता रहेगा और आज भी हो रहा है । मैंने स्वयं भी कुछ बातों को सोचा है जो इस समय तो आपके सम्मुख नहीं लाना चाहता क्योंकि वह परिपक्व रूप में अभी नहीं है, लेकिन मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों से बात की है कि अगर इस तरह से हम करें तो जो हमारी काफी रकम मारी जाती है वह बंद हो सकेगी । हम उस पर सफल हो सके तो आपके सामने उसको लायंगे, जितने सुझाव आपने दिये हैं वे अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं । उनको मैंने नोट कर लिया है और विचार भी करूंगा । लेकिन जो विधेयक आपके सामने आया है, एक तो इसलिये आया है कि भविष्य में एक कठिनाई हो सकती है उसके लिये एक संशोधन किया गया । दूसरा अंग इस विधेयक का जो आपके सामने प्रस्तुत है वह छोटी-छोटी चीजों का है । मैं अगर आंकड़े बताऊं तो आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर अपील और रिवीजन्स की संख्या बढ़ती जा रही है । १९५७-५८ में १५,३७६ अपील्स थीं, आज उनकी संख्या ४१,८४७ हो गई है । इसी तरह से रिवीजन्स १०,४३७ हो गये हैं । तो इतने रिवीजन्स और अपील्स बढ़ गई हैं कि यह मुश्किल हो रहा है कि हम उनको पूरा कर सकें और यह भी अपनी जगह पर सही है कि इन अपीलों और रिवीजन्स की वजह से हमारा सेल्स टैक्स काफी रुक भी गया है ।

यह बात जरूर है और हम लोगों का अनुमान है कि इससे साल में खाली २ लाख रुपये की आमदनी होगी जो नगण्य है । इसलिये अगर गवर्नर के ऐड्रेस में यह कह दिया गया तो इसके लिये तो नहीं था, वह मोटर स्प्रिट के लिये था । वह तो मैं मान सकता हूं । लेकिन अगर इसके लिये भी मान लिया जाय तो २ लाख की आमदनी है उससे भी तो खजाने की कुछ पूर्ति होगी । लेकिन इसका अभिप्राय केवल यह है कि आज एक एप्लीकेशन दे दी और उधर टैक्स की वसूली बन्द हो गई, वह हट जाय । अभी तो निश्चय नहीं है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह बहुत कम होगा । इसके रूल्स बनेंगे, पब्लिश होंगे और तब लगेगा । यह नहीं है कि बिना रूल्स बनाये हुये कल से टैक्स लागू हो जायगा जैसी की एक सदस्य की भ्रान्ति थी । तो इससे कोई बड़ी रकम नहीं आने वाली है । लेकिन हम काम की कमी जरूर चाहते हैं । कोई स्टैम्प लगता नहीं, उन्होंने दाखिल कर दी और हमारी उधर वसूली रुक गई । इसमें कितने हम सफल होंगे यह तो भविष्य बतायेगा । लेकिन यह पहला कदम है उस तरफ । यह बात ठीक है इस देश में और बहुत से देशों में न्याय के लिए रुपया खर्च करना पड़ता है । यह अगर हमारे लिये शर्म की बात है तो और बहुत से देशों के लिये भी शर्म की बात है । यहां इस समय यह तो नहीं किया जा सकता है कि यह बिल्कुल हटा ही दिया जाय । अगर और कहीं से आमदनी की सूरत हो जाय, अगर उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाय तो कौन देश ऐसा है जो नहीं चाहेगा कि बिना कोई फीस लिये न्याय लोगों को दे । मैं समझता हूं यह अधिकार सभी का होगा, यह एक आइडियल स्टेट में संभव हो सकता है, उन देशों में हो सकता है जहां लोग टैक्स देना एक गौरव की बात समझते हैं । आपने पढ़ा होगा इंगलैंड में एक तरीका है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन्कम टैक्स का हिसाब नहीं देते वहां एक गुप्त बाक्स लगा दिया जाता है । उसमें करोड़ों पौंड आ जाता है । कोई नहीं जानता कि किस आदमी ने डाला, लेकिन वह अपना इन्कम टैक्स दे जाता है । अगर ऐसी आइडियल स्टेट यह हो जायगी तब तो यह संभव हो सकेगा वर्ना हमारे लिये नहीं बहुत से देशों के लिये शर्म की बात है । न्याय के लिये पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन इस गरीब देश में आप सब कुछ चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिये नहीं कर सकते कि आपकी कठिनाइयां हैं । जिस देश में हम अपने अध्यापकों को इतनी कम तनख्वाह देते हैं जो चपरासी से कम होती है तो वहां लोग आइडियल्स की बात नहीं सोच सकते । हमको सीढ़ी दर सीढ़ी चलना होगा । फिर जो कुछ हमने लगाया है यह हमने नहीं सब प्रान्तों ने लगाया है । इसका अभिप्राय यह है कि जो फ्रिवोलस चीजें चला करती हैं वे न हों ।

हमें दुख इस बात का है कि जितनी सच्चाई हम अपने विभिन्न वर्गों से चाहते हैं उतनी सच्चाई हमें मिलती नहीं । किसी विभाग में जाइये हमारा लड़का कत्ल करता है तो शायद ही हममें से कोई ऐसा हो जो यह जा कर कहेगा कि हां हमारे लड़के ने कत्ल किया है, इसको फांसी मिलना चाहिये । हम इसी बात का प्रयत्न करेंगे कि किस तरह उसे बचा लें । तो जहां यह हयुमेन फेक्टर भी हो वहां ऐसी व्यवस्था न चाहते हुए भी आपको उसे करना पड़ेगा । आप यहां आ कर बैठ जायं तो आपको भी यही करना होगा अगर आपको देश को चलाना है, उसे सम्पन्न करना है, लोगों का स्तर ऊंचा करना है तो आपको टैक्स लगाना पड़ेगा । टैक्स एक अप्रिय चीज है परन्तु मजबूरन आपको करना पड़ेगा ।

मैं समझता हूं कि जो बहुत से आक्षेप किये गये वे अपनी जगह पर बहुत प्रिय हैं लेकिन आप यह भी तो बतलाइये कि इस तरह से इसे बन्द कर सकते हैं । उन उपायों को कार्यान्वित करने में अगर आप हमको पीछे पायें तब तो आप जरूर हमारी निन्दा करें लेकिन आप यह देखेंगे कि आप कोई ऐसा उपाय हमारे सामने रख सकें जिससे सेल्स टैक्स की चोरी बन्द की जा सके और हम अपने पैसे को वसूल कर सकें तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझसे अधिक किसी को खुशी नहीं होगी ।

काटेज इंडस्ट्री की जो बात कही वह ठीक है । इसमें बहुत सी चीजें एग्जेम्प्ट हैं । कुछ नई चीजें आती हैं उन पर विचार होता है कि इन्हें एग्जेम्प्ट करना चाहिये या नहीं लेकिन यह नहीं हो सकता कि काटेज इंडस्ट्री पर कोई टैक्स ही न लगे । उसमें लग्जरी गुड्स पर टैक्स लग सकता है और जरूरत की चीजों पर टैक्स एग्जेम्प्ट किया जा सकता है । अगर काटेज इंडस्ट्री में मोटरें बनने लगें और मोटर पर टैक्स न लगे तो शायद इसको आप भी स्वीकार नहीं करेंगे । तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो सुझाव आपने दिये हैं उनको मैंने नोट भी कर लिया है और इस बात का प्रयत्न भी करूंगा कि अधिक से अधिक कोशिश इस बात की करूं कि हमारी चोरी भी बन्द हो और अधिक से अधिक धन भी हमको इस टैक्स से मिल जाय । इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा ।

श्री इन्दुभूषण गुप्त (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सुझाव मांगा तो मैं यह सुझाव देता हूं कि जैसा मंत्री महोदय ने भी माना कि यह सेल्स टैक्स नहीं है बल्कि परचेज टैक्स है और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार और कठिनाइयां भी हैं तो इसके बजाय अगर वे शापकीपर्स से उनकी बिक्री के हिसाब से लायसेंस फी लें तो उनकी भी कठिनाइयां दूर हो जायंगी और जनता भी सेल्स टैक्स की मुसीबत से बच सकेगी ।

श्री अध्यक्ष—यह तो आपका सुझाव है, आप लिख कर भेज दीजिये । अब प्रश्न यह है . . . .

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—अभी तो उत्तर नहीं हुआ, श्रीमन् ।

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर काहे का उत्तर ? वह तो खंड के ऊपर कोई संशोधन होता है तो उत्तर होता है, इसके ऊपर नहीं ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—साधारणतया तो श्रीमन् हमेशा मौका देते रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—इसके ऊपर नहीं ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० को इस सदन की एक प्रवर समिति के सिपुर्द किया जाय जिसे उसकी परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो १५ दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० एक मास के लिये जनमत संग्रह के लिये प्रसारित कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई० की धारा ३-ग का संशोधन ।

२--मूल अधिनियम की धारा ३-ग की उपधारा (१) में :--
(१) शब्द "किसी कर-निर्धारण वर्ष की अवधि में"; तथा
(२) उसके खंड (क) में आये हुये शब्द "की अवधि के लिये" निकाल दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं० १५, १९४८ ई० की धारा २४ का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (२) के खंड (च) के पश्चात् नये खंड (चच) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :--
"(चच) कर-निर्धारक अधिकारी या सहायक बिक्री-कर कमिश्नर अथवा बिक्री-कर कमिश्नर के समक्ष व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर और अपीलीय अधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों के ज्ञापन-पत्रों तथा पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्रों पर या किन्हीं अन्य प्रार्थना-पत्रों पर फीस निर्धारित करना ।"

श्री अध्यक्ष--खंड ३ में एक संशोधन श्री गोविन्दसिंह विष्ट का है और एक श्री जगदीशशरण अग्रवाल का है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--मैं एक वैधानिक प्रश्न उठा रहा हूं । ये जो संशोधन अभी हाल में आये हैं इनकी सूची हमारे पास नहीं है और विधान यह है कि ३६ घंटे पहले जो संशोधन न आयें वे किसी एक भी मेम्बर के एतराज पर नहीं लिये जायेंगे । तो हमको कोई सूचना नहीं मिली इसलिये हम इन पर विचार नहीं कर पाये हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि इन संशोधनों को लेना मुनासिब नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--नियम में यह है कि अगर मैं इजाजत दे दूं तो वह लिये जा सकते हैं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी--आप अपने विशेष डिस्क्रिशन पर इजाजत देते हैं तो दूसरी बात है ।

श्री अध्यक्ष--आप एतराज कर रहे हैं लेकिन इसमें जो नयी परिस्थिति है उसमें यह संशोधन लेने का प्रश्न उठता है । बात यह है कि यह विधेयक तो जारी है पहले से और जो ये दो संशोधन हैं ये पहले दिये जा चुके थे । लेकिन सत्रावसान के कारण विधेयक जारी रह गया

क्योंकि संविधान के अनुसार विधेयक जारी रहते हैं और जो नोटिसेज हैं वह खत्म हो जाते हैं तो जो संशोधनों के नोटिस थे वे खत्म हो गये । ऐसी परिस्थिति में अगर मैं इजाजत न दूं संशोधन उपस्थित करने की तो ज्यादती होगी लेकिन समय सदस्यों को न मिलने के कारण जो संशोधन वैध होंगे, मैं उनकी ही इजाजत दूंगा ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, इसकी शब्दावली तब्दील हो जाय तो ठीक हो जाता है ।

श्री अध्यक्ष--जी नहीं । यह स्पष्ट भी है । आप प्रतिबन्ध के रूप में जोड़ना चाहते हैं पहले सब्सटीट्यूट के रूप में कहते थे । दूसरा प्रतिबंध जज वगैरह के सिलसिले में नई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, यानी वह फिट इन नहीं करती है और इर्रेलेवेन्ट है । मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं । पहले यह था कि 'खंड ३ में प्रस्तावित उपखंड (चच) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

बिक्री कर से संबंधित साधारण प्रार्थना-पत्रों पर कोई शुल्क या कोर्ट फीस न ली जायगी । इतना हिस्सा जो है उसका कोर्ट फीस से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ शुल्क से संबंधित है । दूसरी बात यह है कि नियम बनाने के खाली अधिकार देने के लिये संशोधन उपस्थित किया गया है । यह कानून बन रहा है । इसमें इसके ऊपर फीस नहीं ली जायगी यह आप एक सब्सटेंटिव ला बनाना चाहते हैं ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, मैं इतना निवेदन कर दूं . . . .

श्री अध्यक्ष--अब मैं कोई बहस नहीं चाहता हूं । मैं कारण दे रहा हूं । यह संशोधन जो आपका है, चाहे इसको कैसा भी कर दें, इसमें पश्चात् या किन्तु कर दें, लेकिन एक तरह से रूल मेकिंग पावर दी जा रही है उसके विरोध में या समर्थन में यह नहीं है । इसमें कई चीजों को मिला दिया गया है । एक तो यह कि पहले यह है कि फीस नहीं ली जायगी । उसके बाद यह है कि इन चीजों के अलावा जब कि अपील वैक्सेशन्स या फ्रिविलस हो अन्य दशा में उक्त शुल्क की धनराशि सरकार द्वारा अपीलकर्त्ता को देय होगी । यानी अजीब नये ढंग का यह संशोधन है । इसलिये मैं इस संशोधन को अवैध करार देता हूं और मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

***श्री जगदीशशरण अग्रवाल**--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ३ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध रख दिया जाय--

> "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर निर्धारण स्थगन, बिक्री कर की मांग को अपील अधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी के निश्चय तक स्थगित रखने एवं किस्तों के मांगों के प्रार्थना-पत्रों पर एवं २५० रुपये से कम बिक्री कर के विरुद्ध की गई अपील अथवा पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्र पर कोई फीस नहीं लगेगी।"

मान्यवर, मुझे इस सदन का अधिक समय अपने संशोधन के समर्थन में कदाचित नहीं लेना पड़ेगा इसलिये कि अभी जब सामान्य विवाद में मैं निवेदन कर रहा था तो मैंने संशोधन के निर्धारण के सिद्धान्त पर काफी प्रकाश डालने का प्रयास किया था । मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संशोधन का एकमात्र ध्येय यही है जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा गया है कि इस विधेयक की मंशा केवल ऐसी एप्लीकेशन्स को डिसकरेज करने की है जो फ्रिविलस हों और निराधार दे दी जाती हों और जिनकी वजह से बहुत बड़ी तादाद हो जाती है उन अपीलों की और उनके डिस्पोजल में बहुत समय लगता है । यही मंशा उद्देश्य और कारणों में दिया गया है। इस प्रस्ताव के लाने का भी यही मंशा है । तो मैं इस संशोधन द्वारा सरकार से यह मांग करता हूं कि वह ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर टैक्स

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

लें मुझे कोई आपत्ति नहीं और मैं उसके सिद्धान्त से पूर्णतया सहमत हूं लेकिन ऐसी ऐप्लीकेशन्स पर जिनका वास्ता छोटे आदमियों से है और जिनका बोझ छोटे आदमियों पर पड़ेगा उनको कर से मुक्त रखा जाय। सरकार इस प्राविजन द्वारा अपने में यह पावर्स ले रही है कि वह ऐसी सारी ऐप्लीकेशन्स पर कर लगा सकती है। यदि मेरा यह संशोधन मान लिया जाय तो इसका परिणाम यह होगा कि वह अधिकार तो सुरक्षित रहेगा, फीस तो लगाई जा सकेगी और जैसा उद्देश्य और कारणों में कहा गया है उन सारी ऐप्लीकेशन्स को डिस्करेज करने का मंशा है वह पूरा हो जायगा। लेकिन मेरे संशोधन का मंशा विशेष रूप से उन ऐप्लीकेशन्स से है जिनके सम्बन्ध में मैं संक्षेप रूप से निवेदन करता हूं कि वह मुक्त हो जायेंगी। मेरे संशोधन का अभिप्राय तब ही हल हो जायगा यदि माननीय मन्त्री जी केवल इस बात पर गौर करके यह आश्वासन इस सदन को देने की कृपा करें कि वे रूल्स बनाते समय जो अधिकार आज इसके द्वारा सरकार को देने जा रहे हैं उस वक्त इस बात पर ध्यान दे लेंगे क्योंकि शुरू में प्रतिबन्ध लगा दिया जाय और यदि बाद को उस पर गौर किया जा सके तो काम चल सकता है। मैं केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि जिन चीजों को मैंने मुक्त करने की प्रार्थना की है जैसे २५० रुपया किसी आदमी पर टैक्स लगता है तो जाहिर है कि वह आदमी हुआ जो सबसे नीची इकाई है, जो सबसे नीची श्रेणी का आदमी है। अगर उसको अपील करना पड़े तो उस हद तक अपील करने में किसी प्रकार के कर से उसको मुक्त रखा जाय। अगर वह आदमी १० हजार देने की क्षमता रखता है तो प्रत्यक्ष रूप से वह इस इकाई से बड़ा आदमी होगा, उस पर टैक्स लगाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जो २५० रुपये वाले हैं उनको इस टैक्स के बोझ से वंचित रखा जाय।

इसी प्रकार कोई विशेष प्रार्थनापत्र है जैसे किसी आदमी को निर्णय कराना पड़े किसी तिथि को किसी विशेष परिस्थिति में तो उसको भी इससे मुक्त रखा जाय अगर किसी आदमी से बिक्री कर मांगा गया है और वह उच्चाधिकारी से यह प्रार्थना करता है कि जब तक उस की अपील का फैसला न हो जाय उस वक्त तक उसके ऊपर वसूलयाबी का आर्डर जारी न किया जाय तो उसपर भी टैक्स नहीं लगना चाहिये। मान्यवर, ऐसा तभी होता है जब एक व्यक्ति जिस पर टैक्स लगता है और वह उसे देने की क्षमता नहीं रखता है या उस पर टैक्स लगने का औचित्य नहीं है और वह उच्च अधिकारी से प्रार्थना करता है कि जब तक उसकी अपील पर निर्णय न हो जाय उससे यह टैक्स न वसूल किया जाय लैन्ड रेविन्यू के एरियर्स की तरह तो ऐसे प्रार्थना-पत्रों को मुक्त किया जाय। मैंने जो यह प्रार्थना की है कि यह न्याय और इक्विटी पर तो आश्रित है ही पर लेकिन इसके लिये नजीर सिविल प्रोसीजर कोड में भी मिल सकती है जहां ऐसे प्रार्थना-पत्र होते हैं जिनमें नजूल के सिलसिले में जजमेन्ट डेटर आता है और उनको उस वक्त मांग करनी पड़ती है और न्यायालय उस पर कोर्ट फीस नहीं लगाता कई और ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें कोर्ट फीस नहीं लगती, बहुत सी पहली अप्लीकेशन्स पर कोर्ट-फीस नहीं लगती, उसी प्रकार की दूसरी अप्लीकेशन्स पर कोर्टफीस लगती है। तो उसी सिद्धान्त पर इस सेल्स टैक्स में भी जब यह पावर लेने जा रहे हैं तो इस पर गौर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसपर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री हरगोविन्दसिंह---श्रीमन, जो अभी तक विचार है वह भी मेरा खयाल है शायद अन्त तक रहेगा लेकिन अभी अन्तिम रूप से यह नहीं मान लेना चाहिये कि यह निश्चय हो ही गया है। यह जो फीस लगेगी यह डिफरेन्स पर लगेगी। मान लें कि पांच सौ पर टैक्स लगा और वह कहता है कि दो सौ हमारे ऊपर लगना चाहिये। तो फीस खाली दो सौ पर होगी, पांच सौ पर नहीं होगी और उसमें यह विचार भी है कि चाहे कितना बड़े से बड़ा केस क्यों न हो, उसमें भी हम किसी सूरत में १०० रुपये से ज्यादा फीस न लगायें।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल---और कम से कम कितनी होगी?

श्री हरगोविन्दसिंह--कम से कम एक रुपया। तो जहां तक उस अंग का सवाल है, मुझे मानने में मजबूरी है। बकीया उन्होंने जो रखा है कि उनको एग्जेम्प्ट किया जाय, वह हम लोगों के विचार में हैं। रूल्स बनाते समय हम खयाल रखेंगे। मैं समझता हूं कि इसके बाद वह अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**--श्रीमन, अभी हमारे अग्रवाल जी के संशोधन पर श्री वित्त मन्त्री ने जो कहा उससे कुछ सन्देह हुआ और मुझे बोलने के लिये खड़ा होना पड़ा। श्री वित्त मन्त्री जी का कहना है कि बहुत सी बातें हम नियमों के बनाते वक्त सोचेंगे। मैं समझ नहीं पाया कि यह डेलिगेटेड पावर कैसे मिल जायगी जबकि ऐक्ट में स्पष्ट दिया हुआ है कि फीस निर्धारित हो। जो आश्वासन आप दे रहे हैं उनका कहीं तथ्य नहीं है, कि नियमों में चल कर सौ रुपये से ज्यादा फीस न लगायें। पता नहीं कि आप इस आश्वासन का पालन कर पायेंगे या नहीं। आपने यह भी कहा कि जो अग्रवाल जी कह रहे हैं, उस पर विचार रखेंगे। इसका भी विश्वास नहीं पड़ता कि आप पालन करेंगे या नहीं क्योंकि आपने अभी कहा है कि हम बहुत सी बातें सोच ही रहे हैं, कोई परिपक्व अवस्था में नहीं है।

मुझे इस धारा पर मौलिक रूप से विरोध है। मैंने अपना संशोधन लिख कर अध्यक्ष के पास भेजा था लेकिन मेरे ऊपर उनकी कृपा नहीं रही और मुझे प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला, अन्यथा मैं अपनी बात रखता। जैसा कि मैंने अपने जनमत संग्रह के संशोधन पर कहा था, जब तक हमें इस बात का विश्वास न हो जाय कि सरकार जो फीस लेगी वह जो देश में स्थिति है उसको समझ कर लेगी, और गरीब निर्धन किसानों के ऊपर उसका भार नहीं पड़ेगा (व्याधान) हम विरोधी पक्ष में इसीलिये बैठे हैं और इसी लिये आलोचना करने का सौभाग्य मिला है कि हम जानते हैं कि कथनी और करनी में अन्तर है। मेरा संशोधन यह था कि यह प्रतिबन्ध कर दिया जाय कि कम से कम ढ ई सौ तक की बिक्री पर छूट दे दी जाय यानी छोटे छोटे व्यापारियों पर टैक्स न लगे। इस प्रकार के प्रतिबन्ध मौलिक ऐक्टों में हुआ करते हैं। अगर खंडों में एक्सेप्शन में लाना चाहते हैं तो प्रतिबन्ध में ले आते हैं और कई एक प्रतिबन्ध हो सकते हैं। यह दूसरी बात है कि यह विधेयक इतनी जल्दी में हमारे सामने आया कि हमारे पास जो आपका प्रोग्राम पहुंचा वह आठ रोज से पहले नहीं मिला। इस आठ रोज के अन्दर हम गम्भीरता से बहुत सी बातों पर सोच भी नहीं सके। संशोधन हम ला नहीं सके। नहीं तो मैं कहता कि इनमें कई प्रतिबन्ध लगाने योग्य थे, सरकार की ओर से वह लगाये जाने चाहिये थे यदि सरकार यह कहती है कि हम इस बात के लिये सचेत हैं कि उन लोगों के प्रार्थना पत्रों पर फीस न लगे जो सचमुच ही निर्धन हैं। अगर वह यह कहती है तो उसको चाहिये था कि वह स्वयं प्रतिबन्ध उसमें लगाती। अब भी समय है। अभी भी संशोधन ला करके अपनी इस शुद्ध वृद्धि का परिचय सरकार हमें दे सकती है। लेकिन यह सहारा पकड़ना कि हम नियमों में इसकी व्यवस्था करेंगे, यह कुछ उचित नहीं है। मैं तो ऐसा समझता हूं कि अगर नियमों में आप ऐसा करेंगे तो वह नियम विरुद्ध करेंगे क्योंकि ऐसी डेलीगेटेड पावर्स आपके पास नहीं हैं। नियमों में आप यह नहीं कर सकते जैसा कि आप कहते हैं कि सीलिंग अधिक से अधिक की और कम से कम की आप रखेंगे। यह आपके पावर में नहीं होगा क्योंकि कहीं भी इसका निर्देश नहीं है। अगर माननीय वित्त मन्त्री जी ऐसा सोचते हैं कि वह ऐसा कर सकते हैं तो यह उनका दुस्साहस है और उनको ऐसा सोचना नहीं चाहिये। हां, यदि वह सचमुच ऐसा करने के लिये उद्यत हैं तो वह एक प्रतिबन्धात्मक संशोधन लावें और इसमें जोड़ें तो हम भी यह समझें कि वह वास्तव में इसके लिये सचेत हैं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल--मान्यवर, मैं आपके संशोधन को माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये आश्वासन के बाद वापस लेना चाहता हूं क्योंकि इन्होंने अपने आश्वासन में करीब-करीब उन सभी बातों को मान लिया है जिनको हम रखना चाहते थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि श्री जगदीशशरण अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में-- ८६,

विपक्ष में-- १५।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन, इस खंड का विरोध करने की तो इजाजत मिलेगी ?

श्री अध्यक्ष--जी हां, आप विरोध कर सकते हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन, मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे इस खंड का विरोध करने के लिये आज्ञा दी। यह खंड इस तरीके का है कि "कर निर्धारक अधिकारी या सहायक बिक्रीकर कमिश्नर अथवा बिक्रीकर कमिश्नर के समक्ष व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों पर और अपीलीय अधिकारी या पुनरीक्षण अधिकारी के समक्ष व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत अपीलों के ज्ञापन पत्रों तथा पुनरीक्षण के प्रार्थना-पत्रों पर या किन्हीं अन्य प्रार्थना-पत्रों पर फीस निर्धारित करना"। जहां तक इस खंड का सवाल है अभी उस को मन्त्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि दो लाख रुपये के करीब आमदनी सरकार को इससे होगी। यह जानकर हमारे दिल और दिमाग को तकलीफ होती है। सरकार शुल्क लगाने के कारणों में कभी कुछ बतलाती है और कभी कुछ। स्पष्ट बात सदन के सामने नहीं रखती है। जैसा कि अभी अग्रवाल जी ने मन्त्री जी को बतलाया कि आमदनी के बढ़ने की बात राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में छपी हुई है। मेरा खयाल है कि उस अभिभाषण की सियाही अभी सूखी भी न होगी कि जिसमें बताया है कि इस तरह से हमें प्राप्ति होगी।

दूसरी बात यह है कि उद्देश्य और कारणों में यह बतलाया है कि कुछ फ्रीवोलस अप्लीकेशन्स हमारे पास आ गई हैं उनको कम करने के लिये यह हम कर रहे हैं। इन दोनों बातों में विरोधाभास है। पहले दूसरी बात कही गई और अब उसके बरअक्स कहा जा रहा है वास्तव में वे एक्सचेकर को बढ़ाने के लिये जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। हम इन परस्पर विरोधी बातों से क्या समझें ? सरकार जो कुछ कहती है वह उस पर स्टिक करेगी इसमें हमें शक होने लगता है। आज यहां पर कहा गया कि दो लाख रुपये की इससे आमदनी होगी। इस सेल्स टैक्स के बारे में हम लोगों को बड़ा कड़वा अनुभव है। सेल्स-टैक्स के बारे में कई मित्रों ने फरमाया है कि यहां पर यह कहा गया था कि अमुक धनराशि अगर सेल्स-टैक्स से वसूल हो जायगी तो सरकार खाद्यान्न पर से सेल्स-टैक्स हटा लेगी। इसी कांग्रेस के मन्त्री हाफिज साहब ने कहा था। यही सरकार यह आश्वासन देती है कि इतनी धनराशि होने पर अनाज पर टैक्स नहीं लेगी लेकिन उससे अधिक वह धन सेल टैक्सों में वसूल गया किन्तु अनाज का कर चालू है। मैं एक उदाहरण अपने पड़ोस का बतलाऊं कि एक दूकानदार है। उसने कई साल हुये दूकान छोड़ दी। उसके पास कोई व्यापार नहीं है। उसकी दुकान खाली रही अब अलबत्ता उसने सरकारी राशन की दूकान खोली है। मगर उस पर असेस्मेन्ट हो गया। यह कर निर्धारक अधिकारी हैं जो इसी बात में अपनी एफीशियेंसी मानते हैं कि कितना असेस्मेन्ट लोगों पर बढ़ाया जाय। वह यह कहते हैं कि उनकी एफिशियेंसी इसी तरीके से गिनी जाती है कि कितना टैक्स ला कर वे सरकार को देते हैं। जो कर अधिकारी टैक्स नहीं बढ़ाते और अपना कोटा पूरा नहीं करते तो उनको सरकार द्वारा निकम्मा करार दिया जाता है। चाहे दूकानदार का कोई काम चले या न चले मगर उनके टैक्स बढ़ाने पर ही उनकी एफिशियेंसी मानी जाती है। उस पर यदि गलत रूप से टैक्स बढ़ गया तो उसके पास न्याय पाने के लिये कोई मार्ग नहीं है। अगर वह अपनी फरियाद लेकर न्याय पाने के लिये न्यायालय के पास जाना चाहता है तो उसके लिये दरवाजा बन्द हो गया। आज

बहुतों के लिये न्याय के दरवाजे बन्द हो गये हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं रह गया है। जहांगीर के यहां न्याय पाने वालों के लिये फीस नहीं ली जाती थी। वहां पर एक घंटी टंगी रहती थी। जो न्याय चाहता था उस घंटी को हिला देता था तो यह बात कि वे कर सम्बन्धी अर्जियों पर शुल्क लगा कर आय बढ़ाना चाहते हैं, माननीय मन्त्री जी ने अपने मुखारविन्द से कही। उन्होंने कहा कि कोर्टफीस का सवाल है अपने ही देश में नहीं, बाहर भी अनेक देश लेते हैं। अगर और लोग बेशरमी करते हैं तो हमीं ने क्या कसूर किया है? मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि अगर और लोग बेशरमी पर उतारू हों तो हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिये। भारत सरकार ने एक ला-कमीशन बैठाया है और उसकी सिफारिश है कि यह कोर्ट फीस आय बढ़ाने के लिये नहीं लगानी चाहिये। उसमें हमारे देश के जाने माने कानूनी सलाहकार लोग हैं, एम० सी० सीतलवाद जैसे व्यक्ति उसमें हैं। उनकी देश में एक प्रतिष्ठा है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेज भी उसमें हैं और उन्होंने कहा कि ज्यादा कोर्ट फीस नहीं लगनी चाहिये। तो जिस देश में न्याय बेचा जाता हो, यह स्पष्ट है कि वहां उसका ज्यादा लाभ सेठ लोगों को ही होगा।

मन्त्री जी ने इंग्लैंड की बात कही कि "वहां इन्कम टैक्स आदि का पैसा लोग एक बक्स में डालते जाते हैं इसलिये सरकार को वहां टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वहां के लोग इतने ईमानदार हैं"। मैं थोड़ा उनकी बात का उत्तर देने की जुर्रत करूंगा। कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। आप देखें कि हमारे यहां इस कांग्रेस महारानी की सरकार के कदम आने के बाद जो यह भ्रष्टाचार है, जिसकी शिकायत मन्त्री जी भी करते हैं वह बढ़ा है, घटा नहीं है। इसके लिये तो 'आनरेबिल मिनिस्टर शुड थैंक हिज ओन पार्टी'। इंगलैंड में तो यह इसलिये हो सका कि एक बार लार्ड एमरी साहब वहां के होम मिनिस्टर थे, लेकिन उनके लड़के ने एक देश द्रोह का काम किया इसलिये उसको फांसी पर चढ़ाने की स्वयं उन्होंने मांग की और वह फांसी पर चढ़ा दिया गया। मैं तो जानता नहीं कि यहां भी ऐसा हो सकता है। यहां तो जब सरकारें बदलती हैं तो अखबार-बाजी से पता लगता है कि किस मिनिस्टर के लड़के ने क्या किया। कितना पैसा कमाया, कितने ठेके लिये या किस मिनिस्टर ने सरकारी माल अपने घर रख लिया। इस तरह की बातें तो जब मन्त्रिमण्डल बदलता है तो कही जाती हैं और वह मैं भी सुन लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—लेकिन आप उनको दोहरा क्यों देते हैं?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मन्त्री जी ने इंग्लैंड की बात का उदाहरण दिया था। अब इसलिये यह सब कह रहा हूं। आप चौराहे पर हो रही चीज देख कर आंख मूंद लें, कान बन्द कर लें यह अस्वाभाविक है। यह कैसे हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—आप तो स्वयं वह सब कह रहे हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं इसलिये कह रहा था कि श्रीमन् भी सुन लें। मंत्री जी ने इंग्लैंड का उदाहरण दिया। वहां केवल प्राइम-मिनिस्टर को सरकारी कार मिलती है। क्या यह इस देश में ऐसा सम्भव है? यहां राम राज्य की दुहाई सरकार रोज देती है। याद रहे उस राज्य में एक साधारण धोबी के आक्षेप पर राम ने सीता को त्याग दिया था। अगर हम राम राज्य चाहते हैं तो उसके लिये पहले राजा को स्वयं एक्जाम्पुल सेट करनी चाहिये। यह नहीं कि "पर उपदेश कुशल बहुतेरे" वाली बात चलायी जाय।

श्री अध्यक्ष—इसका इससे कहां ताल्लुक है? इसमें कहीं सीता जी नहीं हैं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—उन्होंने जो कुछ कहा उस के उत्तर में ही मैं यह निवेदन कर रहा था। उधर बैठने वाले कांग्रेसी बेंचेज के जो लोग हैं उन्होंने आज कई कड़वी बातें कहीं वैसी बातें मैं नहीं कहना चाहता। श्री लहरी जी ने जो कड़वी बात कही, वैसी मैं

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

नहीं कह सकता, लेकिन वह देखें, माननीय मंत्री जी लहरी जी की बात पर ध्यान दें कि किस प्रकार सफेद-पोश लोगों को देख कर जनता आजकल नाक भौं सिकोड़ती है। यह इसलिये कहता हूं कि विरोधीदल जनता के कांटैक्ट में रहता है। श्रीमन्, विरोधी लोगों का तो सम्पर्क जनता से रहता है। वे गांव-गांव में लोगों से मिलते हैं और उनकी बातों को सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन सरकार उन्हें कोई मान्यता नहीं देती है और जिससे हालत गिरती जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कानून को बेचने की बात न करें और अगर उन्होंने ऐसा किया तो इससे फायदा सेठ को होगा, गरीब आदमी को नहीं। लिहाजा मैं इस क्लाज का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

कतिपय कार्यवाहियों का वैधीकरण उ० प्र० अधिनियम संख्या ३२, १९५७।

४--मूल अधिनियम की धारा ३-ग में कोई बात होते हुए भी, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५७ द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के पूर्व या पश्चात् मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्य करते हुए भावित होने वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किये गये कर-निर्धारण या दी गयी आज्ञायें, किये गये कार्य या की गई कार्यवाहियां, जारी किये गये निदेश या प्रयुक्त क्षेत्राधिकार, जो किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या संयुक्त हिन्दी कुटुम्ब द्वारा व्यापार बन्द किये जाने के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में हों, विधि की दृष्टि में उसी प्रकार ठीक तथा वैध समझे जायंगे मानो वे कर-निर्धारण, आज्ञायें, कार्य, कार्यवाहियां, निदेश और क्षेत्राधिकार इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा ३-ग के उपबन्धों के अधीन या अनुसार, यथास्थिति, विधिवत् किये गये, दी गयी, की गई, जारी किये गये या प्रयुक्त हुये हों और मानो इस प्रकार किया गया संशोधन सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, मैं खंड ४ का विरोध करूंगा।

श्री अध्यक्ष--ठीक है, आप ५ मिनट में ही अपनी बात कह लें।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इस खंड ४ का विरोध करता हूं। चौथे खंड में यह है--

"मूल अधिनियम की धारा ३-ग में कोई बात होते हुए भी, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५७ द्वारा मूल अधिनियम में किये गये संशोधन के पूर्व या पश्चात् मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कार्य करते हुए भावित होने वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किये गये कर-निर्धारण या दी गयी आज्ञायें, किये गये कार्य या की गई कार्यवाहियां, जारी किये गये निदेश या प्रयुक्त क्षेत्राधिकार, जो किसी फर्म, व्यक्तियों के संघ या संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब द्वारा व्यापार बन्द किये जाने के पूर्व की किसी अवधि के सम्बन्ध में हों, विधि की दृष्टि में उसी प्रकार ठीक तथा वैध समझे जायेंगे मानो वे कर-निर्धारण, आज्ञायें, कार्य, कार्यवाहियां, निदेश और क्षेत्राधिकार इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित, मूल अधिनियम की धारा ३-ग के उपबन्धों के अधीन या अनुसार यथास्थिति, विधिवत् किये गये, दी गयी, की गयी, जारी किये गये या प्रयुक्त हुए हों और मानो इस प्रकार किया गया संशोधन सभी महत्वपूर्ण दिनांकों पर प्रचलित रहा हो।"

श्रीमन्, यह बहुत ही वाइड पावर्स सेल्स टैक्स आफिसरों को देने जा रहा है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम जो कानून ला रहे हैं वह इसलिये ला रहे हैं कि जो फर्म्स डिजाल्व हो जाती हैं उनसे पुराने टैक्स का पैसा वसूल कर सकें। पहले सन् १९५७ में जब माननीय वित्त मंत्री, हाफिज मोहम्मद इब्राहीम, सेल टैक्स बिल को लाये थे तो उन्होंने यह फरमाया था उस समय कि वे इस को अपनी तरफ से नहीं ला रहे हैं बल्कि वे विजनेस कम्युनिटी की तरफ से इसको ला रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे पास बहुत सी ऐसी डिमान्ड् आई हैं कि बहुत-सी फर्म्स चालू होने के बाद ६–८ महीने काम करने के बाद विघटित हो जाती हैं। तो श्रीमन्, आर्गूमेंट के लिये यह बात सही हो सकती है। मगर इसमें श्रीमन्, कोई समय की सीमा निर्धारित होनी चाहिये जैसे १ वर्ष, २ वर्ष, या ४ वर्ष आदि। लेकिन अगर आज यह वर्ड हमने डिलीट कर दिये कि "किसी कर निर्धारण वर्ष की अवधि में", तो किसी आदमी को कोई सेल्स टैक्स आफिसर अगर उस व्यक्ति ने ५० साल पहले कोई फर्म बनायी और फिर डिजाल्व कर दी, उसको आज भी अधिकारी असेस कर सकता है। यह निरंकुशता कैसी कि अपने रेकार्ड तो सरकार २–४ साल में वीड कर दे जिसका फर्ज है रेकार्डकीप करने का, लेकिन १९५७ से पहले अगर कोई फर्म हो उस पर भी यह लागू हो सकता है मौजूदा डिलीशन के मातहत। १९५७ में तो ऐसा मंशा था कि चूंकि तरमीम १९५७ में आयी, उसकी कर निर्धारण की अवधि १९५६–५७ में जो फर्म रही हो तो माननीय जज ने उसके सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट किया है कि एक साल की अवधि के अन्दर ऐसा नहीं हो सकता, तो वह दुरुस्त किया है। जो फर्म १९५५ में रही हो, चूंकि वह डिजाल्व हो गयी है, चाहे उस पर असेसमेंट नहीं हो सकता हो उसे क्या पता कि एक दिन ऐसा आयेगा कि हमसे भी जवाब तलब होगा। क्या इस कानून से हम जनता को राहत दे रहे हैं?

इसके अलावा अगर सेल्स टैक्स आफिसर अपनी पावर्स को एक्सीड कर जाय तो उसको सब माफ हो जायगा। जैसे एक जनरल एमेनस्टिटी उसको दी जा रही है, जिस प्रकार लार्ड कैनिंग ने की थी। वह चाहे तो किसी कागज के लिये घर में भी प्रवेश कर सकता है, दिन में ही नहीं रात्रि में भी कर सकता है। इस तरह की बहुत-सी घटनायें ज्यादतियों की हुई हैं। पुलिस वाले जो जनता के रक्षक कहे जाते हैं, आज ही मेरे एक प्रश्न के उत्तर में बतलाया गया कि एक आदमी जो पुलिस की हिरासत में था वह मारा गया, उसके १० चोटें हैं, लेकिन यह पता नहीं लग रहा है कि उसको किसने मारा। इस तरह से रोज यहां रेप आदि के केसेज आते हैं.....

श्री अध्यक्ष—एक खंड के सिलसिले में यह पुलिस भी आ गयी?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं कह रहा था कि पुलिस की तरह अगर सेल्स टैक्स आफिसर भी अपनी पावर्स एक्सीड कर जाय तो उसे सब माफ...

श्री अध्यक्ष—आप पुलिस को मत लाइये यहां।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—एक उदाहरण दे रहा हूं,..."उपबन्धों के अधीन कार्य करते हुए भावित होने वाले किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किये गये कर-निर्धारण या दी गयी आज्ञायें, किये गये कार्य या की गयी कार्यवाहियां...." जो कुछ भी वह कर ले और उसके बाद वह एक्सीड कर जाय तो वह सब बोना-फाइड ऐक्ट करार दिया जायगा और उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकेगा। उनकी पावर्स तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से भी ज्यादा हो रही हैं, उनको कर्टेल किया जाय यह हमारी मंशा है। तो मंत्री जी उनकी पावर कर्टेल करें या इस क्लाज को फिर रिड्राफ्ट करके पेश करें। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हरगोविन्द सिंह—मैं समझता हूं कि विष्ट जी ने गलतफहमी में यह बातें कह डालीं। मैं समझता था कि उन्होंने सेल्स टैक्स ऐक्ट को बखूबी पढ़ लिया होगा। सेल्स

[श्री हरगोविन्दसिंह]

टैक्स ऐक्ट के सेक्शन २१ (२) में यह है कि कोई असेसमेंट चार वर्ष से ज्यादा का नहीं हो सकता। मैं समझता था कि वह इसको जरूर पढ़ लिये होंगे। और मैंने जो धारा पेश की है उसमें यह है कि टैक्स आफिसर विघटित फर्म्स का पीछे का असेसमेंट कर सकती है लेकिन वह ४ वर्ष से ज्यादा का नहीं हो सकता। इसलिये मेरी समझ में नहीं आया कि इसमें क्या शिकायत हो सकती है। मान लीजिये एक फर्म ने सन् ५६ से ५८ तक काम किया और ५९ में विघटित हो गई तो हम उससे कहेंगे कि ५६ से ५८ तक जो सेल्स टैक्स इकट्ठा किया वह दे दो। तो इसमें क्या एतराज की बात है?

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—अगर पहले कोई फर्म डिजाल्व हो गई तो उसको क्या पता था कि यह अमेंडमेंट आयेगा, इसलिये वह कागज कहां से लायेगा?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६०

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट, सं० १५ १९४८ ई०।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० को कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये

विधेयक

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट, सं० १५, १९४८ ई०।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० के कतिपय उपबन्धों के प्रसार तथा प्रयोजन के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न हो गया है;

और इस संदेह के निवारणार्थ और आगे प्रकट होने वाले कतिपय अन्य प्रयोजनों के निमित्त उपर्युक्त अधिनियम को संशोधित करना इष्टकर है;

अतएव भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर-प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

(२) यह धारा और धारायें ३ तथा ४ तुरन्त प्रचलित होंगी और धारा २ के उपबन्ध ३० नवम्बर, १९५७ से प्रचलित हुए समझे जायेंगे:

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३२, १९५७

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम की धारा २ द्वारा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) में किये गये संशोधन उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, १९५७ के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी अवधि के लिये कर-निर्धारण के सम्बन्ध में भी प्रवृत्त होंगे, चाहे ऐसा कर-निर्धारण किसी स्तर पर पूरा किया जा चुका हो या नहीं; या पूरा किया जा चुका था या नहीं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हरगोविन्दसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उपर्युक्त विधेयक पारित किया जाय।

*श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)—अध्यक्ष महोदय, मुझे आशा थी कि माननीय वित्त मंत्री जी ने यहां पर जो संशोधन प्रस्तुत किये उनके सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते समय उन कारणों को अवश्य प्रस्तुत करेंगे जिनके आधार पर यह संशोधन प्रस्तुत किये हैं परन्तु मुझे खेद है कि ऐसा करने में वह असमर्थ रहे। उन्होंने एक बात हमारे सामने रखी जिससे आश्चर्य हुआ। उन्होंने बताया कि अगर कर-निर्धारण अधिकारी ने किसी व्यक्ति पर ५०० रुपया लगा लिया है और वह महसूस करता है कि ३०० रु० टैक्स लगना चाहिये तो जो २०० रुपये अधिक टैक्स लगा है उस पर ही फीस लगने का प्राविजन है। इससे यह साबित हुआ कि माननीय वित्त मंत्री जी यह स्वीकार करने के लिये अवश्य ही तैयार होंगे कि कोई भी कर-निर्धारण अधिकारी बिलकुल ही विवेक से काम करता तो यह बात नहीं हो सकती। किन्हीं मामलों में कर निर्धारण अधिकारी से भूल अवश्य हो सकती है तो क्या उस कर निर्धारण अधिकारी की भूल के परिणामस्वरूप अगर कोई व्यक्ति अपील करना चाहता हो, अपने ऊपर हुई ज्यादती के सम्बन्ध में विरोध प्रकाश करना चाहता हो तो क्या उसके लिये भी उस पर फीस लगनी चाहिये। इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स के मामलों में अधिकारियों की ओर से किसी अंश तक ज्यादती अवश्य होती है। बहुत से ऐसे मामले होते हैं कि जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिये, जिनके ऊपर अधिक टैक्स लगा हुआ होता है, जिनके ऊपर जानबूझ कर अधिक टैक्स लगा दिया जाता है, ऐसे सभी मामलों में स्थगन करने के आवेदन पत्र दिये जाते हैं। इस तरह से, मान्यवर, जो दूसरा खंड प्रस्तुत किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि बिक्री-कर अधिकारी फिर से सारे मामले खोल सकते हैं, य ज्यादती की बात है। इन्कम टैक्स की अपीलें करने की सुविधा किसी भी करदाता को है लेकिन वहां पर ऐसा प्राविजन नहीं है कि उस पर किसी प्रकार की फीस लगायी जाय। इन शब्दों के साथ वित्त मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं।

(श्री गोविन्दसिंह विष्ट के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—मैं सिर्फ अवस्थी जी को बोलने की इजाजत दे रहा हूं, क्योंकि वे चौथे खंड पर नहीं बोले हैं। आप तो सब खंडों पर बोल चुके हैं।

मैं अब सदन का समय १५ मिनट के लिये बढ़ा देता हूं। अब सदन ५-१५ तक चलेगा।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, जो संशोधन विधेयक बिक्री-कर के सम्बन्ध में आया है और जिसके पारित करने की प्रस्तावना श्रीमन् के सामने रखी गयी है, मैं उसका सर्वांश में विरोध करता हूं। इस संशोधन विधेयक को लाने की आवश्यकता नहीं थी। इस विधेयक के द्वारा असीम रूप से अधिकारों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। खंड २ में जो संशोधन है उससे तो बिलकुल यही प्रकट होता है। खंड ३ में जो संशोधन है उससे मालूम होता है कि सरकार में टैक्स में वृद्धि करने का साहस है। सरकार दिन पर दिन खजाना बढ़ाती जा रही है। इसी कोर्ट फीस के द्वारा लाखों रुपया वह बढ़ा लेगी। गवर्नर महोदय के भाषण से भी इस बात का इशारा मिल गया था। उसकी पुष्टि मंत्री जी ने कर दी। यह टैक्स बढ़ाने का जो कानून है वह बुरी तरह से लदे हुए ऊंट की कमर पर एक तिनके के समान है और इस आखिरी तिनके से उसकी कमर टूट जायगी। जनता रूपी ऊंट की कमर तो टूट ही जायगी लेकिन सरकार की कब्र पर भी वह एक कील होगी। इस पर कर का असर छोटे-छोटे किसानों पर होगा। इस विधेयक के द्वारा बिक्री-कर अधिकारियों के अधिकार असीम हो जायेंगे।

इसके साथ ही साथ हमारी तरफ से यह मनोभावनायें प्रकट की गयीं कि सरकार उन विषयों पर ध्यान दे जैसे खाद्य पर से सरकार टैक्स हटा दे, गृह उद्योगों पर कोई टैक्स नहीं लगना

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोतीलाल अवस्थी]

चाहिये, निर्धनों को भी राहत मिलनी चाहिये। लेकिन सरकार की ओर से उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जो मार्ग सरकार बना चुकी है उसी पर वह आगे बढ़ती जा रही है और गलती पर गलती करती जा रही है। मैं फिर आपके द्वारा सरकार को आगाह कर दूं कि उसका यह रास्ता गलत है। बिक्री-कर कानून में उसको मौलिक परिवर्तन करना चाहिये जिससे गरीब जनता को राहत मिले। विशेष रूप से खाद्यान्नों पर से कर हटाने की तरफ सरकार सबसे पहला कदम उठाये। मैं चाहूंगा कि आज जो अवसर मुझे मिला है उस के उपलक्ष में सरकार को चेतावनी दूं कि अगर वह ऐसा नहीं करेगी तो धोखा होगा। कानपुर अन्न मंडी के आढ़तियों ने प्रतिमास एक दिन हड़ताल वर्षों तक इसीलिये रखी थी कि उन के खाद्यान्नों पर से बिक्री-कर हटाया जाय, बार-बार उन के आवेदन-पत्र आये, डेपूटेशन आये लेकिन सरकार ने उन पर ध्यान नहीं दिया। आज ही मंत्री जी ने कहा कि उनको ज्ञात है कि कच्चे आढ़ती किसानों से टैक्स वसूल करते हैं लेकिन यह जान कर भी इस चीज से किसानों का उद्धार नहीं करना चाहते और जानते हुए भी उस खराबी को दूर करने के लिये वह कोई संशोधन इसमें नहीं लाये। इस से साबित है कि जो वह सोचते हैं उस को करने में वह अयोग्य हैं। जो कुछ वह सोचते हैं उस को करने में अगर वह अयोग्य अपने को समझते हैं तो वह मंत्रिपद न लेते तभी अच्छा था।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक, १९६० पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने या जनमत संग्रह सम्बन्धी प्रस्ताव के प्रस्तावकों को उत्तर देने के अधिकार की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं। मैंने विधेयक पर विचार के समय श्री गोविन्दसिंह के संशोधन के समय उन से कहा था कि वह जवाब नहीं दे सकते, उस वक्त वह जवाब देना चाहते थे, मैंने कहा था कि ऐसी प्रथा नहीं है लेकिन नियम देखने से मालूम हुआ कि पहले नियमों के अनुसार तो इस तरह की प्रथा नहीं थी, यानी जवाब नहीं दे सकते थे लेकिन नये रूल्स के हिसाब से मैंने पिछले साल इजाजत दी थी कि प्रवर समिति में भेजने के लिये जो संशोधन लाये जाते हैं उन में संशोधनकर्त्ता को उत्तर देने का अधिकार होता है। मुझे खेद है कि मैंने यह गलती की थी, मैं अपनी उस गलती को आपके सामने रख रहा हूं.....

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—जनमत संग्रह वालों में भी श्रीमन्,...

श्री अध्यक्ष—मैं इस को स्पष्ट कर के साफ किये देता हूं कि आइन्दा इस तरह से जवाब का अधिकार रहेगा जब भी इस तरह का प्रस्ताव आये।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१४ फरवरी, १९६१।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५०५ पर)

राजकीय कृषि पाठशाला	उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या			
	१९५८	१९५९	१९६०	योग
बुलन्दशहर	८४	७३	८३	२४०
गोरखपुर	६८	६४	७६	२०८
चिरगांव (झांसी)	५९	४९	६८	१७६
योग ..	२११	१८६	२२७	६२४

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये पीछे पृष्ठ ५२५ पर)

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) विधेयक, १९६१

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये

विधेयक

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८ उ० प्र० अध्यादेश संख्या ५, १९६०

उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ को कतिपय प्रयोजनों के निमित्त संशोधित करने के लिये गवर्नर ने ३० दिसम्बर, १९६० को उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६० प्रख्यापित किया था;

और यह इष्टकर तथा आवश्यक है कि उक्त अध्यादेश, जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अधीन विधान-मण्डल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्त्तन में न रहेगा, विधान मंडल के अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय ;

अतएव भारतीय गणतंत्र के बारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६१ कहलायेगा ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा १ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (३) में अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६०" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३० जून, १९६१" रख दिये जायं ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा ४ का संशोधन

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में :—

(१) उपधारा (१) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और उसके पश्चात् उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे जिले के विषय में, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाया जाय, अन्तरिम जिला परिषद्, उसके अध्यक्ष या अन्तरिम जिला परिषद् की किसी कमेटी के सभी अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य, सभी विषयों के संबंध में जिनके अन्तर्गत निधि और सम्पत्ति भी है चाहे वे इस अधिनियम के अधीन हों या यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, ऐक्ट, १९२२ अथवा अन्य किसी विधि के अधीन, उक्त जिले के कलेक्टर में निहित होंगे तथा कलेक्टर उक्त सभी अधिकारों का प्रयोग, सभी कर्त्तव्यों का पालन और सभी कृत्यों का सम्पादन करेगा और वह यथास्थिति, अन्तरिम जिला परिषद्, अध्यक्ष या कमेटी, समझा जायगा ।"

(२) उपधारा (२) में :—

(क) खंड (क) में शब्द "जिलों की" के पूर्व शब्द "जिला मजिस्ट्रेट को छोड़कर" रख दिये जायं, तथा

(ख) उसके प्रतिबन्धात्मक खंडों के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय :—

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति, जो सामान्यतः अन्तरिम जिला परिषद् के अधिकार-क्षेत्र के भीतर न रहता हो, परिषद् का सदस्य न होगा, सिवाय उस दशा के जिसकी व्यवस्था अनुसूची के पैरा २ के खंड (१) में की गई है :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई व्यक्ति उस पद पर आसीन न रहे या उसकी वह स्थिति न रहे जिसके आधार पर वह जिला नियोजन समिति का, और फलतः परिषद् का, सदस्य बना था, तो वह अन्तरिम जिला परिषद् का सदस्य न रहेगा ;

और प्रतिबन्ध यह भी है कि जिन खंडों में यू० पी० पंचायत-राज ऐक्ट, १९४७ के अधीन हुये सामान्य निर्वाचन के फल-स्वरूप वर्ष १९६१ में प्रधानों का निर्वाचन हो चुका है, वहां, उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अधिनियम, १९६१ के प्रवर्त्तन के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र प्रत्येक खंड की गांव सभाओं के लिये एक प्रतिनिधि, यदि जिले में खंडों (Blocks) की संख्या दस से अधिक हो, तथा अन्य दशाओं में प्रत्येक खंड के लिये दो प्रतिनिधि निर्वाचित किये जायेंगे। इन प्रतिनिधियों का निर्वाचन खंड के क्षेत्र के भीतर नव-निर्वाचित प्रधानों द्वारा—भले ही ऐसे किसी प्रधान का कार्यकाल न शुरू हुआ हो—तथा खंड में ऐसी गांव सभाओं के वर्तमान प्रधानों द्वारा, जिनके लिये प्रधानों का १९६१ के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन नहीं हुआ है, उन प्रधानों में से जिन्हें ऐसे निर्वाचन में मत देने का अधिकार है, किया जायगा। प्रतिनिधियों का निर्वाचन इस अधिनियम के अधीन बने नियमों में निर्दिष्ट रीति से किया जायगा और तत्पश्चात्, अनुसूची के पैरा २ की मद (१३) के अधीन, उन प्रतिनिधियों का, यदि कोई हों, जो उक्त अधिनियम के प्रवर्त्तन के दिनांक को अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्य हों, कार्यकाल, यदि वह उस समय तक समाप्त न हुआ हो तो, समाप्त हो जायगा।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७

स्पष्टीकरण—(१) इस प्रतिबन्धात्मक खंड के प्रयोजनार्थ "खंड" का तात्पर्य ऐसे किसी निर्दिष्ट क्षेत्र से है, जिसे उस क्षेत्र में नियोजन एवं विकास के उद्देश्य से राज्य सरकार समय-समय पर उस रूप में निर्धारित (earmark) कर दिया हो, और उसके अन्तर्गत वे खंड भी सम्मिलित होंगे जिन्हें पहले अनुसूची के पैरा २ की मद (१३) यथोल्लिखित राष्ट्रीय प्रसार सेवा खंड या छाया खंड के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया था और तदुपरान्त उनका पुनर्गठन कर दिया गया हो अथवा उन्हें दूसरा नाम दे दिया गया हो।

स्पष्टीकरण--(२) इस प्रतिबन्धात्मक खंड के प्रयोजनार्थ नवनिर्वाचित प्रधानों का तात्पर्य उन समस्त प्रधानों से है जो उस नोटिस के जारी होने के दिनांक तक निर्वाचित घोषित कर दिये गये हों, जिसमें प्रधानों से प्रतिनिधि निर्वाचित करने के लिये कहा गया हो"; तथा

(३) उपधारा (३) तथा उपधारा (४) और उसके प्रतिबन्धात्मक खंड के स्थान पर उपधारा (३) से (१३) तक के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय :--

(३) प्रत्येक अन्तरिम जिला परिषद् का एक अध्यक्ष होगा जो, सिवाय उस जिले के विषय में जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् बनाया जाय, परिषद् के, सरकारी सदस्यों के अतिरिक्त सभी सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायगा ।

(४) इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में, जिले के किसी क्षेत्र से निर्वाचक के रूप में तत्समय दर्ज हो, अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने का पात्र होगा ।

(५) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने का पात्र न होगा, यदि वह :--

यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२

(क) यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ की धारा १३ के अधीन बोर्ड की सदस्यता के लिये अनर्हित हो, या

(ख) संसद या राज्य विधान-मंडल का सदस्य, हो या

(ग) अन्तरिम जिला परिषद् का सरकारी सदस्य हो, या

(घ) मंत्री, जिला सैनिक, नाविक एवं वायु सेना बोर्ड हो :

(६) निर्वाचन, निर्वाचन-फल की घोषणा और अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्ति के नाम के विज्ञापन की रीति तथा निर्वाचन से संबद्ध या उसके कारण उठने वाले विवादों के निपटारे की रीति इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत की जायगी ।

(७) अध्यक्ष अपने पद का कार्यभार, गजट में अपने निर्वाचन का फल प्रकाशित होने के दिनांक से, ग्रहण करेगा और तब तक वह व्यक्ति अध्यक्ष पद पर आसीन रहेगा जो पहले से उस पद पर हो ।

(८) म्युनिसिपल बोर्ड या नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेण्ट या टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन या गांव सभा का प्रधान, अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर, उस निर्वाचन के दिनांक से, यथास्थिति, म्युनिसिपल बोर्ड या नोटीफाइड एरिया कमेटी का प्रेसीडेण्ट या टाउन एरिया कमेटी का चेयरमैन या गांव सभा का प्रधान न रह जायगा ।

(९) मृत्यु, त्याग-पत्र या अन्य किसी कारण से होने वाली अध्यक्ष पद की रिक्त उपधारा (३) में की गई व्यवस्था के अनुसार निर्वाचन, द्वारा भरी जायगी

(१०) इस अधिनियम या यू० पी० डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स ऐक्ट, १९२२ या किसी अन्य विधि में किसी विपरीत बात के होते हुये भी, अन्तरिम जिला परिषद् के सरकारी सदस्यों को परिषद् की बैठकों में मतदान का अधिकार नहीं होगा । यू० पी० ऐक्ट संख्या १०, १९२२

(११) परिषद् की सदस्यता में किसी रिक्ति के कारण कोई निर्वाचन या परिषद् द्वारा पारित कोई संकल्प या किया गया कोई कार्य अवैध न होगा ।

(१२) यदि वह व्यक्ति, जो उपाध्यक्ष का पद धारण किये हो, अध्यक्ष निर्वाचित हो जाय, या यदि किसी अन्य कारण से उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाय, उपाध्यक्ष का निर्वाचन मतदान करने के अधिकारी सदस्यों द्वारा उसी रीति से किया जायगा जिस रीति से अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है ।

(१३) अध्यक्ष, उपस्थित रहने पर, अंतरिम जिला परिषद् की बैठकों में सभापतित्व करेगा और मतों की संख्या बराबर होने की दशा में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होगा ।"

४—मूल अधियिम की धारा ६ में :— उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा ६ का संशोधन

(१) खंड (२) में जहां भी शब्द "कलेक्टर" आया हो उसके स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय, और

(२) खंड (७) के उपखंड (ख) में से शब्द "इस अधिनियम के अधीन नियुक्त" के स्थान पर शब्द "यथास्थिति" रख दिया जाय ।

५—मूल अधिनियम की धारा ७ में :— उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा ७ का संशोधन

(१) उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

(२) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अन्तरिम जिला परिषद् की बैठकों में सभापतित्व करेगा और मतों की संख्या बराबर होने की दशा में उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होगा । वह ऐसे अन्य कृत्यों का भी सम्पादन करेगा जो उसे इस अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या अंतरिम जिला परिषद् द्वारा सौंपे जायें"; तथा

(२) उपधारा (३) निकाल दी जाय ।

६—मूल अधिनियम को धारा ८ की उपधारा (१) के अन्त में आये हुये पूर्णविराम के पश्चात् निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं :— उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा ८ का संशोधन

"इन नियमों में सम्भाव्य रिक्तियों को भरने के लिये पहले से कार्यवाही करने की व्यवस्था भी की जा सकती है ।"

७—मूल अधिनयम की धारा १२ की उपधारा (६) में शब्द "कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जाय । उ० प्र० अधिनियम संख्या २२, १९५८ की धारा १२ का संशोधन

८—उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६०, निरस्त किया जाता है, तथा यू० पी० जनरल क्लाजेज, ऐक्ट १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे मानों वह उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा निरस्त और पुनः अधिनियमित की गई अधिनियमित (Enactment) हो । निरसन उ० प्र० अध्यादेश संख्या ५, १९६० यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४ ।

उद्देश्य तथा कारण

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६० द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् अधिनियम, १९५८ की धारा १ को उपधारा (३) के उपबन्धों के अनुसार अधिनियम की अवधि ३१ दिसम्बर, १९६० को समाप्त होने वाली थी। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १९६० जो अन्ततः उक्त अधिनियम का स्थान ग्रहण कर लेगा, अभी विधान मंडल के विचाराधीन है। अतएव यह आवश्यक था कि अधिनियम की अवधि को समयोपयुक्त रूप से बढ़ा दिया जाय जिससे कि वर्तमान अन्तरिम व्यवस्था इस बीच बनी रह सके। चूंकि विधान मण्डल का सत्र नहीं हो रहा था, इसलिये एक अध्यादेश, अर्थात् उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, १९६०, ३० दिसम्बर, १९६० को प्रख्यापित किया गया जिसके द्वारा अधिनियम की अवधि ३० जून, १९६१ तक बढ़ा दी गई। इस अवसर पर, इस अध्यादेश में जिला मैजिस्ट्रेटों के स्थान पर जोकि अब तक इस पद पर आसीन थे निर्वाचित अध्यक्ष रखने की भी व्यवस्था की गई।

वर्तमान विधेयक का उद्देश्य यह है कि वह उपर्युक्त अध्यादेश का स्थान ग्रहण करे जो "भारत का संविधान" के अनुच्छेद २१३ (२) (क) के अनुसार विधान मंडल के पुनः समवेत होने के दिनांक से छः सप्ताह की समाप्ति पर प्रवर्तन में न रहेगा।

तदनुसार विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

कैलाश प्रकाश,
स्वायत्त शासन मंत्री।

विधान सभा सचिवालय उ०प्र०

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २४९ एल० ए०—१९६१—८४५।